खण्ड-389, अंक-2
बृहस्पतिवार, 20 माघ, शक संवत् 1910
(9 फरवरी, 1989 ई0)

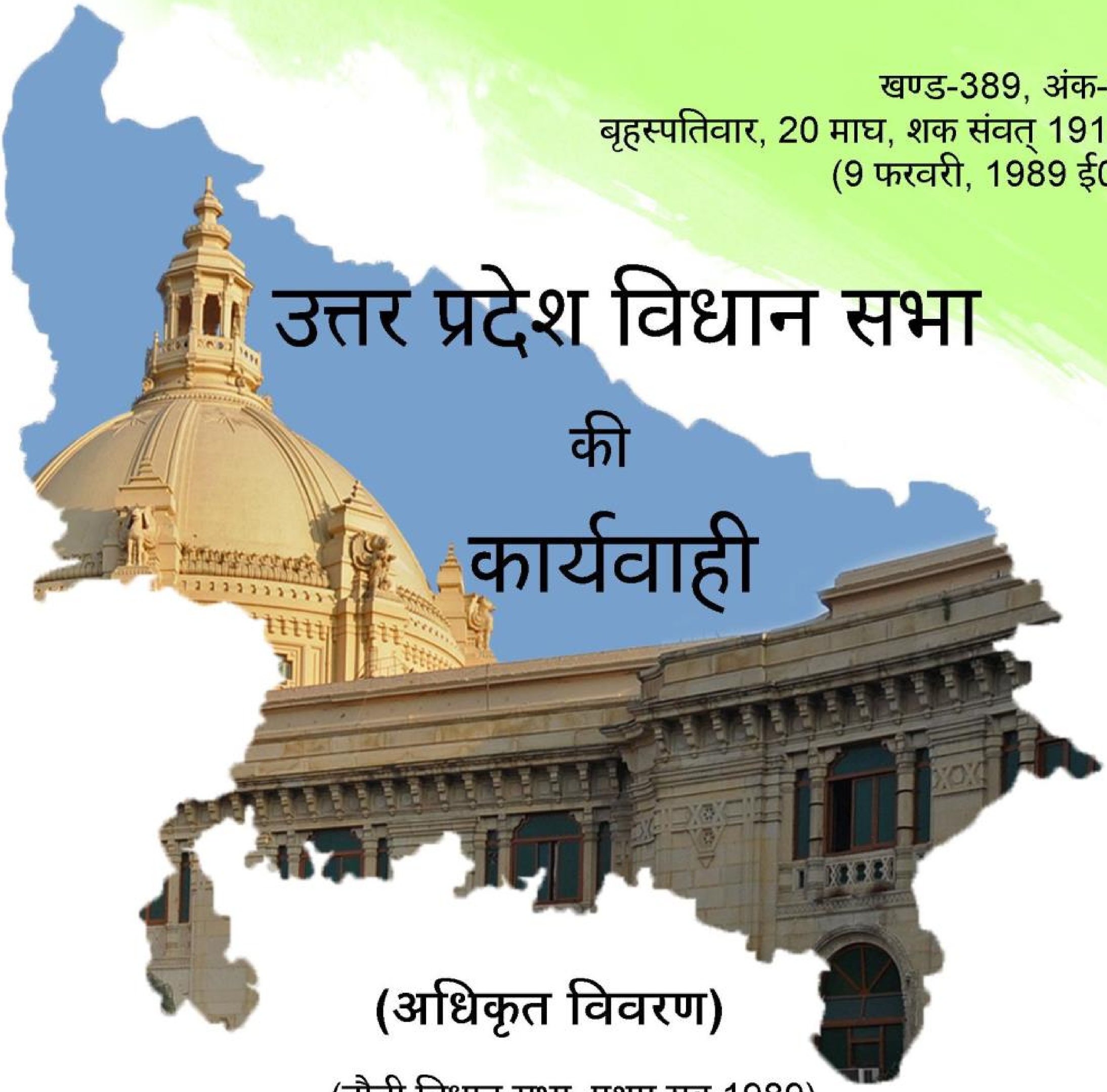

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 389 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. .. | ग |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | 1–68 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री धर्म सिंह एवं वर्तमान सदस्य श्री महावीर सिंह के निधन पर शोकोद्गार .. .. .. | 69–74 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्व श्री कैलाश प्रकाश, क्सी नकवी, गोवर्धन तिवारी, कृष्णा राय, मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी, नजुराम तथा श्री काशी नाथ बहादुर पाल के निधन पर शोकोद्गार .. | 75–83 |
| वीर रस के कवि पण्डित श्री श्याम नारायण पाण्डेय तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शंकर दयाल तिवारी के निधन पर शोकोद्गार | 83–89 |
| सोवियत संघ के दक्षिणी गणराज्य आर्मेनिया में आये विनाशकारी भूकम्प पर शोक प्रस्ताव .. .. .. .. .. | 89–90 |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | 91–100 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 9 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| अकबर अहमद (डम्पी), श्री | नैनीताल | मुलायम सिंह यादव, श्री | इटावा |
| अजीत कुमार सिंह, श्री | कानपुर | मुस्तमन्द अली खां, श्री | मथुरा |
| अतर सिंह यादव, श्री | एटा | रघुवीर सिंह यादव, श्री | मैनपुरी |
| अमर नाथ सिंह, श्री | फतेहपुर | राजेन्द्र सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री | बरेली | राजेश कुमार खैरा, श्री | ललितपुर |
| अलमेलु अम्माल, कुमारी | बस्ती | राम औतार दीक्षित, श्री | हरदोई |
| इन्द्र प्रताप सिंह, श्री | बहराइच | रामगोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| ओम प्रकाश रिछारिया, श्री | झांसी | विजय सिंह राणा, श्री | आगरा |
| किरन पाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर | वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री | गोरखपुर |
| कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0 | आगरा | वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| गुलाब सिंह, श्री | देहरादून | शतरुद्र प्रकाश, श्री | वाराणसी |
| चारुशीला, श्रीमती | मुजफ्फरनगर | शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर | कानपुर |
| चेतराम गंगवार, श्री | बरेली | शौनाथ सिंह, श्री | बिजनौर |
| जगदीश नरायन, श्री | हमीरपुर | श्याम सूरत उपाध्याय, श्री | इलाहाबाद |
| जयदीप सिंह बरार, श्री | बरेली | श्रीनाथ सिंह, श्री | वाराणसी |
| दिवाकर विक्रम सिंह, श्री | बस्ती | संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री | वाराणसी |
| नरेन्द्र सिंह, चौधरी, | कानपुर | संजय सिंह, डा0 | सुल्तानपुर |
| नरेश चन्द्र, श्री | लखनऊ | सईदुज्जमा, श्री | मुजफ्फरनगर |
| निरोत्तम सिंह, श्री | बदायूं | सतीश अजमानी, श्री | खीरी |
| पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री | कानपुर | सत्यपाल सिंह, श्री | शाहजहांपुर |
| प्रदीप माथुर, श्री | मथुरा | सीताराम निषाद, श्री | फैजाबाद |
| प्रेमपाल सिंह, श्री | एटा | सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | फैजाबाद |
| बदन सिंह, श्री | आगरा | सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री | रायबरेली |
| बलदेव सिंह, कैप्टेन | अलीगढ़ | सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री | अलीगढ़ |
| बल्देव सिंह आर्य, श्री | उत्तरकाशी | सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री | अलीगढ़ |
| ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री | मुरादाबाद | सूर्य प्रताप शाही, श्री | देवरिया |
| मनहरन नाथ कौल, श्री | बहराइच | सैयद अली अशरफी, श्री | पीलीभीत |
| महरम सिंह, श्री | फर्रुखाबाद | सैयद सईदुल हसन, श्री | बुलन्दशहर |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | बस्ती | हर नारायण सिंह, श्री | रायबरेली |
| मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री | एटा | हरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## प्रश्नोत्तर

गुरुवार, दिनांक 9 फरवरी, 1989

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### इलाहाबाद शहर के अल्लापुर क्षेत्र में उच्चीकृत अस्पताल की मांग

*1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद शहर के अल्लापुर क्षेत्र की आबादी इस समय लगभग 80 हजार है और यहां कोई अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या आबादी को ध्यान में रखते हुए एक उच्चीकृत अस्पताल की व्यवस्था इस क्षेत्र के लिए करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जी हां ।

जी नहीं ।

अल्लापुर, इलाहाबाद नगर महापालिका क्षेत्र के अंतर्गत है । उच्चीकृत चिकित्सालय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) एक लाख ग्रामीण जनसंख्या/विकास खंड स्तर पर खोलने का मानक है । अतः अल्लापुर में कोई उच्चीकृत चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि अल्लापुर से लगभग एक कि0 मी0 दूरी पर है जो चिकित्सालय, कमला नेहरू चिकित्सालय एवं बाल चिकित्सा तथा 2 कि0मी0 की दूरी पर स्वरूप रानी स्मारक चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज स्थित है जहां पर हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ।

*2—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

### गुरुवार, दिनांक 9 फरवरी, 1989 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

### बस्ती के बर्डपुर विकास खण्ड में किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने की कार्यवाही

*1—श्री धनराज यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड बर्डपुर में फसल बीमा योजना लागू है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि गत फरवरी, मार्च, अप्रैल, 88 में भयंकर ओलावृष्टि से प्रश्नगत विकास खण्ड में पचासों गांवों की फसलों की 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की क्षति हुई है ? यदि हां, तो जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें फसल बीमा का लाभ दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

---

नोट :—प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

कृषि मंत्री (डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल)–

वर्ष 1987–88 रबी में इस विकास खण्ड में काम्प्रहेन्सिव फसल बीमा योजना लागू थी। वर्ष 1988–89 में फसल बीमा योजना लागू नहीं है।

जी हां।

कम्प्रेहेन्सिव फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा के लिए तहसील को इकाई निर्धारित किया गया है। विकास खण्ड बडौपुर तहसील नौगढ़ में आता है। तहसील नौगढ़ को फसल बीमा के अंतर्गत रबी 1987–88 में रु0 2, 57, 961·81 मुआवजे के रूप में दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

*2–श्री हर्षवर्धन–

[3रे बुधवार में ता0 प्र0 सं0 10 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

**प्रदेश में नई औषधि नीति के अन्तर्गत दवाईयों में की गयी मूल्य वृद्धि को वापस कराने की मांग**

*3–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नई औषधि नीति के कारण सभी साधारण एवं जीवन रक्षक दवाइयों का मूल्य पचीस प्रतिशत से लेकर दो सौ प्रतिशत तक गत 8 माह के अन्दर बढ़ा दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी उपरोक्त सभी दवाइयों के मूल्य में वृद्धि वापस करा कर सभी दवायें जनवरी, 88 के समय के मूल्यों पर ही बिक्री किये जाने के आदेश करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

*4–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

**एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों को वरिष्ठतानुसार पदोन्नत किये जाने पर विचार**

*5–श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति में अनियमितता से संबंधित श्री राम पियारे सुमन, संसद सदस्य, फैजाबाद का पत्र दिनांक 1-7-88 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी उक्त अनियमितता से प्रभावित चिकित्साधिकारियों को भी वरिष्ठतानुसार पूर्व तिथि से ही पदोन्नति देने के आदेश करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्देशों का अनुपालन न किया जाना**

*6–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 13-4-88 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा तिलक हाल विधान भवन, लखनऊ में आहूत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की स्थायी समिति की बैठक में प्रश्नकर्ता ने प्रदेश को और विशेष रूप से फैजाबाद जनपद के विभिन्न अस्पतालों की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव देकर विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था जिनके निराकरण के लिए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये थे जिनका अनुपालन आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के अनुरोधों, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों और उन पर अब तक की कृत कार्यवाही/विवरण सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

दिनांक 13-4-1988 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में तिलक हाल विधान भवन लखनऊ में आहूत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की स्थायी समिति की बैठक में माननीय सदस्य ने प्रदेश की और विशेषकर फैजाबाद जनपद के विभिन्न अस्पतालों की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो सुझाव दिये थे उन पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों और उन पर अब तक कृत विभागीय कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 91–92 पर)

*7–श्री मैनेजर सिंह–

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

**जनपद एटा की तहसील जलेसर के शिव आई हास्पिटल के फर्जी डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही**

*8–डा0 बंगाली सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की तहसील जलेसर में फर्जी शिव आई हास्पिटल में वर्ष 87 व 88 में हजारों आदमियों की आंखें फोड़ दी गई हैं ? यदि हां, तो वहां के उन फर्जी डाक्टरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वर्ष 1987-88 में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अपितु वर्ष 1986 में जिला अधिकारी एटा के समक्ष इस नेत्र चिकित्सालय के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । इस विषय में जांच संयुक्त रूप से नेत्र शल्यक, जनपद चिकित्सालय, एटा एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा की गई । जांच के फलस्वरूप रोगियों की आंखें फोड़ने की शिकायत सिद्ध नहीं हो पाई । तथापि चूंकि शिव आई हास्पिटल के चिकित्सकों के पास आंखों के इलाज के लिये मान्यता प्राप्त प्राविधिक योग्यता न होने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 1988 को उन्हें आंखों का इलाज न करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा द्वारा उक्त चिकित्सकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 15(2) व (3) के अनुसार थाना-जलेसर, एटा में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित करा दी गयी है और अपराध की विवेचना आरम्भ कर दी गयी है ।

**जिला बस्ती के महुली कोल्ड स्टोर के मालिकों द्वारा कृषकों का आलू अवैध रूप से बेचने की जांच व क्षतिपूर्ति हेतु कृत कार्यवाही**

*9–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जिला बस्ती के महुली कोल्ड स्टोर में पड़ोसी गांव के सैकड़ों कृषकों के हजारों बोरे जमा आलू को कोल्ड स्टोर मालिक ने अवैध रूप से चुपके से बेच डाला, जिसे छिपाने हेतु सड़ना दिखाकर तथा कुछ शेष सैकड़ों बोरे आलू पर यूरिया खाद छिड़क कर सड़ाने का कार्य किया ताकि कोल्ड स्टोर में जांच के समय सड़ने की वास्तविकता का सही ज्ञान न हो सके ? क्या मंत्री जी पूछ-ताछ के आधार पर सी0 आई0 डी0 से जांच कराने एवं कृषकों की क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सन्दर्भ में संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा का पत्र दिनांक 13-9-88 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मेसर्स ताज कोल्ड स्टोरेज महुली जिला–बस्ती में पड़ोसी गांवों के भण्डारित आलू वास्तव में सड़े हैं । कोल्ड स्टोरेज मालिक द्वारा कोल्ड स्टोरेज में जमा आलू अवैध रूप से बेचने बाबत शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यूरिया छिड़ककर आलू सड़ाने के बारे में स्थानीय व्यक्तियों से ज्ञात करने पर कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आयी ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी है और कोल्ड स्टोरेज मालिक के विरुद्ध आरोप पत्र 91/88, दिनांक 31-10-88 व 91-ए/88, दिनांक 26-11-88 थाना प्रभारी महुली बस्ती द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है । अतः सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । किसानों की क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र प्राप्त करने हेतु स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया है, किसानों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही**

*10—श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री कौशिक रमाशंकर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के सैकड़ों पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या तत्काल उक्त भर्ती हेतु शासन स्तर पर त्वरित व प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

नियमित चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है । चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग से शीघ्र प्राप्त होने की आशा है तदोपरान्त शासन द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्रता से की जायेगी ।

*11—श्री जयदीप सिंह बरार—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**राजकीय चिकित्सालय बलरामपुर लखनऊ के आधुनिकीकरण की कार्यवाही**

*12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय चिकित्सालय बलरामपुर लखनऊ के आधुनिकीकरण के बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

बलरामपुर चिकित्सालय के आधुनिकीकरण हेतु एक मास्टर प्लान विस्तार एवं पुर्ननिर्माण हेतु तैयार किया गया था जिसके अनुसार आधुनिक रसोई घर एवं सेन्ट्रल लान्ड्री का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । आधुनिक रसोई घर आधुनिक उपकरणों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है । सेन्ट्रल लान्ड्री को चलाये जाने हेतु उपकरणों की स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

**नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में की गई तदर्थ नियुक्तियां**

*13—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के कुलपति ने वर्ष 1986 और 1987 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कुल कितनी तदर्थ नियुक्तियां की हैं ? शासनादेशों के अनुसार तदर्थ नियुक्तियां प्रतिबन्धित होने के बावजूद भी किसकी स्वीकृति और किन अपरिहार्य कारणों के कारण की गई हैं ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के कुलपति ने कलैन्डर वर्ष 1986 एवं 87 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में क्रमशः शून्य एवं 31 तदर्थ नियुक्तियां की हैं ।

विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के प्रसंग में शासन का कोई कार्यकारी आदेश लागू नहीं होता है । ये नियुक्तियां उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1958 एवं उसके अन्तर्गत विरचित परिनियमावली के अनुसार होनी चाहिए । प्रथम दृष्टया ये नियुक्तियां परिनियमावली के चैप्टर 13 के परिनियम 10 के प्रतिकूल प्रतीत होती हैं, जिसके लिये यथा विधि कार्यवाही की जायेगी ।

**लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के नवनिर्मित भवन के सामने रैन बसेरा का निर्माण**

*14–श्री शारदा प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में नव निर्मित भवन के सामने भर्ती मरीजों के साथ रहने वाले लोगों की असुविधा के दृष्टिगत रखते हुए ''रैन बसेरा'' बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के विस्तार एवं निर्माण हेतु एक मास्टर प्लान बनाया गया है जिसमें एक रैन बसेरा का प्राविधान है । किन्तु नव निर्मित भवन के सामने ही स्थान के अभाव में रैन बसेरा बनाया जाना संभव नहीं है ।

**स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पदोन्नति**

*15–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0 एन0 एम0) की पदोन्नति की भांति विभाग में लम्बे अरसे से कार्यरत पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (सी0 एच0 डब्लू0) के पदोन्नति की कोई नीति शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं क्योंकि पर्यवेक्षक संवर्ग में स्थान रिक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फर्रुखाबाद के आलू उत्पादक किसानों के लिए उद्योग लगाने की योजना**

*16–श्री वहम दत्त द्विवेदी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सर्वाधिक आलू उत्पादक जनपद फर्रुखाबाद के आलू उत्पादक किसानों की स्थिति सुधारने हेतु आलू पर आधारित कोई उद्योग लगाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड (पिकप), लखनऊ ने जनपद फर्रुखाबाद में आलू से पोटेबिल अल्कोहल बनाने के लिए भारत सरकार से लेटर आफ इन्टेन्ट मांगा है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस उद्योग के स्थापित हो जाने पर एक लाख टन आलू की खपत प्रतिवर्ष होगी ।

**प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी द्वितीय सेक्शन डी के अन्तर्गत रिक्त पदों पर अधिकारियों का स्थायीकरण**

*17–श्री निहाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी द्वितीय सेक्शन डी के अन्तर्गत लगभग छत्तीस स्थायी पद रिक्त हैं जिनके विरुद्ध लगभग सोलह वर्षों से अधिक सेवा पूर्ण करने के उपरांत भी अनुमोदित/विनियमित घोषित अधिकारियों को अभी तक स्थायीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? शासन इन अधिकारियों को किस तिथि तक स्थायी घोषित कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

उ0 प्र0 कृषि सेवा श्रेणी–2 सेक्शन ''डी'' के अधिकारियों के स्थायीकरण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**मेरठ व हापुड़ तहसील में आलू पर आधारित उद्योग लगाने व किसानों को सुविधायें दिलाने की मांग**

*18–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ हापुड़ तहसील में आलू उत्पादन की अधिकता को देखते हुए, आलू पर आधारित उद्योग लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौन-कौन से नये उद्योग लगाने की सम्भावना है और आलू उत्पादक किसानों को क्या सुविधायें सरकार की ओर से प्रदान की जायेंगी ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

विभाग में ऐसी कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**इलाहाबाद में हृदय रोग विभाग खोलने के सम्बन्ध में पूर्व घोषित धनराशि का उपलब्ध कराया जाना**

*19–श्री भोला सिंह तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने इलाहाबाद में 23 व 24 मई, 1988 को हृदय रोग विभाग खोलने बाबत डेढ़ करोड़ रुपया देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो यह धन कब तक सरकार उपलब्ध करा देगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

माह मई, 1988 के दौरान तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा इलाहाबाद में मोती लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में हृदय रोग विभाग के प्रोन्नयन के विषय में इस प्रकार की घोषणा की गई थी । चिकित्सा महाविद्यालय से प्राप्त तत्संबंधी प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण किया जा रहा है एवं यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

**फर्रुखाबाद के छिबरामऊ, सौरिख आदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुत्ता व सांप काटने की दवाईयों की व्यवस्था करना**

*20—श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद के छिबरामऊ, सौरिख, तालग्राम आदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुत्ता काटने व सांप काटने के उपचार की दवाइयां न उपलब्ध होने का क्या कारण है ? शासन तहसील मुख्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छिबरामऊ पर कुत्ता काटने व सांप काटने के उपचार हेतु जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता कब तक सुनिश्चित करेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

आवश्यक औषधियां उपलब्ध हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

**अतारांकित प्रश्न**

**श्रीमती जोखना देवी महिला हेल्थ सुपरवाइजर प्रा0 स्वा0 केन्द्र बस्ती के चिकित्सा अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर विलम्ब से कार्यवाही करने का कारण**

1—श्री अफसर यू0 अहमद—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पांचवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनकटी जनपद बस्ती को 25-6-86 को प्राप्त मेडिकल प्रमाण-पत्रों को लम्बे समय तक रोक कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती के पास प्रतिहस्ताक्षरण हेतु दिनांक 9-4-87 को क्यों भेजा गया ? प्रतिहस्ताक्षरित मेडिकल अवकाश प्रार्थना-पत्र को सम्बन्धित अधिकारी जैसे उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्रथम बस्ती एवं मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को स्वीकृति हेतु कब अग्रसारित किया गया तथा अवकाश कब स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

श्रीमती जोखना देवी स्वास्थ्य निरीक्षिका द्वारा अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने के कारण उनसे प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनकटी द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता रहा है जिसके कारण उनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा-प्रमाण पत्र को मुख्य चिकित्साधिकारी को उनके प्रतिहस्ताक्षरार्थ विलम्ब से दिनांक 17 जून, 1987 को भेजा गया अन्ततोगत्वा श्रीमती जोखना देवी को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 1988 को अवकाश स्वीकृत कर दिया गया तथा अवकाश वेतन का भुगतान भी किया जा चुका है ।

**इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, मोती लाल नेहरू व टी0 बी0 अस्पताल के डाक्टरों का स्थानान्तरण न किये जाने का कारण**

2—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल व मोती लाल नेहरू अस्पताल व टी0 बी0 अस्पताल तेलियरगंज में कितने डाक्टर शासन द्वारा निर्धारित अवधि से ज्यादा समय से (5 वर्ष से अधिक) कार्यरत हैं? इतनी ज्यादा अवधि तक वहां पर कार्यरत रहने के कारण क्या हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

(1) तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में 5 वर्ष से अधिक कार्यरत 9 चिकित्सा अधिकारी हैं ।

(2) मोती लाल नेहरू चिकित्सालय इलाहाबाद में एक चिकित्साधिकारी 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है ।

(3) टी0 बी0 अस्पताल तेलियरगंज में कोई चिकित्साधिकारी 5 वर्ष से ज्यादा समय से कार्यरत नहीं हैं ।

स्थानीय आवश्यकताओं तथा जनहित में इन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया ।

**जनपद बदायूं के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसौली के प्रभारी चिकित्साधिकारी/कर्मचारी द्वारा फर्जी नसबन्दी करने के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही**

3–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–11 द्वारा प्रेषित अर्द्ध शा0 पत्र एम-29/16-11-87-9 (228) 86 दि0 16 मई, 1987 के संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसौली, जनपद बदायूं के प्रभारी चिकित्साधिकारी/कर्मचारी को फर्जी नसबन्दी के लिए दोषी पाया गया था? उक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**बरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भमोरा. के निलम्बित लेखा लिपिक श्री मुरारी लाल सिन्हा की बहाली**

4–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री मुरारी लाल सिन्हा, निलम्बित लेखा लिपिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भमोरा, बरेली को माननीय जुडिशियल आफिसर, आंवला, बरेली ने दिनांक 29-3-79 को दोषमुक्त कर दिया था किन्तु अभी तक विभाग द्वारा उन्हें बहाल न किए जाने के क्या कारण है ? क्या मंत्री जी श्री सिन्हा को तुरन्त बहाल करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जुडिशियल आफिसर, आवला, बरेली, द्वारा श्री मुरारी लाल सिन्हा को भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 के अधीन दोषी पाया गया था तथा चेतावनी दी गयी थी। चूंकि श्री सिन्हा को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त नहीं किया गया, अतः उन्हें बहाल नहीं किया गया उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है ।

**प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवंटित वाहनों की संख्या एवं उनका उच्चाधिकारियों द्वारा प्रयोग**

5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने प्रा0 स्वा0 केन्द्र ऐसे हैं जिन पर कोई वाहन आवंटित नहीं है ? क्या प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर वाहन आवंटित न करके उन वाहनों का प्रयोग विभाग के उच्च अधिकारियों (जिनको नियमानुसार सुविधा उपलब्ध नहीं है), द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है नाप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 907 खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उनके लिये 907 वाहन आवंटित हैं । शेष सूचना प्राप्त की जा रही है ।

**मत्स्य विकास निगम द्वारा दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ व नियमित रूप में की गई अनियमित नियुक्तियां**

6– श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मत्स्य विकास निगम ने 1 अक्तूबर, 1987 से दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ तथा नियमित रूप से कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या यह नियुक्तियां शासनादेश संख्या-1184/चौवालीस-2-14/च0 स0 11-9-87 में उल्लिखित आदेशों के अनुसार की गई हैं ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री अरूण कुमार सिंह)–

दिनांक 1 अक्टूबर, 87 के बाद 35 कर्मचारी दैनिक वेतन पर अल्प अवधि के लिए रखे गये थे जिनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं ।

चूंकि नियुक्तियां अल्प अवधि के लिए की गयी थीं अतः शासनादेश संख्या-1184/चौवालीस-2-14/च0 स0/1987 का उल्लंघन नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

7–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[उसे गुरुवार के लिए स्थगित]

**एटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिद्धपुर में की गई नसबन्दी की सूची सदन के पटल पर रखना**

8–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जनपद एटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिद्धपुर में वर्ष 1987 के माह सितम्बर से दिसम्बर तक नसबन्दी किये गये पुरुष एवं महिलाओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है । प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जावेगी ।

**लखनऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनी नगर के आडिट में पाई गई अनियमितताओं के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

9—श्री चंतराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 2 वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनीनगर लखनऊ का आडिट स्वास्थ्य निदेशालय के आडिटरों द्वारा किया गया है और उसमें भारी अनियमिततायें पायी गयी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उन्हें लखनऊ से बाहर तत्काल स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध कर्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनी-नगर लखनऊ का दिनांक 15/16 जुलाई 1986 को निरीक्षण हुआ और दिनांक 3-8-87 से दिनांक 19-8-87 तक विशेष समीक्षा कराई गई, जिसमें काफी वित्तीय अनियमिततायें गई । दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जानी है । कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण हो चुका है दोष निर्धारण की प्रक्रिया की पूर्ति के उपरान्त ही शेष कार्यवाही सम्भव है ।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हर्रैसर बाजार जिला बस्ती के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए नसबन्दी आपरेशन एवं उस सम्बन्ध में लिए गये शुल्क की कैश बुक में प्रविष्टि**

10—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हर्रैसर बाजार बस्ती के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नसबन्दी में प्रशिक्षित हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी ने 1986-87 तथा 1987-88 मार्च तक जिले के किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किस-किस के नसबन्दी आपरेशन किया है, उनके नाम और पते क्या हैं तथा उनके प्रेरक कौन हैं ? क्या नसबन्दी आपरेशन किये गये व्यक्तियों को इनसेन्टिव मनी तथा प्रेरणा शुल्क जो दी गई है वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कैशबुक में उसकी अलग-अलग प्रविष्टि की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

बृहत सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है । जहां से विधायक महोदय अपनी सुविधानुसार किसी भी समय देख सकते हैं ।

जी नहीं प्रेरणाशुल्क एवं इनसेंटिव मनी की धनराशि कैश बुक में एक मुश्त अंकित है । अलग-अलग अंकित करना नियमों के अन्तर्गत आवश्यक नहीं है ।

## लखनऊ के सरोजनी नगर अन्तर्गत फतेहगंज आदि स्थानों में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्साधिकारियों की तैनाती

11—श्री शारदा प्रताप—

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत फतेहगंज, हरौनी एवं चन्द्रावल में वर्ष 1985-86 एवं बेहटा में वर्ष 1986-87 में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों की तैनाती कब की गई तथा उनके नाम क्या-क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए वर्ष 1987-88 में कितने रुपये की दवाइयां एवं अन्य चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई गई ? उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्साधिकारी शासनादेश सं0 6419/5-7-107/82 दिनांक 22 सितम्बर, 1987 के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जहां आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, में ही बैठ रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में रिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कर दी जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहगंज हरौनी चन्द्रावल एवं बेहटा में चिकित्साधिकारियों के तैनाती की तिथि निम्नवत् है:—

(क) फतेहगंज-डा0 सुधीर पाण्डेय—23.11.87

(ख) हरौनी-(अ) डा0 ए0 के0 सिंह 7-7-87 से 1-6-88 तक (ब) डा0 ए0 के0 जैन-9-6-88 से

(ग) चन्द्रावल—(अ) डा0 एस0 एच0 ए0 रिजवी 4-6-87 से 10-8-87 (ब) डा0 आर0 आर0 आचार्य—26-5-88 से

(घ) बेहटा—(अ) डा0 एस0 एस0 त्रिवेदी-(सितम्बर 1987 से दिसम्बर 1987 तक) (ब) डा0 अनिल कुमार 28 जनवरी, 88 तक (स) डा0 सी0 बी0 गुप्ता सी0 एच0 ओ0—13-6-88 से

फतेहगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए वर्ष 1987—88 में 5000 रुपये की औषधियां एवं अन्य सामग्री उपमुख्य चिकित्साधिकारी तृतीय द्वारा उपलब्ध करायी गयीं । हरौनी चन्द्रावल एवं बेहटा के लिये प्रत्येक को दो हजार रुपये की औषधियां तथा पांच सौ रुपये की अन्य सामग्री उपलब्ध करायी गयी । उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्साधिकारी कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण वहां न बैठकर उपकेन्द्रों एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन कर रहे हैं । मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के पद भरे हुये हैं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

**बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजे गये शासनादेश पर कृत कार्यवाही**

12–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 1986 तथा 14 नवम्बर, 86 के आधार पर शासन द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती को भेजे गये शासनादेश संख्या एम0 एम0 36/5-566/86 दिनांक 22 दिसम्बर, 1986 के क्रम में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत शासनादेश के क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चेंतिया के भवन-निर्माण के स्वीकृति आदेश दिनांक 3-10-88 को जारी किये गये । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चेंतिया के भवन निर्माण हेतु 6.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है और निर्माण एजेन्सी को भूमि हस्तगत की जा चुकी है ।

**ललितपुर जनपद के सौरई आदि गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही**

13–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के दूरदराज के गांव सौरई, गिरार, कुम्डेही, बालाबेहट पाल, थौरी, कलेगुवां पारौन, देवराज, मदनपुर आदि बड़े गांवों में प्रा0 स्वा0 केन्द्र खोलकर जनता को स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का शासन का कोई विचार है ? इनमें से कितने ऐसे गांव हैं जिनमें अभी तक किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 30 हजार एवं पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 20000 की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है । "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना" नामक योजना जिला सेक्टर योजना का अंग है । जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने एवं जिला नियोजन तथा अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही स्थापना की शासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है । वर्तमान में प्रश्न में उल्लिखित सभी गांवों में कोई न कोई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की ईकाई उपलब्ध है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

**गोरखपुर जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज मिठौरा एवं परतावल में की गई फर्जी नसबन्दियों के आरोपों की जांच**

14–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री कौशल किशोर चौबे जनता पार्टी महराजगंज (गोरखपुर) ने गत माह इस आशय की शिकायत विभाग को किया है कि गोरखपुर जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज, मिठौरा एवं परतावल में पिछले करीब एक वर्ष से जितने लोगों की नसबन्दी हुई है, उसमें आधे से अधिक फर्जी हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ने उक्त आरोपों की जांच कराने के आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा एवं यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**मुरादाबाद की इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच व प्रबन्धक के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

15–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री दलपतपुर मुरादाबाद के सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध सन् 1987-88 में श्रमिक संगठनों द्वारा कुल कितनी शिकायतें की गयीं तथा उनके आधार पर उक्त सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सहकारिता वर्ष 1987–88 (दि0 1-7-87 से दि0 30-6-88 तक) में विभिन्न श्रमिक संगठनों से इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद के सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध कुल पांच शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं ।

उक्त शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन में वर्ष 83 से की गयी विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती व पदोन्नति**

16–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन में सन् 1983 से अब तक कुल विभिन्न पदों पर कितनी सीधी भर्ती की गयी तथा कितने कर्मचारियों की विभिन्न पदों पर पदोन्नति की गयी क्या यह फेडरेशन के सेवा नियमों के अन्तर्गत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन में जनवरी, 1983, से दिसम्बर, 1988 तक विभिन्न श्रेणी के पदों पर की गयी सीधी भर्ती तथा पदोन्नतियों का विवरण अनुलग्नक "एक" में दिया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 93-94 पर)

**जनपद मुरादाबाद के थाना मूढ़ा पांडा में इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री दलपतपुर में कोयला कम पाये जाने की रिपोर्ट एवं उस संबंध में कृत कार्यवाही**

17–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दि0 7-2-88 को अचानक इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री दलपतपुर मुरादाबाद का निरीक्षण किया था और 205 टन कोयला कम पाया गया था जिसका मु0 अ0 सं0 96/88 धारा 409 का दि0 10-2-88 को थाना मूढ़ा पांडा पर पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, मा0 प्रश्नकर्ता द्वारा थाना मूढ़ा पांडा , जनपद - मुरादाबाद में इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री , दलपतपुर में 205 टन कोयला कम पाये जाने के संबंध में "प्रथम सूचना रिपोर्ट" पंजीकृत करायी गयी थी । पुलिस द्वारा छानबीन करने के पश्चात् जुर्म का होना नहीं पाया गया ।

**मुरादाबाद की इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री दलपतपुर की 125 हा0 पा0 मोटर की चोरी एवं उसकी वापसी के लिए धनराशि का दिया जाना**

18–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री , दलपतपुर मुरादाबाद की कोई 125 हा0 पा0 की मोटर , थाना मूढ़ा पांडा मुरादाबाद की पुलिस ने किसान इन्जीनियरिंग वर्क्स दलपतपुर मुरादाबाद पर माह फरवरी, 88 में सील कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या वह मोटर बिना गेट पास बिना वर्क आर्डर के वहां पहुंची थी ? क्या इस चोरी से बेचे गये मोटर को वापिस लेने के लिए सरकार उक्त इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक छुन्नू खां को पैंतीस हजार रुपये का भुगतान कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

**कृषि सेवा वर्ग 2 से 1 में की गई पदोन्नतियों की सूची बनाये जाने का आधार एवं कृषि सेवा वर्ग 2 के धारा 80 सी0 पी0 सी0 सदस्यों द्वारा दिया नोटिस एवं उस पर कृत कार्यवाही**

19–कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सेवा वर्ग 2 से 1 में पदोन्नति की लिस्ट वर्ष 79-80 से 83-84 तक बनाई गयी थी ? यदि हां, तो उस लिस्ट के बनाने का आधार क्या था और कितने कृषि सेवा वर्ग-2 के कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति करके वरिष्ठों को नहीं लिया है और उन्हें न लेने का क्या कारण है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी नहीं । पदोन्नति के लिये कोई लिस्ट नहीं बनाई गयी बल्कि ज्येष्ठता सूची के आधार पर प्रोन्नति की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1979-80 से 83-84 तक की अवधि में वर्ग-2 के 522 सदस्य वर्ग-1 में पदोन्नति किये गये । 294 वरिष्ठ सदस्यों को नहीं लिया गया क्योंकि इनमें से 213 सदस्य लम्बी अवधि से अज्ञात थे, 2 निलम्बित थे तथा 79 सदस्यों की चरित्र पंजिकायें एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं थे ।

20–कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वर्ष 1979-80 से 83-84 तक की वह लिस्ट क्या है ? क्या उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सेवा वर्ग–2 के कितने सदस्यों ने धारा 80 सी0 पी0 सी0 का नोटिस दिया है और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

वह सूची ज्येष्ठता सूची है ।

एक सदस्य श्री त्रिलोक चन्द्र ने नोटिस दिया है । नोटिस पर जिला सरकारी वकील (दीवानी) की राय ली गयी है ।

**श्री त्रिलोक चन्द्र पुत्र श्री बाल किशन कृषि सेवा वर्ग–2 की पदोन्नति न करने का कारण**

21–कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री त्रिलोक चन्द्र पुत्र श्री बाल किशन कृषि सेवा वर्ग–2 ज्येष्ठता सूची (1983) के अनुसार उनका क्रमांक 808 है और उनके कनिष्ठ सदस्यों को पदोन्नति में ले लिया गया है, उनको न लेने का क्या कारण है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

वर्ष 1980 में पदोन्नति के समय विचार करते समय श्री त्रिलोक चन्द्र से कनिष्ठ सदस्यों को लिया गया ।

उनकी चरित्र - पंजिका उपलब्ध नहीं थी

**सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुक्ला बाजार के एम0 ओ0 के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही**

22–श्री मूल चन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुक्ला बाजार सुल्तानपुर के एम0 ओ0 श्री शर्मा के विरुद्ध नेता विरोधी दल का शिकायती पत्र संख्या 5974 दिनांक 16-10-88 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद लखनऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन चिकित्साधिकारियों के वेतन भुगतान की मांग पर कृत कार्यवाही**

23—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन चिकित्साधिकारियों के माह अप्रैल, 1984 के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है तथा भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन चिकित्साधिकारी डा0 बी0 के0 मिश्रा का माह अप्रैल, 1984 का बकाया वेतन का भुगतान विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति के अभाव में नहीं हो सका । नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही शीघ्र कराने के निर्देश दे दिये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

24—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**इलाहाबाद के टी0 बी0 अस्पताल तेलियरगंज को दवाओं आदि के लिए आवंटित धनराशि एवं भर्ती मरीजों के इलाज का विवरण**

25—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टी0 बी0 अस्पताल तेलियरगंज इलाहाबाद को वर्ष 86—87, 87-88 तथा 88-89 में अब तक मरीजों के दवाओं, भोजन आदि के लिए अलग-अलग कितना बजट उपलब्ध कराया गया और इन वर्षों में कितने मरीजों को भर्ती करके इलाज किया गया ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

टी0 बी0 अस्पताल, तेलियरगंज, इलाहाबाद को वर्ष 1986—87, 1987-88 एवं 1988-89 में दवाओं एवं भोजन हेतु निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गयी :—

| | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 |
|---|---|---|---|
| औषधि | | | |
| रु0 | 1,02,000 | 1,55,000 | 1,50,000 |
| आहार | | | |
| रु0 | 1,25,000 | 2,50,000 | 3,50,000 |

वर्ष 1986—87, 1987-88 तथा 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) में क्रमशः 1200,972 तथा 946 मरीजों को भर्ती कर इलाज उपलब्ध कराया गया ।

**इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में नियुक्त डाक्टरों की संख्या व समय**

26—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेज बहादुर सप्रू अस्पताल इलाहाबाद में इस समय कितने डाक्टर नियुक्त हैं और कौन-कौन डाक्टर कितने समय से नियुक्त हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 95 पर)

**होम्योपैथिक विभाग उ0 प्र0 शासन में डा0 राम निवास राय आदि को विनियमित करने की जांच**

27—श्री मूलचन्द तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि होम्योपैथिक विभाग उ0 प्र0 शासन में श्री भार्गव उप सचिव ने डा0 राम निवास राय, प्रवक्ता कानपुर, डा0 हरिशंकर राय प्रवक्ता गाजीपुर तथा डा0 एस0 एन0 सक्सेना प्रवक्ता को प्रवक्ता के पद पर सेवा बाधा के उपरान्त भी विनियमित कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन इस मामले की जांच करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

प्रश्न में उल्लिखित होम्योपैथिक के प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण अवश्य किया गया, किन्तु जिस अवधि में विनियमितीकरण किया गया उस समय श्री भार्गव, उप सचिव होम्योपैथिक का कार्य नहीं देखते थे ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

**बरेली नगर के पुराना शहर क्षेत्र के जगतपुर हेल्थ केयर यूनिट उच्चीकरण की मांग पर कृत कार्यवाही**

28—डाक्टर दिनेश जोहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर के पुराना शहर क्षेत्र में स्थित जगतपुर हेल्थ केयर यूनिट के उच्चीकरण की मांग इस क्षेत्र के नागरिक काफी समय से कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

जगतपुर हेल्थ केयर यूनिट का भवन जिला परिषद् बरेली का है और उसका स्थानान्तरण अभी तक नहीं हुआ है । उच्चीकरण हेतु साढ़े तीन एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जो वहां पर उपलब्ध नहीं है । अतः उच्चीकृत चिकित्सालय नहीं बनाया जा सकता है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

**पदमुक्त निदेशक डा0 जी0 एस0 जौहरी, इण्डियन पापुलेशन प्रोजेक्ट के पेंशन आदि के भुगतान की मांग पर कृत कार्यवाही**

29–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 जी0 एस0 जौहरी इण्डियन पापुलेशन प्रोजेक्ट के निदेशक के पद से 30 जून, 85 को पदमुक्त हुए थे किन्तु अभी तक उनकी प्रोवीजनल पेंशन, पेंशन ग्रेच्युटी एवं 6 माह का अवकाश का नकदीकरण तथा अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया गया है ? इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी डा0 जौहरी की पेन्शन ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभों का तुरन्त भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

शासनादेश संख्या–4448 सेक-3/पांच-1(56)/84 दिनांक 29-6-85 द्वारा डा0 जी0 एस0 जौहरी पी0 एम0एस0 के प्रत्यावेदन के विचारोपरान्त उन्हें दिनांक 21 जून, 1985 को पूर्वान्ह में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश से लौटने पर अपने पूर्व पद से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की गई । उनके पक्ष में विभाग द्वारा पेंशन/ग्रेच्युटी आदि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाण पत्र इस कारण-वश जारी नहीं हुआ है क्योंकि निदेशक आई0 पी0 पी0 के पद पर तैनाती के समय डा0 जौहरी द्वारा शिक्षात्मक पुस्तकें क्रय करने में की गई गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं द्वारा लगभग रु0 5-30 लाख की शासकीय हानि का मामला प्रकाश में आया है । अतः ग्रेच्युटी/पेन्शन का भुगतान उनके प्रश्नगत मामले में शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरांत किया जाना सम्भव हो सकेगा । डा0 जौहरी को 6 माह का नकदीकरण अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है । उन्हें रु0 1,573/- प्रतिमाह की दर से अनन्तिम पेन्शन भी स्वीकृत की जा चुकी है ।

**प्रभारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी जिले की वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाना**

30–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रभारी कृषि रक्षा अधिकारी प्रभारी उप कृषि निदेशक तथा वर्तमान में प्रभारी संयुक्त कृषि निदेशक (पूर्ति) को प्रदेश स्तर की वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रभारी जिला कृषि अधिकारी जिले की वरिष्ठता के आधार पर बनाये जाने का क्या कारण है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

पूर्व में प्रभारी कृषि रक्षा अधिकारी, प्रभारी उप कृषि निदेशक प्रदेश की ज्येष्ठता के आधार पर बनाये गये । वर्तमान में संयुक्त कृषि निदेशक (पूर्ति) के रिक्त पद के सापेक्ष श्रेणी–1 के अधिकारी को कार्यहित में तैनात किया गया है जिसको पूर्ति का कार्य देखने के आदेश दिये गये हैं ।

जिन टी0 एण्ड वी0 जनपदों में जिन कृषि अधिकारी के पद रिक्त हैं एवं जब तक टी0 एण्ड वी0 जनपदों में जिला कृषि अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है तब तक टी0 एण्ड वी0 जनपदों के वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी के समस्त प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये गये हैं । उप निदेशक (प्रसार) को टी0 एण्ड वी0 योजना के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी बनाया गया है ताकि उक्त योजना का सफल कार्यान्वियन हो सके ।

**सेवानिवृत्त श्री राम सरन निगम, मैकेनिक, कार्यालय कृषि रक्षा अधिकारी, कानपुर के पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान की कार्यवाही**

31—श्री राम पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री राम सरन निगम, मैकेनिक, कार्यालय कृषि रक्षा अधिकारी, कानपुर को अचानक 24 मार्च, 1987 को सेवा निवृत्त करके फरवरी, 1987 से सेवा-निवृत्त माना जा रहा है ? यदि हां, तो क्या श्री निगम को 24 मार्च, 87 तक के वेतन का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री निगम के पेंशन, ग्रेच्युटी व जी0 पी0 फण्ड के प्रकरण महालेखाकार को भुगतान हेतु भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस तिथि को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्री राम सरन निगम, मैकेनिक, को 58 वर्ष की आयु के पश्चात् कृषि रक्षा अधिकारी कानपुर के आदेश दिनांक 24-3-87 द्वारा दिनांक 28-2-87 से सेवा निवृत्त किया गया है ।

श्री निगम अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर दिनांक 28-2-87 से सेवा निवृत्त हुए हैं अतः उन्हें दिनांक 1 मार्च, 1987 से 24 मार्च, 1987 तक का वेतन दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री निगम के पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जी0 पी0 एफ0 प्रकरण संबंधी समस्त प्रपत्र अंतिम भुगतान हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को कृषि रक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 8-7-88 द्वारा भेजे दिए गए हैं और नियमानुसार उनकी अनन्तिम पेंशन, अनन्तिम ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा तथा 90% जी0पी0एफ0 का भुगतान भी किया जा चुका है ।

**लखनऊ, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलिहाबाद से ए0 एन0 एम0 पद से सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान की कार्यवाही**

32—श्री कृष्ण कुमार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1986, नवम्बर, 1986 तथा दिसम्बर, 1986 में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलिहाबाद लखनऊ से ए0 एन0 एम0 के पद पर सेवानिवृत्त हुए कितने कर्मचारियों को अभी तक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, अर्जित अवकाश नकदीकरण तथा जी0 पी0 एफ0 का भुगतान नहीं हो पाया है ? उक्त अल्प वेतन भोगी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समस्त देयों के भुगतान की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी ?

**श्री गोपी नाथ दीक्षित–**

प्रसंगत अवधि में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलिहाबाद में केवल सुधा रानी डे, ए0 एन0 एम0 ही सेवानिवृत्त हुई थी, उनका अर्जित अवकाश नकदीकरण तथा जी0 पी0 एफ0 मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। पेन्शन, ग्रेच्युटी, राशिकरण के संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलिहाबाद लखनऊ में इनके समस्त प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं।

प्रश्नगत समस्त देयों के भुगतान के संबंध में कार्यवाही यथाशीघ्र की जाएगी।

33–श्री मैनेजर सिंह–

[1ले सोमवार में अता0 प्र0 सं0 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जिला हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भरावन की मुन्नी बाजपेयी ए0 एन0 एम0 के विरुद्ध शिकायतों की जांच एवं कृत कार्यवाही**

34–श्री कल्यान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-8-88 को कार्यालय उप मुख्य चिकित्साधिकारी (हरदोई) द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भरावन जिला हरदोई की मुन्नी बाजपेयी ए0 एन0 एम0 के विरुद्ध शिकायतों की जांच की गयी है ? यदि हां, तो शिकायतकर्ताओं द्वारा क्या तथ्य प्रस्तुत किये गये तथा शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

**श्री गोपी नाथ दीक्षित–**

जी हां।

जांच अधिकारी के सम्मुख कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

जांच अधिकारी की संस्तुति पर कु0 मुन्नी बाजपेयी का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया है।

**गोवध निवारण अधिनियम की शर्तों के विपरीत जालौन जिले से बंगाल बैल भेजे जाने की शिकायत की जांच एवं कार्यवाही**

35–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री जानकारी देंगे की कृपा करेंगे कि गौ-वध निवारण अधिनियम की शर्तों के विपरीत जालौन जिले से बंगाल के लिए वर्ष 1982 के अन्त में करीब डेढ़ हजार बैल भेजे गये थे और इस संबंध में शिकायत होने के बाद निदेशालय पशुपालन उ0 प्र0 ने तत्कालीन जिला पशुधन अधिकारी जालौन को फरवरी, 83 के मध्य में पत्र भेजकर कानूनी कार्यवाही का आदेश दिया था, किन्तु फिर भी तत्कालीन जिला पशुधन अधिकारी उरई ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

वर्ष 1982 के अन्त में केवल 452 बैलों के प्रदेश से बाहर हावड़ा के लिए निर्यात के अनुज्ञा पत्र दिये गये थे।

निदेशक, पशुपालन ने दिनांक 24-2-83 को जिला पशुधन अधिकारी जालौन-उरई को शिकायतों पर समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये थे, जिसके अनुपालन में जिला पशुधन अधिकारी, जालौन ने गो-वध निवारण अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में थाना कोंच जनपद जालौन, में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी और मुकदमा जुडिशियल मजिस्ट्रेट उरई जनपद के न्यायालय में विचाराधीन है।

36-श्री राम आसरे वर्मा-

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

**प्रदेश में हैजे से वर्ष 1988 में लोगों की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

37-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष हैजे से प्रदेश में कितनी मौतें हुयी हैं ? किन-किन जिलों में कितने-कितने आदमी मरे हैं ? क्या उसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित-

वर्ष 1988 में प्रदेश में कुल 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

केवल जनपद लखनऊ में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

**जनपद मुरादाबाद के ग्राम-सकटू नगला में यू0 पी0 एग्रो का गेहूं खरीद केन्द्र खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही**

38-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सकटू-नगला जनपद मुरादाबाद में यू0 पी0 एग्रो के द्वारा गेहूं खरीद केन्द्र पिछले कई वर्षों से खोला जा रहा है ? यदि हां, तो क्रय केन्द्र वर्ष 88 में न खोले जाने के क्या कारण थे ? इस सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों द्वारा दिनांक 16-4-88 तथा 18-4-88 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित क्षेत्र के कृषकों को गेहूं खरीद केन्द्र न खोलने से जो क्षति पहुंची है उसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल-

जी हां।

वर्ष 1988 के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित क्रय केन्द्रों में सकटूनगला गेहूं क्रय केन्द्र यू0 पी0 एग्रो के लिए स्वीकृत नहीं किया गया। अतः एग्रो द्वारा सकटूनगला में गेहूं क्रय केन्द्र नहीं खोला गया और क्षेत्रवासियों के कथित पत्रों पर इस कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। क्रय केन्द्र न खोले जाने के संबंध में एग्रो के किसी भी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में चिकित्साधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवानियमावली की उपलब्धता एवं उनका प्रकाशन**

39–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 आयुर्वेदिक यूनानी विभाग में चिकित्साधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा नियमावली उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारियों की सेवा नियमावली कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में निम्नलिखित सेवा नियमावलियां उपलब्ध हैं :–

1–अधीनस्थ (राजपत्रित) चिकित्सा सेवा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) नियमावली 1964

2–आयुर्वेदिक एवं यूनानी कम्पाउन्ड्र्स सेवा नियमावली, 1963

3–उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979

निम्नलिखित सेवाओं के लिये नियमावलियों के प्रस्थापन के लिए शासन स्तर पर कार्यवाही प्रगति पर है ।

1–शिक्षक संवर्ग

2–वैयक्तिक सहायक

3–नर्सिंग सेवा

4–लिपिक वर्गीय सेवा

**बरेली की क्षेत्रीय परिवहन कार्यशाला में असिस्टेन्ट इंजीनियर की तैनाती हेतु प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही**

40–डाक्टर बंगाली सिंह,
श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा
श्री श्याम बिहारी सिंह

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यशाला बरेली में असिस्टेन्ट इन्जीनियर के पद पर दो वर्ष से एक डाक्टर अधिकारी को तैनात किया हुआ है ? वहां इन्जीनियर की तैनाती हेतु विधायक श्री अकबर अहमद डम्पी का पत्र दिनांक 7-5-88 तथा अन्य विधायकों से कोई पत्र शासन एवं विभाग को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इसी सम्बन्ध में शासन ने भी नवम्बर, 87 में कोई आदेश निदेशालय को दिए थे ? यदि हां, तो उक्त कार्यशाला में इंजीनियर की तैनाती की गयी ? यदि नहीं, तो उसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

मा0 श्री अकबर अहमद डम्पी का पत्र प्राप्त हुआ है ।

महानिदेशक से आख्या मांगी गयी है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

महानिदेशक से आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही सम्भव होगी ।

**झांसी जिले की तहसील गरौठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण**

41—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी जिले की चार तहसीलों में से तीन तहसीलों के एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी झांसी जिले की सबसे पिछड़ी सबसे अधिक दूरी पर स्थित गरौठा तहसील के किसी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को इसी वर्ष उच्चीकृत किये जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां, ।

तहसील गरौठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का प्रस्ताव वर्ष 1989-90 की जिला प्लान में रखा गया था किन्तु धनाभाव के कारण राज्य नियोजन आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया । इस कारण इसी वर्ष ऐसे आदेश जारी करना संभव नहीं है।

**फैजाबाद के नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रसार निदेशक के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही**

42—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलपति डा0 कीर्ति सिंह एवं डा0 आर0 पी0 सिंह प्रसार निदेशक के विरुद्ध शिकायती पत्र के आधार पर गम्भीर अनियमितताओं सम्बन्धी जांच प्रकरण कृषि सचिव को प्रेषित आ0 स0-236/वी0 आई0 पी0/के0 एम0-88 दिनांक लखनऊ 29 अगस्त, 88 के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है ? जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उन्होंने जांच कार्यवाही आरम्भ कर दी है कि नहीं ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

शिकायतों की जांच विशेष सचिव, कृषि को सौंपी गई ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । जांच केवल श्री अशोक कुमार विशेष सचिव ने किया ।

**आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के वर्तमान प्रबन्ध परिषद् में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण व्यवस्था**

43—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रश्न गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 130 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा 10 में संशोधन कर प्रबन्ध परिषद् के गठन में अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व देने पर और आरक्षण सुनिश्चित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में संशोधन के लिए विधान परिषद् की प्रवर समिति की संस्तुति प्राप्त हुई है, उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

44–श्री मित्रसेन–

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

45–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में कौन-कौन लोग दोषी हैं ? तत्कालीन वित्त नियंत्रक द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की आपत्तियों पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

वित्तीय अनियमितताओं पर विशेष संपरीक्षा के लिए पत्रांक 2127/12-8-87-400(246)/84, दिनांक 23 जून, 1988 द्वारा निर्णय लिया गया है ।

विशेष आडिट रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी ।

**चिकित्सा विभाग के चिकित्सालयों के भवनों आदि की मरम्मत व रख-रखाव हेतु मानक निर्धारण एवं वित्तीय वर्ष 1987-88 हेतु धन का आवंटन**

46–श्री शारदा प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग में शासन द्वारा चिकित्सालयों के भवनों, साज, सज्जा व उपकरणों की मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु तीन प्रतिशत का मानक निर्धारित किया गया ? यदि हां, तो क्या उस मानक के अनुसार परिधिगत अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 1987-88 में धन का आवंटन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या धन का आवंटन निकट भविष्य में कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

चिकित्सालयों के भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिये पिन्थ एरिया के अनुसार अनावासीय भवनों के लिये रुपये 16/-प्रतिवर्ग मीटर तथा आवासीय भवनों के लिये रुपये 11/- प्रतिवर्ग मीटर का मानक निर्धारित किया गया है ।

उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु शासनादेश संख्या-4635 सेल-6/पांच-337/84, दिनांक 25-10-1986 द्वारा उपकरणों की वास्तविक कीमत का अधिकतम 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष व्यय करने का मानक निर्धारित किया गया है। साज-सज्जा एवं मरम्मत हेतु अलग से कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 1987-88 में मानक के अनुसार परिधिगत अधिकारियों को धन का आवंटन कर दिया गया है।

47 से 48–श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री मैनेजर सिंह–
[तीसरे गुरुवार के लिये स्थगित]

49–श्री अशोक बाजपेयी–
[तीसरे गुरुवार के लिये स्थगित]

**जनपद बस्ती के रसायनिक खाद विक्रेता श्री राम लखन कस्बा बभनान द्वारा नकली खाद की बिक्री करने के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

50–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कस्बा बभनान जनपद बस्ती के रासायनिक खाद विक्रेता श्री राम लखन पुत्र श्री भगवती प्रसाद निवासी बभनान बाजार जिला बस्ती के द्वारा नकली खाद की बिक्री करने के अभियोग में उनका गोदाम नवम्बर, 1987 में तहसीलदार हर्रैया जिला बस्ती द्वारा सील कर दिया गया था? यदि हां, तो पुनः उक्त गोदाम में खाद की बिक्री पुनः किसको लाइसेन्स देकर प्रारम्भ कर दी गयी है और उक्त दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

तहसीलदार, हर्रैया ने दिनांक 2 नवम्बर, 1987 को कस्बा-बभनान, जनपद बस्ती स्थित मेसर्स राम लखन गुप्ता की उर्वरक दूकान पर छापा मारकर जांच की। अनियमितता पाये जाने पर तहसीलदार, हर्रैया ने उर्वरक स्टाक को सीज करके श्री कालीदीन की सुरक्षित सुपुर्दगी में दे दिया तथा एन0 पी0 के0 15-15-7.5 उर्वरक स्टाक का नमूना ग्रहण किया और थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी।

विक्रेता ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उक्त के सम्बन्ध में याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर, बस्ती ने आदेश दिनांक 12-7-1988 द्वारा सीज उर्वरक को पर्सनल बांड तथा दो जमानतों पर अवमुक्त करने का आदेश पारित कर दिया था।

तहसीलदार, हर्रैया द्वारा ग्रहित उर्वरक नमूना विश्लेषण उपरान्त अमानक पाये जाने पर उक्त फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 11-1-1989 को निरस्त कर दिया गया है।

**स्वास्थ्य निदेशालय में परिवहन अनुभाग के कार्यरत स्टेनोग्राफर का स्थानान्तरण**

51–श्री मूलचन्द्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय में परिवहन अनुभाग के किन्हीं स्टेनोग्राफर के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच तथा तबादले के लिए शासन एवं विभाग को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-4-88, दि0 2-6-88 तथा 3-10-88 एवं सांसद श्री कैलाश यादव के पत्र 28-7-87 प्राप्त हुए? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

निदेशक से जांच कराई जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है। इस मध्य श्री बी0 एन0 श्रीवास्तव के परिवहन अनुभाग से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश निदेशक (प्रशासन) को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद देवरिया, तहसील सलेमपुर विकास खण्ड भटनी अन्तर्गत ग्राम सभा–खजुरी करौता में मलेरिया विभाग द्वारा कीटनाशक दवा का छिड़काव न कराना**

52–श्री भगौती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया तहसील–सलेमपुर, विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम सभा–खजुरी करौता में सन् 1985-86, 86-87 व 87-88 में मलेरिया विभाग से कीटनाशक दवा कब-कब और किस किस तारीख को छिड़की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी इसमें दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे और दवाओं को समय-समय से छिड़कवाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वर्ष 1985-86, 86-87 एवं 87-88 में प्रश्नगत ग्राम में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया।

निर्धारित पैटर्न के अनुसार प्रति हजार जनसंख्या में दो मलेरिया पाजेटिव केस निकलने पर ही छिड़काव कराया जाता है। ग्राम खजुरी, करौता में उक्त वर्षों में कोई भी मलेरिया पाजेटिव केस नहीं पाये गये थे, इसलिए छिड़काव नहीं किया गया। अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

**फैजाबाद के डा0 राम प्रताप सिंह, प्रसार निदेशक, कृ0 वि0 वि0, कुमार गंज के प्रतिकुलपति के रूप में निर्धारित अवधि से अधिक कार्यरत होने के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

53–श्री मित्रसेन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 राम प्रताप सिंह, प्रसार निदेशक, कृ0 वि0 वि0, कुमारगंज, फैजाबाद प्रतिकुलपति के रूप में विश्वविद्यालय में अध्यादेश द्वारा प्रतिकुलपतियों की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कार्यरत थे? यदि हां, तो इस अवधि के दौरान उनके द्वारा विशेष वेतन आहरित करने की कुल धनराशि तथा अतिरिक्त अवधि क्या है? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां।

अतिरिक्त अवधि एक वर्ष सात माह सत्रह दिन और इस अवधि में मानदेय के रूप में आहरित धनराशि रुपये 5880/- मात्र है।

अतिरिक्त अवधि में आहरित की गई धनराशि रु0 5880/- उनके द्वारा दिनांक 13-12-88 को विश्वविद्यालय के खाते में जमा कर दी गई है।

**29 जुलाई, 1988 के पत्र नवभारत टाइम्स में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्यों का प्रकाशन**

54–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-8-88 का पत्र नवभारत टाइम्स के 29 जुलाई, 1988 की कटिंग के साथ जिसमें "स्वास्थ्य विभाग पत्रकारों को आंकड़े नहीं देता" शीर्षक से स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी गम्भीर तथ्य प्रकाशित किये गये हैं, शासन को मिल गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**वर्ष 88 में मुख्य चिकित्साधिकारियों के पदों पर की गई नियुक्तियां**

55–श्री भगवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 88 में मुख्य चिकित्साधिकारी पद पर कितने लोगों की नियुक्तियां की गई, उनमें से कितनी अधीक्षक पद से हैं? चिकित्साधिकारी पद से किस-किस को मुख्य चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वर्ष 1988 में मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा समकक्ष पदों पर 26 नियुक्तियां की गयीं। इनमें से एक पर अधीक्षक पद से तथा 25 अन्य पदों पर समकक्ष पदों से प्रोन्नति द्वारा की गई। चिकित्साधिकारी पद से मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उसके समकक्ष किसी भी पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है क्योंकि चिकित्साधिकारी के पद से पहले अधीक्षक, उप मुख्य चिकित्साधिकारी तथा समकक्ष पदों पर प्रोन्नति की जाती है और मुख्य चिकित्साधिकारी का पद उससे एक स्तर और उच्च श्रेणी का है।

**प्रदेश में नसबन्दी कराने हेतु प्रेरित करने वाले अधिकारियों को पारितोषिक के नाम पर खर्च के सम्बन्ध में**

56–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 86-87 एवं 87-88 में नसबंदी कराने वालों को प्रेरित करने वालों को एवं विभिन्न अधिकारियों को पारितोषिक (इन्सेन्टिव) के नाम पर कुल कितना-कितना धन दिया गया ? परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहयोग करना अधिकारियों के कर्तव्य में शामिल होने पर अधिकारियों को इन्सेन्टिव के नाम पर धनराशि देने का क्या औचित्य है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

**लखनऊ के राजकीय उद्यान आलमबाग द्वारा वर्ष 1985 से वर्ष 1988 तक पौधों के क्रय-विक्रय के विवरण का लेखा-जोखा सदन के पटल पर रखने की मांग**

57—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उद्यान आलमबाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 1985 से वर्ष 1988 तक कितने रुपये के पौधे कहां-कहां से मंगाये गये हैं तथा इनकी बिक्री स्वरूप वर्ष 1985 से अक्तूबर, 1988 तक कितना धन बिक्री मूल्य के रूप में उद्यान द्वारा अर्जित किया गया है? क्या सरकार को जानकारी है कि अधीक्षक, राजकीय उद्यान आलमबाग, लखनऊ द्वारा बड़े पैमाने पर पौधों को उपहार स्वरूप अपने निजी एवं वी0 आई0 पी0 को दिया गया है? क्या सरकार उक्त अवधि से अब तक के पौधों के क्रय विक्रय का विवरण का लेखा-जोखा सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

राजकीय उद्यान आलमबाग लखनऊ द्वारा वर्ष 1985 से 1988 तक रु0 10,25,440·75 मूल्य के पौधे देश एवं प्रदेश की 35 नर्सरियों से क्रय किये गये।

प्रश्नगत अवधि में धनराशि रु0 10,07,974·80 बिक्री मूल्य के रूप में प्राप्त हुआ, तथा रुपये 85,583·50 मूल्य के पौधे अभी अवशेष हैं जिन्हें विक्रय, संग्रह एवं प्रदर्शन हेतु रखा गया है।

जी नहीं।

यह सूचना अत्यन्त विस्तीर्ण है, यदि मा0 सदस्य चाहें तो मेरे कक्ष में इसका अवलोकन कर सकते हैं।

**बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना में समायोजित स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के नियत मासिक यात्रा भत्ते में असमानता**

58—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना में समायोजित स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को, नियत मासिक यात्रा भत्ता का भुगतान अलग-अलग दरों से किया जा रहा है जबकि इस योजना में समायोजित उक्त संवर्गों के कर्मचारियों के वेतनमान 1-7-1979 से पुनरीक्षित कर असमानता को दूर कर दिया गया है? यदि हां, तो फिर नियत मासिक यात्रा भत्ता में ही असमानता का क्या कारण है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

अभी तक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता विभिन्न लेखा शीर्षकों से वेतन आहरित कर रहे हैं जिस कारण उनके नियत मासिक यात्रा भत्ते में असमानता है।

**निदेशक, परिवार कल्याण के पत्र सं0 प0 क0/3/स्था0/स्वा0 सहा0/एफ0 टी0 ए0/86/5382 दि0 20 अप्रैल, 1986 पर कृत कार्यवाही**

59–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या यह सही है कि निदेशक, परिवार कल्याण ने अपने पत्र संख्या प0 क0/3/स्था0 स्वा0 सहा0/एफ0 टी0 ए0/86/5382 दिनांक 29 अप्रैल, 1986 द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता को मैदानी क्षेत्र में रुपया 20.00 तथा पर्वतीय क्षेत्र में रुपया 25.00 और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को मैदानी क्षेत्र में रुपया 35.00 तथा पर्वतीय क्षेत्र में रुपया 45.00 नियत मासिक यात्रा भत्ता देने का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो अभी तक शासनादेश निर्गत न किये जाने का क्या कारण है? अब शासनादेश कब तक निर्गत हो जायेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

क्योंकि मामला वेतन समिति के विचार क्षेत्र में आता है। अतः इस प्रकरण पर शासन में पृथक से विचार नहीं किया गया।

**विधान सभा क्षेत्र पुरवा के केन्द्र हिलौली के सहायक कृषि निरीक्षक के फरार रहने के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

60–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के केन्द्र हिलौली के सहायक कृषि निरीक्षक के फरार रहने सम्बन्धी विधान सभा में प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र मा0 कृषि मंत्री को माह जुलाई, अगस्त, 88 में मिला है? क्या यह भी सही है कि इसी पत्र के अनुस्मारक सहित प्रश्नकर्ता का पत्र माह नवम्बर, 88 को तारीख 28 को मा0 कृषि मंत्री को मिला है? यदि हां, तो लगातार फरार व अक्सर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई है?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां।

जी नहीं।

28-10-88 को उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के समय यह पाया गया था कि सहायक कृषि निरीक्षक, हिलौली 17-10-88 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है। उनसे 25-10-88 से 7-12-88 तक की अवधि का चिकित्सीय अवकाश का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ। राजकीय कार्य प्रभावित न हो तथा कृषकों को कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्री ओम प्रकाश खरे, सहायक कृषि निरीक्षक मौरावां को बीज भण्डार हिलौली का प्रभार प्राप्त करने एवं सहायक कृषि निरीक्षक, हिलौली को जिला कार्यालय से सम्बद्ध करने का आदेश दि0 21-11-88 को निर्गत किया जा चुका है।

**कानपुर के एच0 बी0 टी0 आई0 के प्रोफेसर जी0 एन0 माथुर द्वारा कृत्रिम मानव रक्त बनाने की तकनीक विकसित करने के सम्बन्ध में**

61–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या चिकित्सा मंत्री को जानकारी है कि एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर के एक वैज्ञानिक प्रो0 जी0 एन0 माथुर ने कृत्रिम मानव रक्त बनाने की तकनीक विकसित कर ली है? क्या शासन स्तर पर इसका परीक्षण किया गया है? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आया? क्या सरकार व्यावसायिक स्तर पर इसके उत्पादन की प्रणाली विकसित करने हेतु कोई सहायता कर रही है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रो0 माथुर द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है कि उनके द्वारा कृत्रिम मानव रक्त बनाने की तकनीक विकसित कर ली गई है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**दुग्ध कर्मचारियों को पी0 सी0 डी0 एफ0 से अलग करने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही**

62–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का दुग्ध कर्मचारियों को पी0 सी0 डी0 एफ0 से अलग करने के सम्बन्ध में कोई पत्र 3 अगस्त, 1988 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जिला जौनपुर के महाराजा शिव नारायण मेमोरियल राजकीय एलोपैथिक अस्पताल रायपुर जमालापुर के भवन निर्माण की मांग**

63–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराजा शिवनारायण मेमोरियल राजकीय एलोपैथिक अस्पताल रायपुर जमालापुर जिला जौनपुर के भवन निर्माण के संबंध में दानदाता सर्वजीत सिंह रायपुर जमालापुर जिला जौनपुर में मई, 86 में तीन लाख रु0 व जमीन सी0 एम0 ओ0 जौनपुर के नाम जमा कर दिया है? क्या यह सही है कि मा0 राम सजीवन विधायक ने संयुक्त सचिव के आदेश की प्रति व बैंक की रसीद एवं ट्रस्ट का प्रस्ताव तथा स्पष्टीकरण के कागजात को अपने पत्र के साथ 16-7-88 को मा0 मुख्य मंत्री को भवन निर्माण के आदेश हेतु दिया है और भू0 पू0 स0 विधान सभा श्री उदल वाराणसी ने 8-8-88 को मा0 स्वास्थ्य मंत्री को पत्र दिया है? यदि हां, तो भवन निर्माण का आदेश दिया गया? यदि नहीं, तो क्या सरकार जल्द उक्त अस्पताल के भवन निर्माण का आदेश देने की कृपा करेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत दान शासन द्वारा स्वीकृत है। भूमि का विधिवत् हस्तान्तरण होना है। प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुए हैं। भवन-निर्माण की औपचारिकताओं की पूर्ति तथा दान स्वरूप दी गयी धनराशि के अतिरिक्त अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही भवन निर्माण संबंधी आदेश दिये जाने का प्रश्न उठेगा।

**मथुरा के जिला महिला चिकित्सालय में वरिष्ठ अधीक्षिका के रिक्त पद एवं महिला चिकित्सक के बारे में शिकायत की जांच हेतु कृत कार्यवाही**

64–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 विधायक श्री हुकुम चन्द तिवारी एडवोकेट मथुरा का दिनांक 4-5-88 का पत्र जो जिला महिला चिकित्सालय मथुरा में वरिष्ठ अधीक्षिका का पद गत तीन वर्षों से रिक्त होने तथा एक कार्यरत महिला चिकित्सक के बारे में शिकायत से संबंधित है, उन्हें मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शिकायतकर्ता से जांच के समय सम्पर्क स्थापित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्रश्नगत मामले की जांच के आदेश दिये गये हैं। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

**हरदोई, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय की किसी महिला चिकित्साधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश पालन न करने के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

65–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, हरदोई की किसी महिला चिकित्साधिकारी द्वारा मई, 1988 में स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरदोई ने पत्र संख्या टी-1/88/342 दिनांक 31-5-88 द्वारा निदेशक, आयुर्वेद को पत्र लिखा था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर उक्त महिला चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**हरदोई के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय के लिपिक के विरुद्ध शिकायतों की जांच एवं स्थानान्तरण**

66–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय हरदोई के लिपिक (श्री सुरेन्द्र बाबू वर्मा) द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध फार्मेसिस्ट संघ द्वारा जिलाधिकारी हरदोई को जनवरी, 88 से दिनांक 30

जून, 88 तक कितनी शिकायतें की गयीं ? उन पर अभी तक जांच न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करके उक्त जांच सम्पूर्ण कराकर सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जनवरी, 88 से 30 जून, 88 के मध्य श्री सुरेन्द्र बाबू वर्मा के विरुद्ध फार्मेसिस्ट संघ के दो शिकायती पत्र दिनांक 29-2-88 एवं 31-1-88 जिलाधिकारी, हरदोई के माध्यम से निदेशक, आयुर्वेद को प्राप्त हुए थे ।

प्राप्त शिकायती पत्रों पर उप निदेशक, यूनानी द्वारा जांच कराई गई है।

जी हां, श्री वर्मा, को जिलाधिकारी हरदोई एवं जांच अधिकारी की संस्तुति पर हरदोई से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

**जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम कमलपुर में तैनात मलेरिया अधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही**

67–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम कमलपुर में तैनात मलेरिया अधिकारी एवं अन्य संबंधित स्टाफ के खिलाफ प्रश्नकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र दिनांक 28-9-88 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नकर्ता का दिनांक 20 सितम्बर, 1988 का शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ बल्कि दिनांक 15 सितम्बर, 1988 का पत्र प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बरेली को जांच हेतु लिखा गया है। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

**वर्ष 1985 में आयुर्वेद विभाग में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची बनाने हेतु कृत कार्यवाही**

68–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद विभाग में लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1985 में चयनित चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा कोई शासनादेश जारी हुआ है? यदि हां, तो निदेशालय आयुर्वेद द्वारा उक्त शासनादेश के परिपालन में कोई वरिष्ठता सूची बन कर शासन के अनुमोदन हेतु भेजी गयी है? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

जी हां।

वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

**कृषि विभाग में चल रहे प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यता एवं स्थानान्तरण**

69—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में चल रहे प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है? प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना में नियुक्ति हेतु या सामान्य शाखा से इस योजना में स्थानान्तरण हेतु क्या जिले के अधिकारी सक्षम हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों को जो सामान्य शाखा से प्रशिक्षण योजना में जिले के अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरित कर दिये गये हैं, के संबंध में क्या हो रहा है? इस योजना में नियुक्ति के संबंध में विश्व बैंक के क्या निर्देश हैं ? क्या उन निर्देशों का पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना के किसान सहायक, कृषि प्रसार संगठक तथा एस0 ए0 एस0 ग्रुप-1 की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कृषि स्नातक है।

शासकीय कार्य के हित में जिले के अधिकारी सामान्य शाखा से प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना में वर्ग-3 के कर्मचारियों को केवल स्थानान्तरित करने के लिए सक्षम हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई निर्देश नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मिर्जापुर के श्री विजय बिहारी सिंह भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यकाल में श्रमिकों की मजदूरी का वितरण**

70—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजय बिहारी सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, चोपन जनपद-मिर्जापुर ने अपने चोपन के कार्यकाल में श्रमिकों की मजदूरी अपनी उपस्थिति में वितरित करायी है? यदि हां, तो उस परियोजना का नाम, सप्ताहान्त का दिनांक एवं मस्टर रोल की संख्या क्या-क्या है? यदि मजदूरी का भुगतान अपने सामने नहीं कराया, तो क्यों ? क्या सरकार लोक हित में केवल परियोजना मालोघाट, भटवा तथा रन्दौली के विगत वर्ष का भौतिक सत्यापन किसी मजिस्ट्रेट से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कई कार्य स्थानों पर एक साथ काफी बड़ी संख्या में मजदूरों का भुगतान होने के कारण भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा सभी कार्य स्थलों पर अपने समक्ष भुगतान करना सम्भव नहीं होता है । श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान सहायक निरीक्षकों की पहचान के आधार पर भूमि संरक्षण निरीक्षकों/अवर अभियन्ताओं द्वारा किया गया है जिसे भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/अवलोकित किया गया है।

कार्यों के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान किया जाता है। अतः सामान्य रूप से मजिस्ट्रेट से जांच कराने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में श्री बाबू राम वर्मा एवं श्री मधुबन राय की वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनाती**

71—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय बस्ती में श्री बाबूराम वर्मा, मधुबन राय वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात हैं जो कि स्टाफिक पैटर्न के अनुसार शासनादेश के विरुद्ध है क्योंकि श्री बी0 एस0 द्विवेदी, श्री सूरज प्रसाद श्रीवास्तव, श्री रघुनी प्रसाद यादव वरिष्ठ सहायक के पद पर होते हुए भी उप मुख्य चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों में तैनात हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

स्थिति यह है कि सर्वश्री वर्मा और राय अपने वरिष्ठ लिपिक के नियमित पद पर तैनात हैं और सर्वश्री द्विवेदी तथा श्रीवास्तव वरिष्ठ सहायक के पद पर क्रमशः मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती तथा जिला कुष्ठ अधिकारी बस्ती के कार्यालय में तैनात हैं। केवल श्री यादव वरिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त होते हुए भी उप मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में इस कारण तैनात हैं क्योंकि यद्यपि इनका स्थानान्तरण मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर के कार्यालय में दिनांक 7-6-88 को कर दिया गया था, इन्होंने अपने नये तैनाती के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण नहीं किया। मध्य सत्र में स्थानान्तरण न किये जाने की नीति के अनुसार उन्हें 30-4-89 तक बस्ती में ही उप मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में अतिरिक्त पद पर समायोजित कर दिया गया और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं हुई।

**बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी श्री ओ0 पी0 श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय का स्थानान्तरण**

72—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओ0 पी0 श्रीवास्तव प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती का स्थानान्तरण वर्ष 1987-88 में जनपद बांदा के लिए शासन द्वारा किया गया था? क्या एक वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी बस्ती से कार्य मुक्त नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

श्री ओ0 पी0 श्रीवास्तव प्रशासनिक अधिकारी, को बस्ती से जनपद बांदा निदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा एक वर्ष की कार्यावधि के उपरान्त ही स्थानान्तरित कर दिया गया था किन्तु श्री श्रीवास्तव ने इन आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे। उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों तथा कतिपय

प्रशासनिक बिन्दुओं पर विचार किये जाने के उपरान्त श्री श्रीवास्तव का स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये जाने के कारण उन्हें जनपद बस्ती से कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**पीलीभीत के सुशील चन्द्र मिश्र प्रवक्ता, ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, को सेवा में बहाल करने की मांग**

73–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या चिकित्सा मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल नं0 2 लखनऊ के जुडीशियल मेम्बर (श्री एस0 एन0 सक्सेना) द्वारा मिसलीनियस अपील नं0 80/2/88 जो कि क्लेम संख्या 266 पी0/2/81 के तहत दायर थी, के निर्णय दिनांक 27-4-88 में शासन को यह निर्देश दिया गया था कि वह सुशील चन्द्र मिश्र प्रवक्ता, ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत को सेवा में बहाल करके अवरोध वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर दिया जाय? यदि हां, तो अब तक उन्हें सेवा में बहाल क्यों नहीं किया गया तथा वेतन भत्तों आदि का भुगतान न करने का क्या कारण है? ट्रिब्यूनल के निर्णय का कार्यान्वयन कब तक कर दिया जायेगा?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां,

शासन द्वारा मा0 लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**फैजाबाद के राजकीय महिला चिकित्सालय में भर्ती श्रीमती शकुन्तला देवी की मृत्यु की जांच एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

74–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि लगभग 6 माह पूर्व एक गर्भवती महिला श्रीमती शकुन्तला पांडे को प्रसव पीड़ा होने पर राजकीय जिला महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में भर्ती कराया गया था जहां पर डाक्टरों और नर्सों के अमानुषिक व्यवहार और लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गयी ? क्या यह भी सही है कि इस बात की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी, फैजाबाद ने सिटी मजिस्ट्रेट, फैजाबाद (श्री श्याम लाल तिवारी) को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया था जिन्होंने जांच में आरोपों को सत्य पाया और उनकी जांच रिपोर्ट को जिलाधिकारी, फैजाबाद ने एडीशनल डाइरेक्टर, हेल्थ, फैजाबाद के पास कार्यवाही हेतु भेज दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

उनके भर्ती होने की तिथि 8 दिसम्बर, 1987 है। जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा श्री एस0 एल0 तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट, फैजाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया जिनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। मृतक के पोस्ट-मार्टम के अभाव में मृत्यु का कारण निश्चित करने में कठिनाई है।

चूंकि अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र की तामीली निहित है और इस हेतु प्रक्रिया प्रगति पर है। अतः सम्प्रति जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाना अपरिपक्व प्रतीत होता है।

**जिला बलिया, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बिल्थरा रोड द्वारा मण्डी शुल्क वसूलने में धांधली के विरुद्ध कार्यवाही**

75–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बिल्थरा रोड, जिला बलिया द्वारा मण्डी शुल्क वसूलने में धांधली [illegible] के पत्र दिनांक 29-9-88 जिसकी प्राप्ति की सूचना प्रश्नकर्ता को उनके पत्र सं0–150/वी0 आई0 पी0/के0एम0/88, विधान भवन, लखनऊ द्वारा दी गई है, के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बिल्थरा रोड, जिला–बलिया द्वारा मण्डी शुल्क वसूलने में धांधली विषयक प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 29-9-88 मण्डी निदेशक को कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। उनसे कृत कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

**जिला बलिया की ग्राम सभा पशुहारी में पशु चिकित्सालय की स्थापना की मांग**

76–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा पशुहारी, जिला बलिया में पशु चिकित्सालय स्थापना हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसकी प्राप्ति की सूचना आपके कार्यालय द्वारा प्रश्नकर्ता को भेजे गये पत्र दिनांक 26 अक्तूबर, 1988 के माध्यम से दी गयी है? यदि हां, तो जनहित में पशुहारी गांव में पशु चिकित्सालय की स्थापना कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु जिला योजना में जिला नियोजन समिति विचार कर संस्तुति देती है। वर्तमान में पशुहारी [illegible] पशु चिकित्सालय की स्थापना के विषय में जिला नियोजन समिति की संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम पशुहारी के पशुपालकों को आस-पास पशुधन सुविधायें उपलब्ध हैं। पशुहारी से 4 कि0मी0 की दूरी पर पशु चिकित्सालय सीयर, [illegible] कि0मी0 की दूरी पर इब्राहिम पट्टी, 8 कि0मी0 की दूरी पर बुद्धिपुर, इसी प्रकार [illegible] कि0मी0 की दूरी पर गोविन्दपुर पशु सेवा केन्द्र 8 कि0मी0 दूरी पर तिरनई, 6 कि0मी0 दूरी पर चरौवा पशु सेवा केन्द्र स्थापित है।

**राज्य स्वास्थ्य सेवा से सेवा निवृत्त श्रीमती आई0 पी0 दूबे को पेंशन भुगतान न होने के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

77—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती आई0 पी0 दूबे जिन्होंने 15-8-1944 को राज्य स्वास्थ्य सेवा ज्वाइन की थी तथा जो मैट्रन के पद से 31 दिसम्बर, 1984 को सेवा निवृत्त हुई थीं, को आज तक निदेशक, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग से न तो "नो ड्यूज" सर्टीफिकेट जारी किया है और न ही श्रीमती दूबे की पेंशन पत्रावली एकाउन्टेन्ट जनरल (ए एण्ड ई) इलाहाबाद को भेजी गई है, जिसके फलस्वरूप श्रीमती दूबे को चार वर्ष से पेंशन नहीं मिली है? क्या मंत्री जी इस देर के लिए दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने, पेंशन संबंधी सभी पत्राजात एकाउन्टेन्ट जनरल के कार्यालय को भिजवाने तथा श्रीमती दूबे को तत्काल अस्थाई पेंशन का भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी0 हां । वर्ष 1983-84 की आन्तरिक सम्प्रेक्षा के फलस्वरूप जिला अस्पताल, मिर्जापुर में तत्समय मातृका के पद पर कार्यरत अवधि में श्री आई0 पी0 दूबे के विरुद्ध क्लोथिंग की कमी की 55,886.40 रुपए की धनराशि वसूली हेतु अवशेष है ।

प्रकरण में कोई दोषी नहीं है । अतः दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**चिकित्साधिकारी के कार्यालय में कार्यरत जिला प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन**

78—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत जिला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कार्यों एवं दायित्वों का शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 1987 निदेशक, परिवार कल्याण की संस्तुति दिनांक 2 अगस्त, 1986 के सन्दर्भ में उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के उपरान्त मंत्री महोदय की स्वीकृति के बाद जारी किया गया था ? यदि हां, तो फिर उसमें संशोधन करके दूसरा शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 1988 जारी किए जाने का क्या कारण है ? क्या मुख्य चिकित्साधिकारियों / जिनके सीधे नियंत्रण में यह कार्यरत हैं, से कोई शिकायतें या संशोधन की संस्तुति प्राप्त हुई थी? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी पुनः शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 87 को फिर से यथावत जारी करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

निदेशक, परिवार कल्याण, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 2 अगस्त, 1986 में प्रशासनिक अधिकारियों के समस्त अधिकार एवं कर्तव्यों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में नहीं बल्कि कुछ अतिरिक्त अधिकार एवं कर्तव्य शामिल किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था । शासन द्वारा विचार एवं परीक्षण किये जाने के उपरान्त शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 1987 को जारी कर दिया गया

था किन्तु कुछ प्रशासनिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयां शासन के संज्ञान में लाये जाने पर शासन द्वारा पुनः विचार किये जाने के उपरान्त पुनरीक्षित अधिकार एवं कर्तव्यों की एक सूची शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 1988 द्वारा जारी की गयी थी ।

यदि प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता हुई तो शासन पुनः इस पर विचार कर सकता है ।

**झांसी के झांसी मेडिकल कालेज में नेत्र संस्थान खोलने हेतु कृत कार्यवाही**

79—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी ने दिनांक 6-4-88 को झांसी मेडिकल कालेज आडीटोरियम में नेत्र बैंक के उद्घाटन के अवसर पर झांसी मेडिकल कालेज में नेत्र संस्थान शुरू करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो झांसी मेडिकल कालेज में नेत्र संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है तथा कितनी कार्यवाही होना शेष है? यह संस्थान कब तक कार्य करने लगेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । पूर्व माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी ने दिनांक 6-4-1988 को झांसी मेडिकल कालेज आडीटोरियम में नेत्र बैंक के उद्घाटन के अवसर पर झांसी मेडिकल कालेज में नेत्र संस्थान शुरू करने की घोषणा की थी।

विभागाध्यक्ष, नेत्र विभाग, मेडिकल कालेज, झांसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण करके संस्तुति भेजने के लिए निदेशक से कहा गया है ।

**लखनऊ के सेन्ट्रल वर्कशाप अमौसी के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें एवं अन्य अभिलेख का पूरा कराना**

80—श्री मैनेजर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल वर्कशाप अमौसी, लखनऊ के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें एवं अन्य अभिलेख पूरे करने के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 7-10-88 शासन एवं निदेशालय को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

निदेशालय से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

**स्वर्गीय श्री अकबर शिकोह रिजवी, सम्प्रेक्षक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की विधवा पत्नी को ग्रेच्युटी भुगतान कराने की व्यवस्था**

81—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वर्गीय श्री अकबर शिकोह रिजवी, सम्प्रेक्षक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की विधवा पत्नी को अभी तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या ग्रेच्युटी का जल्द भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

स्व0 श्री अकबर शिकोह रिजवी, सम्प्रेक्षक ने अपने सेवाकाल में भवन निर्माण अग्रिम लिया था जिसमें से रु0 2, 405·00 की मूल धनराशि तथा रु0 3500·00 ब्याज की वसूली अवशेष है ।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से स्व0 श्री रिजवी की ग्रेच्युटी की धनराशि में से रु0 5905·00 की धनराशि काटकर शेष ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश निर्गत कराने हेतु अनुरोध कर दिया गया है ।

82—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

[तीसरे गुरुवार के लिए स्थगित]

83—श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[तीसरे गुरुवार के लिए स्थगित]

84—श्री संतोष चतुर्वेदी, एडवोकेट—

[पहले सोमवार में अता0 प्र0 सं0 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**चिकित्सा विभाग के निदेशक प्रशासन के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 की पासबुकें बनवाने की मांग**

85—श्री राम सागर राव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग के निदेशक प्रशासन के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 पासबुक बनी हैं ? यदि नहीं, तो शासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा पास बुकें कब तक बन जायेंगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**वर्तमान कृषि निदेशक द्वारा चरित्र पंजिका में प्रविष्टियां निर्धारित समय में न करने की जांच**

86—श्री राम सागर राव—

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि स्वास्थ्य कार्मिक के अनुसरण में शासन द्वारा चरित्र पंजिका प्रविष्टियों को लिखे जाने संबंधी निर्धारित समय-सारिणी के साथ यह भी प्राविधान किया गया है कि जो अधिकारी निर्धारित समय के भीतर प्रविष्टि न लिखे तो उसे ही एक विपरीत प्रविष्टि/दण्ड दिया जाय ? यदि हां, तो वर्तमान कृषि निदेशक

द्वारा वर्ष 1984-85 व 1985-86 से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में इन आदेशों का पालन न करने पर क्या इस शासनादेश के अनुरूप उन्हें दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां ।

मामले का पुनरीक्षण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**डिप्लोमा धारकों को कृषि सेवा में नियुक्त न करना**

87–श्री राम सागर राव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि डिप्लोमा के स्कूलों को बन्द किये जाने के शासन के निर्णय तक सरकार की यह नीति रही है कि सभी डिप्लोमाधारियों को परीक्षा वर्ष के क्रमानुसार कृषि सेवाओं में नियुक्त कर लिया जायेगा ? यदि हां, तो अब तक कितने डिप्लोमा धारकों को कृषि सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सका है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश के बेरोजगार कृषि स्नातकों को शासन की खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के लिए रोजगार दिलवाने की योजना सम्बन्धी सम्भावनाएं**

88–श्री राम सागर राव–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय जो कृषि स्नातक बेरोजगार हैं और जिनकी प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है, को रोजगार देने के लिए क्या कोई ऐसी योजना शासन के विचाराधीन है कि कृषि स्नातकों को खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के लिए रोजगार दिलवाया जाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

कृषि स्नातकों को खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के लिए रोजगार दिलाये जाने की सम्भावनाओं का प्रारम्भिक परीक्षण किया जा रहा है ।

**श्री राम वर्मा कामदार को फर्जी हस्ताक्षर वाले आदेश से कार्यमुक्त कराने की जांच व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

89–श्री राम सागर राव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम वर्मा कामदार को परियोजना अधिकारी कृषि, बांदा के फर्जी हस्ताक्षर वाले आदेश संख्या–334 दिनांक 25/5/81 द्वारा कार्यमुक्त करा कर कृषि भवन के जूट अनुभाग में योगदान कराने वाले अधिकारी कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? क्या इनकी सेवा पुस्तिका व नियुक्ति आदेश में भी धोखा-धड़ी की गयी है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

सम्पूर्ण मामले की जांच कराई जायेगी । जांचोपरान्त यथावश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

**राम सिंह नामक व्यक्ति की अनियमित नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की मांग**

90—श्री रमाकान्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम सिंह नामक व्यक्ति की नियुक्ति अपर कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ के आदेश संख्या—450 दिनांक 22-4-87 तथा अपर कृषि निदेशक (प्रसार) उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या—10868 ए दिनांक 28-3-87 द्वारा अनियमित रूप से शासन व कृषि निदेशक के आदेशों के विपरीत की गयी है ? यदि हां, तो क्या इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**कृषि विभाग के अपने गृह मण्डल/गृह जनपद में तैनात श्रेणी—1 के अधिकारियों की तैनाती**

91—श्री राम्म आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के कौन-कौन श्रेणी-1 व उससे उच्च स्तर के अधिकारी अपने-अपने गृह मण्डल, गृह जनपद में शासनादेश के विरुद्ध तैनात हैं ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

गृह मण्डल/गृह जनपद में तैनात श्रेणी—1 के अधिकारियों की सूची संलग्न है । निर्धारित स्थानान्तरण नीति में गृह मण्डल में तैनाती हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 96-97 पर)

92—श्री शारदानन्द अंचल—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**मत्स्य विभाग से मत्स्य विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारी/कर्मचारी**

93—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम में कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर मत्स्य विभाग से लिए गये हैं और उनमें से कितने अधिकारी/कर्मचारी पांच वर्ष से अधिक समय के बाद भी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति पर आये श्रेणी तीन के कर्मचारी को मत्स्य निगम में प्रथम श्रेणी के प्रबन्धक (जलाशय) पद पर नियुक्त किया गया है और इसके फलस्वरूप मूल पद प्रबन्धक (जलाशय) पर कार्यरत अधिकारी को एक निम्न श्रेणी के पद पर पदस्थापित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि मुख्य महाप्रबन्धक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मत्स्य विभाग से 12 अधिकारी/कर्मचारी उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं । 3 कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय के बाद भी कार्यरत हैं । जी हां, एक ऐसे कर्मचारी को प्रबन्धक (जलाशय) का कार्य सौंपा गया था किन्तु

अब प्रबन्धक मण्डल ने उनको पैतृक विभाग में वापस करने का निर्णय लिया है और तद्नुसार प्रबन्ध निदेशक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य महा प्रबन्धक के पद पर पदस्थ कर दिया गया है ।

**जनपद वाराणसी के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी बीज गोदामों पर गेहूं आदि के अच्छे किस्म के बीजों की कमी दूर कराने की व्यवस्था की मांग**

94–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी बीज गोदामों पर अच्छे किस्म के गेहूं आदि के बीजों की कमी गत वर्ष 87-88 में रही ? यदि हां, तो क्या अक्टूबर, 1988 में उस कमी को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या थी ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बलिया में ग्राम नौरंगा स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति की मांग पर कृत कार्यवाही**

95–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि बलिया जनपद में गंगापार के ग्राम नौरंगा में स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं है ? यदि हां, तो कब से और कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय गंगापार जनपद बलिया में दिनांक 30-3-1981 से चिकित्सक नहीं है, अब उक्त पद पर डा0 ए0 के0 द्विवेदी की तैनाती के आदेश दिनांक 17-1-89 को निर्गत किये जा चुके हैं ।

**जनपद बलिया में कोडरहा नौबरार (जय प्रकाश नगर) में स्थित राजकीय चिकित्सालय के जीर्ण-शीर्ण भवन के निर्माण की मांग**

96–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में कोड़रहा नौबरार (जयप्रकाश नगर) में स्थित राजकीय चिकित्सालय का भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, प्रश्नगत चिकित्सालय भवन के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

**मई, जून, 1988 में चिकित्साधिकारियों और अधीक्षकों का किया गया स्थानान्तरण**

97—श्री भगौती सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, जून, 1988 में 5 वर्ष और 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण जिन चिकित्साधिकारियों और अधीक्षकों के स्थानान्तरण कर दिए गये थे उनमें से कौन-कौन और कहां-कहां के चिकित्साधिकारियों और अधीक्षकों के स्थानान्तरण निरस्त कर दिए गये हैं और क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

मई, जून, 1988 में 5 वर्ष और 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण साधारण ग्रेड महिला/पुरुष के सात चिकित्साधिकारियों तथा दो अधीक्षकों के स्थानान्तरण जनहित में तथा संबंधित अधिकारियों की पारिवारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर निरस्त/संशोधित किए गये ।

जिन अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश निरस्त/संशोधित किए गये हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 98 पर)

**मेडिकल कालेज लखनऊ से सम्बद्ध गांधी मेमोरियल चिकित्सालय द्वारा बजट से अधिक दवा खरीदने की जांच**

98—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

विधान सभा का द्वितीय सत्र 88 के पहले सरकार के अतारांकित प्रश्न सं0—147 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रु0 4499854.96 मूल बजट से अधिक की दवा मेडिकल कालेज लखनऊ से सम्बद्ध गांधी मेमोरियल चिकित्सालय द्वारा खरीदने की स्वीकारोक्ति के संबंध में सम्प्रेक्षा दल के जांच निष्कर्ष क्या हैं ? दोषी कौन-कौन लोग पाये गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सम्प्रेक्षा दल द्वारा जांचोपरान्त निहित अधिक व्यय रुपया 4499854.96 पैसा के स्थान पर कुल रुपया 44,99,254.96 पैसा पाया गया जो बजट मैनुअल के पैरा-174 का उल्लंघन प्रतिपादित किया गया है ।

उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर है ।

**जनपद कानपुर के श्री नरेन्द्र नारायण सक्सेना बेसिक हेल्थवर्कर प्रा0 स्वा0 केन्द्र सरसौल से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही**

99—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेन्द्र नारायण सक्सेना बेसिक हेल्थवर्कर प्रा0 स्वा0 केन्द्र सरसौल जनपद कानपुर को देय धन राशि के जांचोपरान्त भुगतान विषयक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित पत्र दिनांक 4-10-88 प्राप्त होने पर विभागीय राज्य मंत्री मा0 बिहारी लाल दोहरे के कार्यालय द्वारा दिनांक 6

अक्टूबर, 1988 को सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भेजा गया उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या जांच पूर्ण हो गई ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

श्री नरेन्द्र नारायण सक्सेना, बेसिक हेल्थ वर्कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरसौल, जनपद कानपुर को मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर के आदेश दिनांक 29-3-1985 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरवन खेड़ा, कानपुर को स्थानान्तरित कर कार्यमुक्त कर दिया गया था, परन्तु श्री सक्सेना द्वारा अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया और वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित बने रहे इसलिए उन्हें तब से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य निदेशक को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है । इस मामले में किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

**सीतापुर के सेवानिवृत्त श्री वेद प्रकाश स्याल पशु औषधिक, कार्यालय जिला पशुधन अधिकारी की ग्रेच्युटी आदि का भुगतान**

100–श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

क्या पशुधन मंत्री को ज्ञात है कि श्री वेद प्रकाश स्याल, सेवानिवृत्त पशु औषधिक, कार्यालय जिला पशुधन अधिकारी, सीतापुर को सेवानिवृत्त हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं परन्तु अभी तक उनकी ग्रेच्युटी, भविष्य निर्वाह निधि, आदि का धन उनको नहीं दिया गया है? यदि हां, तो उनके बकाया देयों का भुगतान कब तक करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।श्री वेद प्रकाश स्याल पूर्व में जिला परिषद् के पशुचिकित्सालय में कार्यरत थे।इस पशु चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण वर्ष 1983 में होने के परिणाम स्वरूप इनकी सेवायें नवम्बर, 83 से ही पशुपालन को स्थानान्तरित हुयी हैं ।

श्री स्याल की जिला परिषद् की सेवा कालीन अवधि 1-5-51 से अक्टूबर, 1983 तक का पेंशनरी तथा परिषदीय अंशदान विभाग के खाते में अनेकों प्रयासों के बाद दिनांक 17-9-88 को परिषद द्वारा जमा किया गया।इसके अतिरिक्त 11-5-51 से 31-3-68 1-7-80 से 31-12-80 तथा 1-11-83 से 31-5-87 तक की इनकी सेवायें विभिन्न स्तरों से अप्रैल, 1988 में स्थापित हो सकी इसी कारण इनके भुगतान में विलम्ब हुआ है।

श्री वेदप्रकाश स्याल को जिला पशुधन अधिकारी, सीतापुर द्वारा ग्रेच्युटी की धनराशि का 90 प्रतिशत अंश (रु0 15,780-00) के भुगतान के आदेश किये जा चुके हैं।

अन्तिम रूप से शेष ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0 तथा पेंशन के भुगतान की व्यवस्था अतिशीघ्र की जायेगी ।

**वर्ष 1988–89 में गोरखपुर मण्डल में सीड स्टोर इंचार्ज तथा ए0 डी0 ओ0 कृषि रक्षा पर्यवेक्षक के स्थानान्तरण के संबंध में**

101–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1988-89 में कुल कितने स्थानान्तरण सीड स्टोर इंचार्ज तथा ए0 डी0 ओ0 कृषि एवं कृषि रक्षा पर्यवेक्षक के गोरखपुर मण्डल में हुए ? कितने ऐसे हैं जो सितम्बर, 1988 तक कार्यमुक्त नहीं किए गये ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने को सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

वर्ष 1988–89 में गोरखपुर मण्डल में कुल 116 सीड स्टोर इन्चार्ज, 15 ए0 डी0 ओ0 (कृषि) तथा 26 कृषि रक्षा पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण किए गए ।

सितम्बर, 1988 तक 18 सीड स्टोर इन्चार्ज, 2 ए0 डी0 ओ0 (कृषि) तथा 18 कृषि रक्षा पर्यवेक्षक कार्यमुक्त नहीं किए जा सके ।

बीज भण्डार प्रभारियों में से एक माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय, एक जिलाधिकारी के निर्देश, एक प्रमुख क्षेत्र समिति खजनी की संस्तुति, एक जन प्रतिनिधि के अनुरोध, एक निलम्बन तथा 13 खरीफ अभियान की व्यस्तता के कारण कार्यमुक्त नहीं किए जा सके हैं । इसी प्रकार 7 कृषि रक्षा पर्यवेक्षकों को कृषि रक्षा अधिकारी, गोरखपुर, 2 कृषि रक्षा पर्यवेक्षकों को कृषि रक्षा अधिकारी बस्ती, 4 कृषि रक्षा पर्यवेक्षकों को कृषि रक्षा अधिकारी देवरिया, 5 कृषि रक्षा पर्यवेक्षकों को कृषि रक्षा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा कीटनाशक रसायनों के अनुदान पर वितरण में व्यस्तता के कारण कार्यमुक्त नहीं किया गया था । अब 2 कृषि रक्षा पर्यवेक्षकों को और कार्यमुक्त कर दिया गया है । 2 ए0 डी0 ओ0 (कृषि) को प्रतिस्थानी न आने के कारण कार्यमुक्त नहीं किया गया है । इस प्रकार इसके लिए कोई दोषी नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

102–श्री सुखपाल पाण्डे–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कृत कार्यवाही**

103–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मेडिकल कालेज सहित प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में लैब टेक्नीशियन के लगभग बीस-बीस पद वर्षों से रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या वर्ष 1988 में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले कई लैब टेक्नीशियन्स की नियुक्ति अब तक इन पदों पर की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन पदों पर नियुक्ति हेतु कुछ आवेदन पत्र इच्छुक अभ्यार्थियों द्वारा नवम्बर, 1988 में भेजे गये थे ? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**चमोली के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा डनलप गद्दों का क्रय**

104–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक जनपद चमोली सम्प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी जिला टिहरी द्वारा वर्ष 1987–88 में बिना कोटेशन काल किये हुए डनलप के 21 गद्दे ऊंचे दाम पर क्रय किये गये थे जबकि गांधी आश्रम में कम दाम पर भी उक्त वस्तुएं उपलब्ध थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपा नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

वर्ष 1987–88 में डनलप के 21 गद्दे वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक चमोली द्वारा क्रास कोटेशन पर क्रय किये गये थे ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद गाजियाबाद के नागर डेरी कुचेसर रोड द्वारा अवैध दुग्ध व्यापार के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

105–श्री कनक सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-10-88 जो श्री तेजबीर सिंह ग्राम सालोनी जनपद गाजियाबाद के शिकायती पत्र बाबत नागर डेरी कुचेसर रोड जनपद गाजियाबाद के अवैध दुग्ध व्यापार के सम्बन्ध में था, की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांकित 28-9-88, दिनांक 4 अक्टूबर, 1988 को प्राप्त हुआ । उक्त पत्र के साथ श्री तेजबीर सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम सालोन्नी, जनपद-गाजियाबाद का नागर डेरी कूचेसर रोड, जनपद गाजियाबाद के मालिक के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक रहित भी प्राप्त हुआ । उक्त पत्रों में की गयी शिकायतों की जांच करवाई गयी और जांच परिणाम की सूचना प्रश्नकर्ता को भेजी जा रही है ।

**उरई के चिकित्साधिकारी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही**

106–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 5-10-88 का पत्र चिकित्साधिकारी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय उरई द्वारा की जा रही गम्भीर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में संलग्न प्रार्थना-पत्र सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं पत्र में वर्णित आरोपों की बिन्दुवार जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, जांच गतिमान है ।

107–श्री राम आसरे वर्मा–

[तीसरे गुरुवार के लिए स्थगित]

**प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कम्पाउडर, वार्ड ब्वाय तथा चौकीदार द्वारा आपरेशन करने सम्बन्धी रिपोर्ट की मांग**

108–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार से हाल में ही कोई रिपोर्ट मांगी गई है कि प्रदेश में 300 ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां कि कभी-कभी आपरेशन कम्पाउन्डर, वार्ड ब्वाय तथा चौकीदार करते हैं ? यदि हां, तो रिपोर्ट कब मांगी गई तथा प्रदेश से केन्द्र सरकार को क्या तथ्य भेजे गये हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा राज्य सभा तथा लोक सभा प्रश्न के उत्तर हेतु क्रमशः 13-2-88 तथा 17-3-88 को मांगी गयी थी । प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार को उक्त प्रश्न से संबंधित समाचार का खण्डन करते हुए यह भी अवगत कराया गया था कि कम्पाउन्डर, वार्डब्वाय तथा चौकीदार आपरेशन नहीं करते हैं ।

**शवोच्छेदन गृह कोंच (जालौन) में शवोच्छेदन का कार्य बन्द करके उरई में कराने की मांग**

109–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वर्ष 87 के अन्त में क्षेत्राधिकारी पुलिस, कोंच (जालौन) ने लिखित संस्तुति की है कि दो-दो बाल विद्यालयों के समीप स्थित अत्यन्त जीर्ण शीर्ण हालत वाले शवोच्छेदन गृह कोंच (जालौन) में शवोच्छेदन का कार्य बन्द करके उरई में कराया जाय ? यदि हां, तो क्या इस संस्तुति पर अमल होने लगा है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद फैजाबाद की जिला योजना के लिए धन की व्यवस्था किये जाने तथा अन्य समस्याओं सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही**

110–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की जिला योजना के लिए धन की व्यवस्था किये जाने तथा अन्य समस्याओं के संबंध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का 24 जुलाई, 88 को पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उनमें से किन-किन मामलों पर कार्यवाही का दायित्व सचिव, चिकित्सा विभाग को सौंपा गया है और उनके द्वारा उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**जनपद देवरिया के विकास खण्ड पत्थरदेवा एवं पकहां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना**

111–श्री सूर्य प्रताप शाही

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के पत्थर देवा विकास खण्ड में प्रत्येक 30 हजार की आबादी पर बनने वाले अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कहां-कहां पर बनाये जाने की योजना है ? क्या ग्राम पकहां में भी चिकित्सालय निर्माण का प्रश्नकर्ता का प्रस्ताव मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो चिकित्सालय का निर्माण सरकार कब तक करायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

पत्थरदेवा विकास खण्ड के अन्तर्गत अभी तक निम्नलिखित तीन नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है :—

1–पथरदेवा

2–रामपुर अवस्थी

3–रामनगर पकहा ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनजरिया की स्थापना वर्ष 1988-89 में प्रस्तावित है।

उक्त केन्द्रों में से पथरदेवा का निर्माण हो चुका है, रामपुर अवस्थी निर्माणाधीन है । रामनगर पकहा के निर्माण की स्वीकृति आदेश दिनांक 9-8-88 को जारी किये जा चुके हैं । अतः निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना अभीष्ट है।

**राजकीय पशु चिकित्सालय, हबीबलक रोड, लखनऊ के निवर्तमान पशु औषधिक के स्थानान्तरण के कथित आदेश**

112–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या पशुधन मंत्री की जानकारी में है कि राजकीय पशु चिकित्सालय, हबीबलक रोड, जिला लखनऊ के निवर्तमान पशु औषधिक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 15-7-88 से 22-7-88 के दौरान चार बार स्थानान्तरण एवं तीन बार स्थानान्तरण रोके जाने का आदेश हुआ था? यदि हां, तो क्या इस दौरान उक्त कम्पाउन्डर को सरकारी आदेशों का पालन न किये जाने के अभियोग में निलम्बित किये जाने का भी आदेश हुआ था ? यदि हां, तो निलम्बन किन कारणों से निरस्त किया गया? क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

केवल एक बार स्थानान्तरण किया गया था ।

स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न करने की दशा में संबंधित पशु औषधिक के निलम्बन की कार्यवाही करने हेतु उप निदेशक, सघन पशु विकास प्रायोजना, लखनऊ को निदेशक, पशुपालन द्वारा निर्देश दिये गये थे परन्तु उक्त पशु औषधिक द्वारा समय से अवमुक्त होकर नये स्थान पर योगदान करने की स्थिति में उनको निलम्बित करने की कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**लखनऊ के शीतगृहों द्वारा लखनऊ के आलू उत्पादकों को अतिरिक्त वसूला अधिभार वापस एवं बकाया रकम का किसानों को भुगतान कराने के सम्बन्ध में**

113—श्री भगौती सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्या लखनऊ के शीत गृहों ने लखनऊ के आलू उत्पादकों को, वसूला गया अतिरिक्त अधिभार उन्हें वापस कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि उक्त बकाया रकम का भुगतान कब तक किसानों को कर दिया जायेगा ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

वर्ष 1987 में लखनऊ जनपद के शीतगृह स्वामियों ने शासन द्वारा निर्धारित भण्डारण प्रभार के अतिरिक्त रु0 11,07,243.56 की धनराशि अधिक वसूल किया जाना स्वीकार किया है जिसके सापेक्ष रु0 6,25,765.79 की धनराशि का भुगतान उनके द्वारा भण्डारण कर्ताओं को कर दिया गया है और रुपये 3,13,303.07 लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) एवं जिला अधिकारी लखनऊ के पास जमा कर दिया है । रुपये 1,68,174.70 की धनराशि प्राप्त होनी अवशेष है । इस प्रकार कुल अवशेष रह गये रु0 4,81,477.77 के भुगतान के लिए भण्डारण कर्ताओं से आवेदन पत्र मांगे गये हैं । आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जांचोपरान्त भुगतान किया जायेगा ।

**फैजाबाद के प्रभावित किसान कल्याण समिति कुमार गंज के अध्यक्ष श्री केशवधर दूबे के शासन को भेजे गए मांग-पत्र**

114—श्री गोपीनाथ—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष केशवधर दूबे द्वारा कोई मांग पत्र रजिस्टर्ड डाक संख्या 1626 दिनांक 30-12-87 को नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से सम्बन्धित तत्कालीन मुख्य मंत्री को भेजा गया है ? यदि हां, तो प्राप्त पत्र का बिन्दुवार पूर्ण विवरण क्या है और क्या प्राप्त पत्र में अंकित बिन्दुवार मांगों को पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

प्रभावित किसान कल्याण समिति, कुमारगंज, फैजाबाद के अध्यक्ष श्री केशवधर दूबे का प्रश्नगत मांग-पत्र शासन में उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

115–श्री गोपीनाथ—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रभावित किसान कल्याण समिति कुमारगंज फैजाबाद क्षेत्र के अध्यक्ष श्री केशवधर दूबे द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या–576, दि0 14-10-87 तथा रजिस्टर्ड डाक संख्या 523 दि0 10-10-87 को सचिव कार्मिक अनुभाग–2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज से सम्बन्धित कोई मांग-पत्र भेजे गये हैं ? यदि हां, तो प्राप्त पत्रों का बिन्दुवार विवरण क्या है ? क्या प्राप्त पत्रों में अंकित मांग को पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

प्रभावित किसान कल्याण समिति कुमारगंज फैजाबाद के अध्यक्ष श्री केशवधर दूबे का प्रश्नगत पत्र शासन में उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

**केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार से गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के बारे में मांगी राय एवं कृत कार्यवाही**

116–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल में ही केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के बारे में राय मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार की ओर से परीक्षण के बारे में क्या राय भेजी गई है और राय कब भेजी गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां । इस प्रकरण के विधिक बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है । सम्यक् विचारोपरान्त ही राय भारत सरकार को भेजी जायेगी ।

117–श्री गोपी नाथ—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

**कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से सम्बन्धित शासन को श्री केशवधर दूबे द्वारा भेजा गया मांग-पत्र**

118–श्री गोपीनाथ—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रभावित किसान कल्याण समिति कुमारगंज, फैजाबाद के अध्यक्ष केशवधर दूबे द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या–450, दिनांक 7-10-87 को तत्कालीन मुख्य मंत्री उ0 प्र0 को कृषि विश्वविद्यालय कुमार गंज फैजाबाद से सम्बन्धित कोई पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो पत्र में अंकित बिन्दुवार मांगे क्या है और क्या मांग पत्र में अंकित बिन्दुवार मांगों को पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

प्रभावित किसान कल्याण समिति कुमार गंज, फैजाबाद के अध्यक्ष श्री केशवधर दूबे का प्रश्नगत मांग पत्र शासन में उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

**मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर की असन्तोषजनक कार्य शैली से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही**

119—श्री नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें अनिल कुमार गुप्ता-शाहजहांपुर का कोई शिकायती पत्र दिनांक 19-5-88 प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर की असन्तोषजनक कार्य शैली से संबंधित है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

श्री अनिल कुमार गुप्ता शाहजहांपुर का शिकायती पत्र दिनांक 19-5-88 प्राप्त हुआ जो कि उनकी स्वयं की चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में है । शिकायती पत्र पर अपर निदेशक बरेली मण्डल बरेली द्वारा जांच की गई । जांचोपरान्त यह पाया गया कि चतुर्थ श्रेणी के दो पदों हेतु चयन सेवा योजन कार्यालय से अभ्यर्थियों के नाम की सूची प्राप्त करने के पश्चात् गठित चयन समिति द्वारा किया गया तथा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई । जांच रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों के चयन में कोई अनियमितता नहीं बरती गई ।

**लखनऊ की सेन्ट्रल वर्कशाप अमौसी में सरकारी सम्पत्ति की चोरियों की जांच कराने की मांग**

120—श्री शारदा प्रताप—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल वर्कशाप अमौसी, लखनऊ में माह जून एवं अगस्त, 88 को सरकारी सम्पत्ति की चोरियों के सम्बन्ध में उनको तथा निदेशक परिवार कल्याण तथा निदेशक प्रशासन को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 अगस्त, 88 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों को स्थानान्तरण कर सी0 आई0 डी0 अथवा किसी वरिष्ठतम अधिकारी से जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

निदेशक प्रशासन से जांच कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

**कानपुर के चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय तथा फैजाबाद के नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय व नैनीताल के गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षित कोटा पूर्ण करने हेतु कृत कार्यवाही**

121—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद एवं

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, नैनीताल में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न गैर तकनीकी एवं तकनीकी (संकाय) पदों की नियुक्तियों/पदोन्नतियों के आरक्षण का प्राविधान है ? यदि हां, तो मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे कि उपरोक्त कृषि विश्वविद्यालयों में आरक्षित कोटा पूरा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इस वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हनन का क्या कारण है और इसका उत्तरदायी कौन है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर एवं गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर (नैनीताल) के परिनियम के चैप्टर 13 में शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत के आरक्षण का प्राविधान है । कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के परिनियम में आरक्षण का प्राविधान कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

विधिक प्राविधान तथा यथाविधि उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता ही इसका कारण है । अधिकारों के हनन अथवा किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

**श्री हरि केवल प्रसाद भूतपूर्व विधायक द्वारा श्री आत्माराम तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी हरदोई एवं एटा के विरुद्ध की गयी शिकायतों पर की कार्यवाही**

122—श्री राज किशोर सिंह तथा श्री विष्णु देव—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें एक भूतपूर्व विधायक (श्री हरिकेवल प्रसाद) का पत्र दिनांक 13-8-87 प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने एक कृषि अधिकारी के बहुचर्चित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 3-9-85 पर प्रभावी कार्यवाही की मांग की है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सम्पूर्ण कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी हां।

उपरोक्त शिकायती पत्रों में श्री आत्मा राम तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई एवं एटा के विरुद्ध शिकायतें की गयी थीं ।

श्री आत्मा राम के जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के कार्यकाल के अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में विचारोपरान्त आदेश संख्या—4669/12-1-दिनांक 3-7-82 द्वारा चेतावनी देते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

एटा के कार्यकाल के शिकायती प्रकरण पर सरकारी क्वार्टर के उपयोग में हुई शासकीय क्षति रु0 75/- की वसूली के साथ समाप्त किये जाने के आदेश शासन के पत्र संख्या—2397/12-1-दिनांक 3-7-82 में दिये गये आदेशानुसार श्री आत्मा राम से रु0 75/- की वसूली पूर्ण कर ली गयी है।

श्री आत्मा राम के भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा के कार्यकाल के शिकायती प्रकरण में कृषि निदेशक के आदेश संख्या—डी0 ए0 सी0 2662/सी0 सी0 125/80 दिनांक 11-11-85 द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है।

**जनपद देवरिया के श्री धनेश्वर सिंह, बीज भण्डार प्रभारी का निलम्बन**

123–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धनेश्वर सिंह तत्कालीन प्रभारी, नेबुआ नौरंगिया, जनपद देवरिया द्वारा नेबुआ नौरंगिया बीज भण्डार पर वर्ष 1984 में प्रभार के समय कुल एक लाख इकहत्तर हजार दो सौ चौरासी रुपया पचास पैसे का राजकीय स्टाक का दुर्विनियोग एवं गबन करने के सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी/उपकृषि निदेशक, प्रसार देवरिया द्वारा पत्रांक–541/4 कृषि लेखा दिनांक 13 जनवरी, 1986 द्वारा आरोप पत्र दिया गया है? यदि हां, तो इतने बड़े गबन के मामले में उक्त बीज भण्डार प्रभारी को अभी तक निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है? क्या उक्त प्रभारी के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां।

कृषि निदेशक के आदेश संख्या–गबन-1905/ई-2222/ई-3, दि0 23-8-85 द्वारा श्री धनेश्वर सिंह, बीज भण्डार प्रभारी को निलम्बित कर दिया गया है।

**जनपद मेरठ, सरधना में नवीन मण्डी स्थल बनाने का प्रस्ताव**

124–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना जनपद मेरठ में नवीन मण्डी स्थल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसको शीघ्र न बनाए जाने के क्या कारण हैं?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

सरधना जनपद मेरठ में नवीन मण्डी स्थल बनाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

**राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गड़रे (देवरिया)के उच्चीकरण हेतु कृत कार्यवाही**

125–श्री बालेश्वर–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–144 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने तथा व्यय करने की अवधि बढ़ाये जाने के बावजूद भी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गड़रे (देवरिया) का उच्चीकरण का कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकारी आदेशों के पालन न करने के जिम्मेदार सी0 एम0 ओ0 देवरिया के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

मुख्य चिकित्साधिकारी देवरिया का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है, जिसके प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाना संभव है।

**देवरिया के श्री अभय प्रताप सिंह को मेसर्स लक्ष्मी खाद्य भण्डार के नाम से खुदरा उर्वरक वितरण हेतु दिया गया लाइसेंस**

126–श्री बालेश्वर–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी खाद भण्डार खोरमा कन्हौली (देवरिया) को किस आधार पर तथा कब से लाइसेंस दिया गया है तथा किस खाद विक्रय का लाइसेंस प्राप्त है? क्या यह सही है कि इस विक्रय केन्द्र द्वारा कुछ अनियमित ढंग से प्राप्त अवैध खाद का भी विक्रय अवैध ढंग से हमेशा किया जाता है? यदि हां, तो क्या इसकी गोपनीय जांच मंत्री जी करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

ग्राम खोरमा कन्हौली के श्री अभय प्रताप सिंह पुत्र श्री कैलाश पति सिंह द्वारा मेसर्स लक्ष्मी खाद भण्डार के नाम से नियमानुसार प्रार्थना पत्र आदि प्रेषित करने पर जांचोपरान्त खुदरा उर्वरक विक्रय हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक 23-3-87 को जिला कृषि अधिकारी, देवरिया द्वारा जारी किया गया। जिसमें राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर, एच0 एफ0 सी0 तथा एफ0 सी0 आई0 द्वारा आपूर्ति उर्वरक के विक्रय हेतु अनुमति दी गई है।

अवैध ढंग से अवैध खाद का विक्रय, उक्त केन्द्र द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना शासन को नहीं है।

**फैजाबाद के कृषि प्रसार संगठन को समयमान वेतनमान सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति**

127–श्री गोपीनाथ–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवेन्द्र बख्श सिंह कृषि प्रसार संगठन टाण्डा–फैजाबाद का समयमान वेतनमान 1-7-82 से देय है तथा क्या उक्त वेतनमान स्वीकृति हेतु संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) फैजाबाद मण्डल–फैजाबाद को उप निदेशक कृषि (प्रसार) फैजाबाद द्वारा उनके पत्रांक 6650 दिनांक 2-10-87 तथा पुनः पत्रांक–10109 दिनांक 12-2-87 द्वारा भेजा गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी को समयमान वेतनमान दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्री देवेन्द्र बख्श सिंह को दिनांक 1-7-85 से समयमान वेतनमान सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य था जो उन्हें कृषि निदेशालय के आदेश दिनांक 5-1-89 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

128–श्री गोपी नाथ–

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

129–श्री गोपी नाथ–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

**राज्य कृषि विपणन अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच एवं उक्त अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

130–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (श्री मुनेश्वर प्रसाद) राज्य कृषि विपणन अधिकारी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा कितनी शिकायतें जुलाई, 1988 से अक्टूबर, 1988 तक शासन तथा उच्च अधिकारियों को प्रोन्नति, स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों में भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं? इन शिकायतों की जांच किस अधिकारी ने किया? शिकायतकर्ताओं से किस तारीख को पूछताछ किया तथा कान-कान से आरोप सिद्ध पाये गये? क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

राज्य कृषि विपणन अधिकारी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 4-10-88 प्राप्त हुआ और उसे जांच के लिए कृषि विपणन निदेशक को भेजा गया। जांच आख्या अपेक्षित है। आख्या प्राप्त होने पर ही कोई निश्चित मत प्रश्नगत बिन्दुओं पर दिया जा सकता है।

**राज्य कृषि विपणन अधिकारी द्वारा एगमार्क वर्गीकरण को अनिवार्य करने सम्बन्धी जारी किये आदेश के प्रकरण की जांच एवं कृत कार्यवाही**

131–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (श्री मुनेश्वर प्रसाद) राज्य कृषि विपणन अधिकारी ने अपने हस्ताक्षरों से दिनांक 18-1-88 से खाद्य तेलों का एगमार्क वर्गीकरण अनिवार्य किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किया है? यदि हां, तो किस आधार पर एवं किन नियमों के अन्तर्गत? क्या इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को है? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकरण की सतर्कता विभाग से जांच कराने की कृपा करेंगे और दोषी अधिकारी तथा कर्मचारी को दण्डित करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

राज्य कृषि विपणन अधिकारी के नाम से प्रसारित दिनांक 18-1-88 के कथित आदेश पर हस्ताक्षर को श्री मुनेश्वर प्रसाद, राज्य कृषि विपणन अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकरण की कृषि विपणन निदेशक ने जांच कराई और इसमें एक विपणन निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, एक सहायक कृषि विपणन निरीक्षक को स्थानान्तरित किया गया तथा एक ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

**जिला–मिर्जापुर के श्री इन्द्रदेव पुत्र धिनहू कृषि कामदार बफर गोदाम पिपरा डाड की सेवा-समाप्ति से सम्बन्धित**

132–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्रदेव पुत्र धिनहू कृषि कामदार बफर गोदाम पिपरा डाड जिला मिर्जापुर को 18 वर्ष नौकरी करने के बाद जिला कृषि

अधिकारी (श्री गयापाल सिंह ने)उ0प्र0 अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1979 के अन्तर्गत एक माह की नोटिस देकर सेवा समाप्त कर दिया ? क्या यह भी सही है कि सेवा समाप्ति के पूर्व तथा बाद में इन्द्रदेव कामदार प्रार्थना-पत्र देता रहा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या यह भी सही है कि इस संबंध में इन्द्रदेव के प्रार्थना-पत्र को भू0 पू0 विधायक श्री उदल ने अपने पत्र के साथ 8-12-87 को मा0 कृषि मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार जांच करके उक्त हरिजन कर्मचारी को बहाल करेगी ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

श्री इन्द्रदेव पुत्र धिनहू कृषि कामदार बफर गोदाम पिपरा डाड जिला–मिर्जापुर की 18 वर्ष नौकरी करने के बाद जिला कृषि अधिकारी (श्री गया पाल सिंह ने) उ0 प्र0 अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अंतर्गत एक माह की नोटिस देकर सेवा समाप्त की गयी है ।

श्री इन्द्रदेव द्वारा सेवा समाप्त के पूर्व जिला कृषि अधिकारी, मिर्जापुर को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया । सेवा समाप्ति के बाद प्रार्थना पत्र दिया गया परन्तु उस समय उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के कारण उनके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री इन्द्रदेव, भूतपूर्व कामदार ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-9-86 को डिसमिस करते हुए यह आदेश दिया गया कि सेवा समाप्ति के विरुद्ध याची को लोक सेवा अधिकरण के समक्ष उपचार प्राप्त करना चाहिये जिसमें संविधान की धारा 16 के उल्लंघन का भी आधार सम्मिलित हो । अतः उन्हें बहाल करने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

**भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किये गये मेड़बन्दी आदि कार्यों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था का प्राविधान**

133–श्री राज किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किये गये मेड़बन्दी, बन्धी सड़क, पुलिया आदि कार्यों के रख-रखाव के लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**वर्तमान उप कृषि निदेशक इलाहाबाद मण्डल के विरुद्ध गबन आदि के मामलों की जांच**

134–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान उप कृषि निदेशक, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद जब जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के पद पर कार्यरत थे, उक्त जनपद में इनके विरुद्ध गबन, पद व अधिकारों के दुरुपयोग तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामले की जांच तत्कालीन उप कृषि निदेशक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर (श्री छन्नू धर दूबे) द्वारा की गई थी तथा जांच रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रेषित की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

**इलाहाबाद, यूनानी मेडिकल कालेज के डिमांस्ट्रेटर श्री साद उस्मानी का निलम्बन**

135–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के तत्कालीन प्राधिकृत नियंत्रक/जिलाधिकारी इलाहाबाद (श्री एच0 सी0 गुप्ता) के आदेश सं0–68/प्रा0 नि0 वि0 दिनांक 8-12-81 द्वारा कालेज के डिमांस्ट्रेटर मुसालेजात (श्री साद उस्मानी) को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किस अभियोग में ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

श्री साद उस्मानी तत्कालीन डिमांस्ट्रेटर फौजदारी वाद में फंसे होने तथा बिना अवकाश प्रार्थना पत्र के अनुपस्थित रहने के कारण तत्कालीन प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा निलम्बित किये गये थे ।

**कृषि निदेशालय में वर्ष 1972 से अब तक कार्यरत सहायक लेखाकारों का स्थानान्तरण**

136–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत कृषि निदेशक द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25-6-88 के बावजूद भी कृषि निदेशालय में कितने ऐसे सहायक लेखाकार हैं जो वर्ष 1972 से अब तक एक ही अनुभाग में लगातार कार्यरत हैं और उन्हें बार-बार आदेशों के बाद भी किन परिस्थितियों में कार्यमुक्त नहीं किया जाता है ? उन्हें कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

शासन के किसी स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत नहीं अपितु कार्यकुशलता के हित में निदेशालय के एक ही अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सहायक लेखाकारों का स्थानान्तरण किया गया था । इन सहायक लेखाकारों में से 8 सहायक लेखाकार ऐसे हैं जो एक ही अनुभाग में वर्ष 1972 से कार्यरत थे जिसमें सात सहायक लेखाकार कार्यमुक्त हो चुके हैं और एक सहायक लेखाकार का स्थानान्तरण कार्यहित में निरस्त कर दिया गया है ।

**प्रदेश के पशुचिकित्सालयों के कार्य के समय में परिवर्तन**

137—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पशुचिकित्सालयों के कार्य का समय 7 बजे प्रातः से 12 बजे तक कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या किसानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर यह समय 9 बजे प्रातः से 2 बजे तक करने पर विचार किया जायेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं ।

प्रदेश में पशु चिकित्सालयों के कार्य का समय 7 बजे से 12 बजे तक नहीं किया गया है बल्कि कार्य अवधि निम्नवत् है:—

**मैदानी क्षेत्र**

गर्मी :—प्रातः 6.30 बजे से 11.30 बजे तक
सांय 4.30 बजे से 5.30 बजे तक

जाड़ा :—प्रातः 7.30 बजे से 12.30 बजे तक
सांय 4.00 बजे से 5.00 बजे तक

**पर्वतीय क्षेत्र**

गर्मी :—प्रातः 7.30 बजे से 1.00 बजे तक
सायं 4.00 बजे से 5.00 बजे तक

जाड़ा :—प्रातः 9.00 बजे से 1.00 बजे तक
सांय 2.00 बजे से 4.00 बजे तक

उक्त समय कृषकों की कठिनाइयों के निवारण हेतु जनहित में निर्धारित किया गया है। अतः समय परिवर्तन पर सम्प्रति विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

138—श्री राज किशोर सिंह—

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों का स्थानान्तरण**

139—श्री राम आसरे—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों में से वार्षिक स्थानान्तरणों का एक मानक यह भी रखा गया है कि तैनाती के पिछले 10 वर्षों में से 5 वर्ष लखनऊ में सेवारित रहे अधिकारियों को लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो इस मानक के अधीन आने वाले अधिकारियों की सूची तथा उनमें से स्थानान्तरित किये गये/किये जाने वाले अधिकारियों की सूची क्या सदन के पटल पर रखी जायेगी? क्या माननीय मंत्री जी निर्धारित मानक का उल्लंघन करने का कारण भी स्पष्ट करेंगे ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी नहीं । वर्ष 88-89 में इस प्रकार का कोई मानक नहीं रखा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**कृषि विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार के संबंध में विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही**

140–श्री विष्णु देव तथा श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को कतिपय विधायकों का पत्र दिनांक 27-1-88 एवं 2-2-88 कृषि विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार पर हस्तक्षेप हेतु ध्यानाकर्षण पत्र के रूप में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित पत्र पर कृत कार्यवाही को मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

141–श्री विष्णु देव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**पौड़ी के श्री आत्मा राम, परियोजना अधिकारी (कृषि), द्वारा की गई नियुक्तियां**

142–श्री विष्णु देव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आत्मा राम परियोजना अधिकारी (कृषि) पौड़ी द्वारा माह अगस्त, 1986 से मई 1988 के बीच जनपद पौड़ी में कुल कितनी वर्ग 3 व वर्ग 4 के कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं ? उनके नाम व पते क्या हैं? क्या इन तदर्थ नियुक्तियों के पूर्व उनके द्वारा कर्मचारियों के चुनाव हेतु कोई चयन समिति बनाई गयी थी और नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड को ध्यान में रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

श्री आत्मा राम, परियोजना अधिकारी (कृषि) पौड़ी माह अगस्त, 86 से 6 नवम्बर, 1987 तक उक्त पद पर कार्यरत नहीं थे। दिनांक 7-11-87 को श्री आत्मा राम ने परियोजना अधिकारी, कृषि पौड़ी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । पौड़ी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मई, 88 तक श्री आत्माराम द्वारा जनपद पौड़ी में वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पद पर नियुक्ति नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

143–श्री विष्णु देव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

**इलाहाबाद शिवकुटी स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती रोगियों की संख्या, उन पर व्यय-धन, एवं शैय्यायें पूर्ण करने की मांग**

144—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शिवकुटी स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में वर्ष 1986-87, 87-88 तथा अक्टूबर, 1988 तक कितने रोगी भर्ती हुए और उनपर अलग-अलग वर्षों में कितनी दवायें खर्च हुईं तथा इन्हीं वर्षों में आउट-डोर मरीजों को कितनी दवायें अलग-अलग वर्षों में दी गईं ? कब तक 25 शैय्याओं वाले इस अस्पताल में पूर्ण शैय्यायें कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वर्ष 1986-87 में कोई रोगी भर्ती नहीं हुआ क्योंकि चिकित्सालय की स्थापना दिनांक 24-5-87 से हुई थी अक्टूबर, 88 तक कुल 119 रोगी भर्ती हुए।

अंत रंग तथा बहिरंग रोगियों के लिए औषधियों पर वर्ष 1987-88 में 11,035.50 रुपये और अप्रैल से अक्टूबर, 1988 तक 12,255.40 रुपये व्यय हुआ है। अंत-रंग तथा बहिरंग रोगियों को दी गई औषधियों के व्यय का विवरण अलग-अलग नहीं रखा जाता है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 15/25 शैय्याओं के चिकित्सालयों की स्थापना जिला योजना के अन्तर्गत आती है। जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने एवं जिला नियोजना एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन होने पर ही शैय्या वृद्धि किया जाना संभव है।

**जिला बस्ती, श्री मक्खन लाल गुप्ता बी0 एच0 डब्लू खलीलाबाद का वेतन न देने सम्बन्धी शिकायत पर कृत कार्यवाही**

145—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मक्खन लाल गुप्ता बी0 एच0 डब्लू0 खलीलाबाद जिला बस्ती को जून, 1986 से फरवरी, 1988 तक वेतन न देने के संबंध में प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायत मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को दिनांक 2-1-88 को दी है ? यदि हां, तो अब तक वेतन न देकर उक्त कर्मचारी का उत्पीड़न करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

श्री मक्खन लाल गुप्ता जिस अवधि में कार्य पर उपस्थित रहे उस अवधि का उन्हें वेतन दे दिया गया है। अनुपस्थिति की अवधि की जांच करने के उपरान्त नियमानुसार अवशेष वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। अतः श्री गुप्ता को उत्पीड़न करने और उसके लिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

**होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में निदेशक होम्योपैथी एवं प्राचार्य के पद को समान वेतन-मान देकर समान पद करने की मांग**

146—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में निदेशक-शिक्षा का वेतनमान मेडिकल कालेजों के प्राचार्य से कम है ? यदि हां, तो क्या होम्योपैथिक

चिकित्सा पद्धति में निदेशक-होम्योपैथी एवं प्राचार्य के पद को समान वेतन देकर निदेशक एवं प्राचार्य के पद को समान करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं, दोनों पद पूर्णकालिक वेतनमान में स्वीकृति न होने के कारण उनके वेतनमानों की पारस्परिक तुलना किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। वेतन समता समिति 1988 की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**जिला फैजाबाद के श्री नन्हकू सिंह जिला कृषि परियोजना अधिकारी एवं श्री के0 के0 सिंह अपर जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही**

147–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप कृषि निदेशक फैजाबाद मण्डल द्वारा सितम्बर, 1988 में अथवा उसके आस पास किसी महीने में फैजाबाद के जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी (श्री नन्हकू सिंह) एवं फैजाबाद के अपर जिला कृषि अधिकारी (श्री के0 के0 सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बरतने के बारे में कोई जांच की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

श्री नन्हकू सिंह, जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी फैजाबाद एवं श्री के0 के0 सिंह, अपर जिला कृषि अधिकारी फैजाबाद के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र के संबंध में संयुक्त कृषि निदेशक फैजाबाद द्वारा जांच कराई गयी।

जांच रिपोर्ट कृषि निदेशक से प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

**बदायूं, के सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी डा0 नेतराम शर्मा को चयनित वेतनमान दिलाने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही**

148–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को डा0 नेतराम शर्मा सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी बदायूं को चयनित वेतन मान दिलाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 6 अक्टूबर, 1988 का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, डा0 नेतराम शर्मा ने चयन वेतनमान के सम्बन्ध में लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका दाखिल की थी। माननीय अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील दाखिल किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

अतः चयन वेतनमान दिये जाने के मामले पर अब माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

149–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, एटा के विरुद्ध उप निदेशक, कृषि, आगरा मण्डल की रिपोर्ट के विपरीत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत**

150—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 10-3-88 के अता0 प्र0 सं0-44 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर कृषि निदेशक (प्रसार) कृषि भवन के जांच आख्या दिनांक 27-12-86 के प्रथम दो आरोपों में ही मू0 925 रुपये (325+600 रुपये) का दोषी पाये जाने पर मात्र 75 रुपये की वसूली करके शेष धन की क्षति करायी गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मूंग के बीज की खरीददारी में क्रय नियमों का पालन न करने पर कृत अनियमित खरीददारी में कुल कितना धन खर्च हुआ, जिसके लिए मात्र चेतावनी या प्रतिकूल प्रविष्टि की संस्तुति की गयी?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

उप कृषि निदेशक आगरा द्वारा की गयी जांच आख्या में की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण विचारोपरान्त शासनादेश संख्या—2397/12-1 दिनांक 3-7-82 द्वारा श्री आत्माराम से सरकारी क्वार्टर के उपयोग में हुई शासकीय क्षति रुपये 75/- की वसूली कराई गयी । विधान परिषद् की प्रश्न एवं संदर्भ समिति की अपेक्षानुसार प्रकरण पर अपर कृषि निदेशक (प्रसार) द्वारा पुनः जांच कराई गयी । उक्त जांच आख्या पर विचारोपरान्त प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति ने प्रकरण को समाप्त कर दिया है ।

रुपये 5,39870.37 की मूंग के बीज का क्रय हुआ । उप कृषि निदेशक, आगरा द्वारा की गयी जांच आख्या दिनांक 6-9-79 तथा अनुवर्ती आख्या 18-11-81 में मूंग के बीज की खरीददारी में क्रय नियमों का पालन न करने के सम्बन्ध में श्री आत्माराम को चेतावनी अथवा प्रतिकूल प्रविष्टि देने की संस्तुति की गयी थी । प्रकरण में विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या-2397/12-1- दिनांक 3-7-82 द्वारा आदेश पारित किये जा चुके हैं ।

151—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

**वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (कृषि) श्री वीर बहादुर सिंह को पदच्युत करने के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही**

152—श्रीमती शारदा देवी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सहायक विकास अधिकारी (कृषि) श्री वीर बहादुर सिंह सरदारनगर जिला गोरखपुर जनपद बस्ती व जनपद गोरखपुर के 50 हजार से अधिक गबन के मामले में पदच्युत कर दिए गए थे जिसके विरुद्ध उन्होंने वर्ष 1986 में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दिया था और विभाग द्वारा समय से जबाब व प्रति शपथ पत्र दाखिल न करने के कारण उन्हें स्थगनादेश प्राप्त हो गया ? यदि हां, तो उक्त मामले में समय से जवाब और प्रति शपथपत्र दाखिल न करने के लिए कौन दोषी है ? क्या अब भी उक्त मामले में स्टे के विरुद्ध प्रतिशपथ पत्र तथा स्टे बैकेट कराने हेतु प्रार्थना-पत्र वर्तमान परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त मामले में स्टे बैकेट हेतु कार्यवाही कराने का निर्देश कृषि निदेशक को देंगे?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं, अपितु याची द्वारा दाखिल की गयी मुख्य रिट याचिका का प्रतिशपथ पत्र दिनांक 29-4-86 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय में जमा कर दिया गया था तथा उसकी प्रति याची के अधिवक्ता को भी दिनांक 30-4-86 को तामील कर दी गयी थी । याची की ओर से न्यायालय में दिनांक 28-5-86 को दिए गए दूसरे स्थगन प्रार्थना पत्र पर मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 2-6-86 को स्थगनादेश पारित किए थे ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश को निरस्त करने हेतु परियोजना अधिकारी बस्ती के स्तर से दिनांक 11-11-87 को प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

स्टे वैकेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 11-11-87 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

**जिला गोरखपुर के वर्तमान सहायक कृषि निरीक्षक बाल बुजुर्ग विकास खण्ड सरदार नगर के वेतन का भुगतान न होना**

153–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सहायक कृषि निरीक्षक बाल, बुजुर्ग, विकास खण्ड सरदारनगर (जिला गोरखपुर) का वेतन माह सितम्बर व अक्तूबर, 1987 का दिनांक 17-12-87 को वेतन माह नवम्बर, 1987 का दिनांक 8-1-88 को, वेतन माह जनवरी, 1988 का 25-2-88 को देकर आर्थिक उत्पीड़न किया गया तथा वेतन माह मार्च, 1988 से मई 1988 तक अकारण भुगतान न किये जाने की दशा में उक्त सहायक कृषि निरीक्षक (एम0 एन0 तिवारी) द्वारा दिनांक 24-6-88 के पत्र द्वारा परिवार की भुखमरी व आर्थिक समस्याओं को लेकर त्याग पत्र दे दिया गया है? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी का वेतन अनियमित ढंग से काफी विलम्ब से पूरे वर्ष का भुगतान करने व मार्च, 1988 से मई, 1988 तक का वेतन 24-6-88 तक व उसके बाद अब तक भुगतान न करने हेतु कौन जिम्मेदार है? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

सहायक कृषि निरीक्षक, विकास खण्ड सरदार नगर बाल बुजुर्ग, गोरखपुर का माह सितम्बर तथा अक्तूबर, 1987 का वेतन राज्य कर्मचारियों के हड़ताल एवं संबंधित सहायक कृषि निरीक्षक द्वारा भुगतान रसीद समय से प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 17-12-87 को किया गया। माह नवम्बर, 1987 का वेतन 8-1-88 को भुगतान किये जाने के लिए संबंधित सहायक कृषि निरीक्षक स्वयं जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने जुलाई, 86 से अगस्त, 87 तक के वेतन भुगतान बाउचर परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर एवं खण्ड विकास अधिकारी, सरदार नगर, गोरखपुर के अनेक पत्रों के पश्चात्

भी नहीं दिए थे। माह जनवरी, 88 का वेतन विलम्ब से भुगतान का कारण जीरो बेस बजटिंग प्रणाली प्रभावी होने के कारण विलम्ब से प्राप्त स्वीकृति थी। मार्च, 88 से मई, 88 तक का वेतन विलम्ब से दिनांक 19-7-88 को आहरित किया गया। इसमें से मई का बिल दिनांक 13-6-88 को आहरित किया गया था। इस विलम्ब का मुख्य कारण जीरो बेस बजटिंग प्रणाली के प्रभावित होने के कारण विलम्ब से प्राप्त स्वीकृति, सम्बन्धित सहायक कृषि निरीक्षक द्वारा जी0 पी0 एफ0 कटौती का फार्म समय से न भरना, कोषागार द्वारा वेतन बिलों में लगायी गयी आपत्तियां थी। बिलों के आहरण के बाद सम्बन्धित कर्मचारी का कार्यालय में उपस्थित न होने, बिना पता सूचित किए अवकाश पर चले जाने तथा गोरखपुर से आजमगढ़ स्थानान्तरित होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करके पुनः गोरखपुर आने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि प्रश्नगत अवधि के वेतन का बैंक ड्राफ्ट जो जुलाई, 1988 में आजमगढ़ भेजा गया था उसे पुनः आजमगढ़ से गोरखपुर वापस मंगाकर दिनांक 20-12-88 को भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार विलम्ब से भुगतान के लिए सम्बन्धित सहायक कृषि निरीक्षक स्वयं उत्तरदायी हैं। यह सत्य है कि श्री तिवारी ने सशर्त त्याग पत्र दिया था परन्तु उनका उत्पीड़न नहीं किया गया था। स्वयं सहायक कृषि निरीक्षक, सरदार नगर, बाल बुजुर्ग जिम्मेदार हैं जिन्होंने दिनांक 24-6-88 के बाद वेतन प्राप्त करने हेतु न तो कार्यालय से सम्पर्क किया और न ही अपने पते की सूची दी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में कार्यरत कामदार श्री शकूर आदि के वेतन व अन्य देयों का भुगतान**

154–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सरदार नगर (जिला गोरखपुर) में सघन योजना तथा सप्लाई योजना के अन्तर्गत कामदार सर्वश्री शकूर अहमद, काशी प्रसाद दूबे व बांके लाल तथा तकावी लेखा लिपिक श्री देवी प्रसाद का अगस्त, 1987 से जून, 1988 तक का मासिक वेतन तथा नगदीकरण व बोनस आदि का भुगतान व आहरण किसी भी माह में समय से नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी माह अगस्त, 87 से लगायत जून, 1988 तक के उक्त कर्मचारियों के वेतन आहरण व भुगतान की तिथि का विवरण देने तथा उक्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन न देकर उत्पीड़न करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? क्या यह भी सत्य है कि उक्त विकास खण्ड में उक्त कर्मचारियों की बकाया वेतन बिल संख्या–3, 4ए तथा 4बी दिनांक 19-5-86 का भुगतान दो वर्ष पश्चात् अब तक नहीं किया गया तथा बिल सं0–4 ए तथा 4 बी में वर्तमान बी0 डी0 ओ0 द्वारा जालसाजी किया गया? यदि हां, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

विकास खण्ड सरदारनगर जनपद–गोरखपुर में कार्यरत कामदार सर्वश्री शकूर अहमद, काशी प्रसाद दुबे व बांके लाल का मासिक वेतन माह अगस्त, 87 से जून, 88 तक का एवं नगदीकरण बोनस आदि का भुगतान व आहरण कुछ माह में विलम्ब से किया गया है। श्री देवी प्रसाद, तकावी लेखा लिपिक कार्यरत नहीं है और न पूर्व में ही थे।

विलम्ब का निम्न कारण है :–

(1) जीरो बेस बजटिंग के फलस्वरूप वेतन आहरण की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण।

(2) राज्य कर्मचारियों के प्रदेश व्यापी हड़ताल के कारण।

(3) सहायक कृषि निरीक्षक बालबुजुर्ग द्वारा समय से पेरोल प्रस्तुत न करने के कारण।

माह अगस्त, 87 से लगायत जून, 1988 तक के आहरण एवं भुगतान के तिथियों के विवरण संलग्न हैं। विलम्ब के कारण आहरण अधिकारी के नियन्त्रण के बाहर थे। किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। उक्त कर्मचारियों का बकाया वेतन बिल संख्या–3, 4 ए तथा 4 बी, दिनांक 19-5-86 का भुगतान कालातीत हो जाने के कारण खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर द्वारा नहीं किया गया है। बिल पूर्व सम्प्रेक्षण हेतु दिनांक 3-2-89 को निदेशालय में प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 99-100 पर)

**जनपद बाराबंकी के फाइलेरिया अधिकारी का स्थानान्तरण**

155–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के फाइलेरिया अधिकारी पिछले 17 वर्षों से एक ही जनपद में कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या अभी कुछ समय पूर्व इनका स्थानान्तरण हो गया था? यदि हां, तो उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

उनका वहां से स्थानान्तरण किया गया था परन्तु पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे निरस्त कर दिया गया।

जी हां।

पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे पुनः निरस्त कर दिया गया।

**जिला हमीरपुर, मत्स्य जीवी सहकारी समिति चरखारी में घोटाले सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की मांग**

156–श्री राम सजीवन–

क्या मत्स्य पालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मत्स्य जीवी सहकारी समिति चरखारी जिला हमीरपुर के घोटाले के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, चरखारी ने सतर्कता अधिकारी (सहकारिता) झांसी व उप निदेशक मत्स्य झांसी आदि अधिकारियों को 8 अगस्त, 87 को एक अर्द्धशासकीय पत्र लिखा था? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? अभी तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं? उस पर प्रभावी कार्यवाही कब पूरी कर ली जायेगी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**खीरी के राजकीय कृषि फार्म जमुनाबाद गोला में वित्तीय घाटा एवं इस प्रक्षेत्र में सुधार हेतु कृत कार्यवाही**

157–श्री राम आसरे–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कृषि फार्म जमुनाबाद गोला, खीरी में वर्ष 1985-86 में कितने रुपये का वित्तीय घाटा बैलेन्स शीट में अंकित था और उक्त वर्ष में वहां के प्रक्षेत्र प्रबन्धक कौन रहे हैं? इस प्रक्षेत्र के सुधार हेतु शासन की क्या योजना है और प्रारम्भ से लेकर गत वर्ष तक यह प्रक्षेत्र कितने-कितने रुपये के घाटे पर रहा?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां। वर्ष 85-86 में जमुनाबाद प्रक्षेत्र पर 12,11,170/- रुपये का घाटा हुआ।

श्री सुरेश सिंह।

प्रक्षेत्र के सुधार हेतु मास्टर प्लान तैयार कराया गया है।

प्रारम्भ से गत वर्ष तक घाटे का विवरण निम्न प्रकार है:–

| वर्ष | घाटे की धनराशि (रुपयों में) |
|---|---|
| 1972–73 | 128699-00 |
| 1975–76 | 92764 00 |
| 1979–80 | 235327-00 |
| 1980–81 | 32916-00 |
| 1981–82 | 296000-00 |
| 1982–83 | 450000-00 |
| 1983–84 | 451020-00 |
| 1984–85 | 996850-00 |
| 1985–86 | 1211170-00 |
| 1986–87 | 887874-00 |
| 1987–88 | 63000-00 |

158–श्री जयदीप सिंह बरार—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

**नैनीताल की मण्डी समिति रुद्रपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1986-87 में निर्माणाधीन सम्पर्क मार्गों का विवरण**

159—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में रुद्रपुर मण्डी समिति, जिला नैनीताल द्वारा कौन-कौन से ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन थे तथा प्रत्येक मार्ग पर कितने-कितने व्यय से किस-किस स्तर का कार्य कराया जाना प्रस्तावित था? वित्तीय वर्ष 1988-89 में समिति द्वारा कौन-कौन से मार्ग निर्माणार्थ लिये जाने प्रस्तावित हैं?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

वित्तीय वर्ष 1986-87 में मण्डी समिति, रुद्रपुर (नैनीताल) द्वारा निर्माणाधीन सम्पर्क मार्गों का विवरण निम्न प्रकार है :—

| सम्पर्क मार्ग | प्रस्तावित व्यय | स्तर |
|---|---|---|
| 1—शिमला से गंगापुर तक | 2·21 | खड़ंजा |
| 2—गणेशपुर से पंतनगर तक | 2·99 | खड़ंजा |
| 3—सैजना रोड से मजरा मिल्क | 3·60 | खड़ंजा |
| 4—किरतपुर सम्पर्क मार्ग | 0·58 | लेपन |
| 5—काशीपुर रोड से किरतपुर | 2·85 | लेपन |
| 6—बिन्दुखेड़ा धौमरी नदी | 3·51 | खड़ंजा |
| 7—बानपुर से भूरा रानी | 3·51 | खड़ंजा |
| 8—मलसी गिरधरपुर से मलसी | 5·78 | खड़ंजा |

वर्ष 1987-88 में समिति द्वारा कोई भी सम्पर्क मार्ग प्रस्तावित नहीं था।

वर्ष 1988-89 में मण्डी समिति रुद्रपुर द्वारा किरतपुर से लिंक रोड प्रस्तावित है।

160—162—श्री जयदीप सिंह बरार—

[तीसरे गुरुवार के लिए स्थगित]

**जनपद-उन्नाव तहसील केन्द्र पुरवा की पी0 एच0 सी0 को सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में परिवर्तित करने हेतु कृत कार्यवाही**

163—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र की तहसील केन्द्र पुरवा, जनपद उन्नाव की पी0 एच0 सी0 को सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में परिवर्तित करने हेतु धनराशि का आवंटन हो चुका है? क्या यह सही है कि मंत्री जी ने स्वयं माह नवम्बर, 88 में उक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर यह घोषणा की है कि सामुदायिक स्वास्थ्य भवन के निर्माण का काम शीघ्र ही शुरू हो जायेगा? यदि हां, तो स्वास्थ्य भवन बनाये जाने का काम अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत आवंटन नहीं हुआ है। प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण प्रारम्भ कराने का प्रश्न सम्प्रति नहीं उठता। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना/निर्माण नामक योजना जिला योजना के अन्तर्गत आती है, तद्नुसार जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही निर्माण को शासकीय स्वीकृति दिया जाना सम्भव है।

## उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री धर्मसिंह एवं वर्तमान सदस्य श्री महावीर सिंह के निधन पर शोकोद्गार

(समय 11 बजकर 5 मिनट पर)

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में यह हमारा अत्यन्त दु:खद दायित्व होता है कि हम ऐसी विभूतियों का स्मरण करते हैं, जिन्होंने इस सदन की सेवा में और इस सदन के माध्यम से देश की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया हो और वह काल के कराल-गाल में हम सबकी इच्छाओं के न रहते हुए जो अनन्त में विलीन हो जायं, यह मेरा दु:खद कर्तव्य है कि सम्मानित सदन में मैं ऐसी विभूतियों के संबंध में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूं। हमारे इस विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय श्री धर्म सिंह जी का निधन दिनांक 12 जनवरी, 1989 को प्रात:काल हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे।

श्रीमन्, धर्म सिंह जी सर्व प्रथम वर्ष 1952 में कांग्रेस पार्टी से बुलन्दशहर जिले के अनूप शहर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1957, 1962, 1967, 1974 एवं 1980 में भी विधान सभा के सदस्य चुने गये।

श्रीमन्, माननीय धर्मसिंह जी 1952 में प्रथम बार जब इस विधान सभा में चुनकर आये थे, उस समय मैं भी इस विधान सभा में चुनकर आया था और तब से उनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा।

श्रीमन्, वह इतने लोकप्रिय थे कि वह निरन्तर 1952 से 1980 तक इस विधान सभा में सदस्य चुने गये। इस प्रकार वह सात बार इस विधान सभा में विधायक रहे। वर्ष 1980 में वह इस विधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे, इस नाते प्रोटेम स्पीकर मनोनीत किया गया और वे 18 जून से 7 जुलाई, 1980 तक प्रोटेम स्पीकर रहे तथा 1980 के सामान्य चुनाव में नव निर्वाचित सदस्यों को उनके द्वारा ही शपथ दिलाई गयी। दिनांक 25-8-82 से 15-3-85 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद को गौरवान्वित किया। हमें अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से उन्होंने प्रभावकारी ढंग से इस विधान सभा की गरिमा को निभाया, जिस प्रकार से आज आप निभा रहे हैं। श्रीमन्, माननीय धर्म सिंह जी एक प्रशासक भी थे और निर्बल वर्ग, दलित शोषित दल के सच्चे हितैषी थे। वह वर्ष 1954 से 1960 तक सभा सचिव के रूप में रहे। वर्ष 1961-62 में वे चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के उप मंत्री रहे तथा वर्ष 1970 में सार्वजनिक निर्माण मंत्री के पद पर आसीन रहे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी एवं एक अग्रणी नेता थे । वह न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बल्कि सारे उत्तर प्रदेश के समाज-सेवी और राजनीतिक नेता थे । मैं उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने बुलन्दशहर गया था, तो मैंने देखा कि अपार जनसमूह वहां पर उमड़ पड़ा था । श्रीमन्, ऐसे महान पार्लियामेंटोरियन, जिन्होंने पार्लियामेंट्री प्रक्रिया को नियमित किया, और अर्थवान किया, ऐसी महान विभूति के प्रति हमारी और हमारे दल की हार्दिक संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें । हम सब की मार्मिक संवेदना के शब्द उनके परिवार तक पहुंचा दें ।

श्रीमन्, अत्यन्त दुःख के साथ मैं विधान सभा के सदस्य श्री महाबीर सिंह जी के निधन का समाचार सदन को देने के लिए विवश हूं । महाबीर सिंह जी भी प्रथम बार सन् 1969 में देवबन्द सीट से सहारनपुर जिले के विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए उसके बाद लगातार 3 बार वह अपनी लोकप्रियता के आधार पर विधान सभा के सदस्य चुने गये । उन्होंने सन् 1930 और 32 की आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया और तत्पश्चात् वह ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद् के अध्यक्ष पद पर भी रहे । निरन्तर 3 बार वह विधान सभा के सदस्य चुने जाते रहे । वह विधान सभा के प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे । श्रीमन्, वह किसानों के एक जाने माने नेता थे । कोई ऐसी समस्या नहीं थी, चाहे वह गन्ने से संबंधित समस्या हो, चाहे वह विद्युत संबंधी समस्या हो, जो उनके मर्मज्ञान से अछूती रह गयी हो या जिसके साथ वह अपने को सम्बद्ध न रखते हों । मेरा सौभाग्य था कि वर्षों उनके मिलकर काम करने का सुअवसर मिला । श्रीमन्, एक हमारे वर्तमान विधान सभा के सदस्य के निधन से हम सभी को व्यक्तिगत रूप से खेद पहुंचा है । मेरा आपसे आग्रह है कि आप हम सभी की संवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय श्री धर्म सिंह और महाबीर सिंह जी के बारे में जो भावना प्रकट की है उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, जहां तक स्वर्गीय श्री धर्म सिंह जी का प्रश्न है उनकी लोकप्रियता का इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि 7 बार वह इस सम्मानित सदन के सदस्य चुने गये थे । आज के राजनीतिक जीवन में जहां संवेदनशीलता का सर्वदा अभाव पाया जाता है और जिसके कारण राजनीतिक मूल्यों का अवमूल्यन होता जा रहा है वहीं अब स्वर्गीय धर्मसिंह जी के बारे में मेरी निश्चित राय है कि वह खुद संवेदनशील थे, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी और उसका एक उदाहरण इस सम्मानित सदन में लोगों ने देखा था । जब उन्हें लगा कि आज जो प्रोटोकाल है विधायकों के प्रति, माननीय मंत्रियों के प्रति और आपके आसन के प्रति, नौकरशाही उसके प्रति उदासीन हो रही है तो उन्होंने सारे सदन को उस मुद्दे पर विश्वास में लिया था । श्री धर्म सिंह जी ने इस मामले को सदन के सामने लाकर सारे सदन की भावना को अपने साथ लेकर उस सरकार को एहसास कराया था कि नौकरशाही की इस निरंकुशता पर कुछ अंकुश लगाने का प्रयास करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, इसी तरह से महावीर सिंह जी सन् 1947 में चुने गए । वह आजादी की लड़ाई के सिपाही थे और अगली पंक्ति के लोगों में थे । यह सही है कि इस तरह से जो वीर थे वह एक-एक करके हमारे बीच से समाप्त होते जा रहे हैं । इन सबका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है । इन शब्दों के साथ, मैं पुनः माननीय नेता सदन के द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं से अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे और मेरे दल की भावनाओं को उन आत्माओं के शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, माननीय नेता सदन और माननीय तिवारी जी ने जो-जो महान हस्तियों के बारे में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं भी उसमें अपने को और अपने दल को जोड़ते हुए श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा कि श्री धर्म सिंह जी सात बार इस सम्मानित सदन के सदस्य चुने गए । वह उपमंत्री से लेकर स्पीकर तक की कुर्सी पर यहां पर बैठे और वे बड़े ही भले किस्म के इन्सान थे । अभी उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले, हमारी वैसे ही मा0 डिप्टी स्पीकर के यहां मुलाकात हो जाया करती थी, एक दिन मैंने हंसते-हंसते कह दिया कि मा0 धर्म सिंह जी सेन्ट्रल हाल में आपका जो फोटो लगा है यह आपका पहचान में नहीं आ रहा है । आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि रामवचन यादव जी का फोटो हो। वह हंसने लगे, कहने लगे कि दूसरा फोटो खिचवा कर लगवा दूंगा । मान्यवर, हमारा घनिष्ठता का संबंध था । वह हम लोगों का दुःख-सुख पूछ लिया करते थे । वह हमारे पश्चिम के ही नहीं पूरे प्रदेश के नेता थे और ऐसे लोगों के बीच से चले जाने से श्रीमन्, बहुत कष्ट होता है ।

इसी प्रकार से हमारे जनपद के ठाकुर महावीर सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं । चार बार इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे, ब्लाक प्रमुख रहे, हमारे जनपद सहारनपुर की जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे और इतने साफ आदमी थे वह, श्रीमन्, मैं बहुत ज्यादा सत्ता-पक्ष के लोगों की तारीफ नहीं करता, मेरा कड़ा स्वभाव है । मरने के बाद सबको तकलीफ होती है, लेकिन मैंने उनके जीवित रहते ही भले आदमी का सर्टीफिकेट किसी को दिया है तो महावीर सिंह जी को दिया है । वह निहायत ईमानदार थे । सत्ता-पक्ष में रहते हुए ईमानदार थे, साफ कहने वाले थे और श्रीमन्, उनकी एक मिसाल मौजूद है, जो किताबों में लिखी गई है और आज भी लोग कहते हैं कि जिस समय भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी0 वी0 गिरि की पिटीशन चल रही थी तो उनकी गवाही हुई । उनसे पूछा गया कि जब चुनाव थे उस समय आप दूसरी तरफ से थे, आज यहां क्यों हैं । इतने हाजिर जवाब थे कि उन्होंने कहा कि चलती गाड़ी में कौन नहीं बैठा करता । तो मेरे कहने का मकसद यह था कि वह हृदय के साफ थे । जो हृदय में था, वही जबान में था । उनके निधन से खास-तौर से मेरे जैसे आदमी को बहुत तकलीफ हुई । वह गन्ने के लिए लड़े थे । वह मेरे जिले से लड़े थे । वह गन्ना फेडरेशन के सदस्य रहे । यूनियन के चेयरमैन और डायरेक्टर रहे । हम लोगों ने बहुत कुछ उनसे सीखा है । श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दोनों महानुभावों के शोक संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनाएं भेजने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, नेता सदन, मा0 विधायक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदन के सम्मानित सदस्य श्री राम शरण दास जी ने जो शोकोद्गार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो राजनीतिक हस्तियों के निधन के संबंध में इस सम्मानित सदन में व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष रह चुके श्री धर्म सिंह जी के निधन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कड़ी का एक प्रज्ज्वलित दीप अस्त हो गया । मान्यवर, जहां तक श्री धर्म सिंह जी का सवाल है, उन्हें राजनीति किसी विरासत में नहीं मिली थी, अंग्रेजी शासन से जूझने का उनका संकल्प विद्यार्थी जीवन से ही था । विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने कांग्रेस की तरफ से, राष्ट्रीय भावना से अति-प्रोत होकर उन आन्दोलनों में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया । वे स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलनों में कई बार जेल भी गए । उसके पश्चात् वे एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। प्रारम्भ में, वे कुछ समय के लिए राजकीय सेवा में भी गए, जहां उन्होंने डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स जैसे गरिमामयी पद के कार्यों को निभाया । तत्पश्चात् उनकी लोकप्रियता प्रकट हुई, 1952 से लेकर सात बार उन्होंने इस सदन का प्रतिनिधित्व किया, इसके सदस्य रहे । जैसा कि माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने कहा कि आज की राजनीतिक स्थिति में लगातार जनता का प्रेम बना रहे, लगातार उसी क्षेत्र के लोगों का विश्वास बना रहे, उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, यह गौरव बिरले ही लोगों को मिलता है, जैसा कि हमारे माननीय धर्म सिंह जी को मिला था । उन्हें मंत्री, उप मंत्री और इस गरिमामय सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला । उन्होंने सदन के माननीय अध्यक्ष के रूप में जो व्यवस्थाएं दी हैं, वह हमारे लिए अनुकरणीय हैं ।

इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही देवबन्द से विधायक जो वर्तमान में विधायक थे श्री महावीर जी, उनके निधन से भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है । जहां तक श्री महावीर सिंह जी का प्रश्न है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, जो जमीन इतने छोटे स्तर से होकर के इस ख्याति को प्राप्त करें । वह पहले अपनी गांव सभा के प्रधान रहे, ब्लाक प्रमुख रहे और बढ़ते-बढ़ते जिला परिषद् के अध्यक्ष हुए । तत्पश्चात् उन्होंने चार बार पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया विधान सभा में । उनके निधन से एक योग्य, ईमानदार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बीच से उठ गया । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने और माननीय श्री राम शरण दास जी ने प्रकट किए हैं, उन्हीं से मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे यह निवेदन करता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनाएं भिजवाने की कृपा करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय धर्म सिंह जी और स्वर्गीय महावीर जी के निधन से मुझे और मेरे दल के माननीय सदस्यों को हार्दिक कष्ट है । उनके बारे में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय उप नेता जनता दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदनाएं इनके शोक संतप्त परिवारों तक भेजने का कष्ट करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री धर्म सिंह जी और श्री महावीर सिंह जी के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, माननीय श्री राम शरण दास जी, माननीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और माननीय श्री राम चन्द्र बख्श सिंह जी ने प्रकट किए हैं, मान्यवर, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, धर्म सिंह जी बिल्कुल मेरे क्षेत्र के नजदीक के रहने वाले थे, अनूप शहर से थे, गंगा बीच में पड़ती है । 1952 से उनकी क्रियाशीलता और उनके काम करने की खूबियों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती रहती थी । मान्यवर, उनके चले जाने से हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और सामाजिक जीवन में एक रिक्तता आई है । जिसकी पूर्ति होना बड़ी मुश्किल है । उन्होंने उपमंत्री से लेकर विधान सभा अध्यक्ष तक के पद को सुशोभित किया तथा अध्यक्ष पद की गरिमा को बढ़ाया, जो सदा स्मरणीय रहेगा और अनुकरणीय रहेगा। यही कारण है कि वर्ष 1952, जब से इस विधान सभा का गठन संविधान के मुताबिक हुआ, तब से लेकर वर्ष 77 को छोड़कर वह बराबर इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे।

मान्यवर, माननीय महावीर सिंह जी भी हमारे वरिष्ठ सदस्य थे । उनके चले जाने से हमारे पश्चिम क्षेत्र को विशेष रूप से और पूरे उत्तर प्रदेश को जबरदस्त हानि हुई है । मान्यवर, इन दोनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री धर्म सिंह जी हम लोगों के बीच नहीं रहे । श्री धर्म सिंह जी इस विधान सभा के सात मर्तबा सदस्य चुने गए थे और उन्होंने सन् 1980 में प्रोटेम स्पीकर की हैसियत से भी कार्य सम्पादन किया था। इसके बाद वर्ष 1982 से मार्च, 85 तक लगातार वह इस विधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहे । मान्यवर, श्री धर्म सिंह जी एक बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे और उन्होंने हमारे देश की स्वाधीनता की लड़ाई में भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया था । मान्यवर, श्री धर्म सिंह जी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में उपमंत्री थे और सार्वजनिक निर्माण विभाग में मंत्री भी रहे थे । वह एक बहुत बड़े समाजसेवी थे और दलितों और शोषितों में बहुत प्रिय समझे जाते थे । उनके निधन से हमारे प्रदेश की राजनीति में जो रिक्तता आई है, उसका पूरा होना सम्भव नहीं है । उनके निधन से मैं और मेरा दल बहुत दुखी है ।

मान्यवर, महावीर सिंह जी अभी हम लोगों के साथ थे, लेकिन वह हमेशा-हमेशा के लिए हम लोगों से छीन लिए गए । मैं उनको व्यक्तिगत रूप से इस विधान सभा में जानता था, उनका व्यवहार और आचरण बहुत अच्छा था । उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक छोटे परिवार से पैदा हुआ व्यक्ति अपने कार्यों और अपने आचरणों से कितना ऊपर उठ सकता है । शिक्षा उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी गांव के प्रधान चुने जाने के बाद वह ब्लाक प्रमुख हुए और जिला परिषद् के अध्यक्ष भी हुए । वर्ष 1930 तथा 1932 में दो

बार वह स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल भी गए थे, वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । मान्यवर, इन दोनों महान विभूतियों के निधन से सचमुच उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है । मैं मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की ओर से इन लोगों के शोक संतप्त परिवारों तक मेरी संवेदनाएं पहुंचवा दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, स्वर्गीय धर्म सिंह जी पिछली विधान सभा में अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं, उनके संरक्षण में मुझे भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है । मान्यवर, उनके अन्दर कुछ विशेषताएं ऐसी थीं, जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है । इस सदन के अन्दर जब भी कोई प्रकरण होता था, तो उसको लम्बित रखना उनकी आदत के विपरीत था। तुरन्त उस पर अपना निर्णय देना, शासन को या सत्ता पक्ष को निर्देशित करना आदि उनके स्वभाव का अंग बन गया था । मान्यवर, जितने दिनों तक उनको इस कुर्सी पर बैठे देखा, हम लोगों को यह आभास हुआ कि राजनीतिक सीमाओं को तोड़कर, दलगत सीमाओं को तोड़कर उन्होंने हमेशा आचरण किया और इस माननीय सदन के हर सदस्य को अपने विचार और आचरण से ऐसा आभास दिलाते रहते थे कि उनकी नजर में सब बराबर हैं और उनका आशीर्वाद सभी सदस्यों को समान रूप से प्राप्त होता रहता था ।

मान्यवर, एक ऐसा समय था, जब मैंने खुद अपने क्षेत्र के एक विद्यालय के कार्यक्रम में उनसे भाग लेने हेतु अनुरोध किया था, तो उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया था । कुछ लोगों ने चाहा था कि वह कार्यक्रम में भाग न लें । उस समय उन्होंने उन लोगों को दो टूक जवाब दिया था कि सदस्य विधान सभा के अनुरोध पर उन्होंने कार्यक्रम दिया है और जब तक वह इस कुर्सी पर हैं, उनका किसी भी दल के साथ कोई संबंध नहीं है, केवल सदस्य विधान सभा से उनका सम्बन्ध है। उनके मरने के बाद हमें यह बात उनकी याद आती है । इस सीट से सदस्यों को जो संरक्षण प्राप्त होना चाहिए था, वह सदस्यों को मिला ।

श्री महावीर सिंह जी वर्तमान विधान सभा के सदस्य थे । सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, वह स्मरणीय है और रहेगा । इन दोनों महाविभूतियों के प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य माननीय नेताओं ने अपने शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने निर्दलीय सदस्यों के समुदाय को सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं हमारे भी ये संवेदना के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री धर्म सिंह जी इसी कुर्सी से आप सभी लोगों को सम्बोधित करते थे । आज इसी कुर्सी से मुझे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है । एक अजीब सा मालूम दे रहा है । वर्षों तक वह एम0 एल0 ए0 रहे । उप मंत्री रहे, मंत्री रहे और इस विधान सभा के वह अध्यक्ष भी रहे । वह क्या नहीं रहे । आप सभी लोगों ने जो शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं । इसी तरीके से माननीय श्री महावीर सिंह जी अभी हाल में हमारी विधान सभा के सदस्य थे । बाजवक्त यह ख्याल आता है कि हम भी पके हुये आम हैं, किसी भी

दिन टपक पड़ेंगे । आप सभी लोगों ने जो शोकोद्गार इन विभूतियों के प्रति व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं और आप द्वारा व्यक्त संवेदना के भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दिये जायेंगे ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

**उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्व श्री कैलाश प्रकाश, वसी नकवी, गोवर्धन तिवारी, कृष्णा राय, मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी, नजुराम तथा श्री काशी नाथ बहादुर पाल के निधन पर शोकोद्गार**

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, निधन संबंधी सूचना देने की दुखद श्रृंखला में मुझे सम्मानित सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त दुख होता है कि विधान सभा के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे भूत पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ नेता कैलाश प्रकाश जी के निधन दिनांक 11 नवम्बर, 1988 को दिल्ली में हो गया, वे लगभग 79 वर्ष के थे । कैलाश प्रकाश जी इस उम्र में भी सक्रिय थे, वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद् तथा समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे ।

स्वर्गीय कैलाश प्रकाश जी सर्वप्रथम 1952 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । 1952 से 1962 तक विधान सभा के सदस्य रहे फिर 1962 से 1974 तक विधान परिषद् के भी सदस्य रहे । वर्ष 1977 में वह लोक सभा के सदस्य हुए । इस तरह से 1948 से निरन्तर उनका सार्वजनिक जीवन में योगदान रहा और वे किसी न किसी रूप में विधान मण्डल से और पार्लियामेन्ट्री जीवन से सम्बद्ध रहे । वह मेरठ जनपद के कर्णधार थे । शासन में बहुत समय तक उन्होंने हिस्सा लिया, विशेष रूप से स्वनामधन्य चन्द्रभानु गुप्त जी के मंत्रिमण्डल में तथा स्वनामधन्य श्रीमती सुचेता कृपलानी के मंत्रिमण्डल में तीन-चार बार उन्हें वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश करने का अवसर मिला । वित्त तथा नियोजन में उनका अध्ययन बहुत गहन था । वे विधान सभा में और विधान परिषद् में बड़ी शालीनता और गम्भीरता से बोलते थे । हमने उनको कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा । कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर वे अपनी अध्ययनशीलता के कारण बड़ी सहजता से दे लेते थे वे मेरठ के जनाधार थे मेरठ को विश्वविद्यालय देने में, मेडिकल कालेज देने में और वहां के लिये विकास कार्य को करने में उनका प्रमुख योगदान था ।

श्रीमन्, उनके निधन से हमारे राजनीतिक जीवन में प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है । वे भारत सेवक संस्थान तथा मोती लाल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष थे, पहले स्वर्गीय चन्द्रभानु गुप्त जी उसके संस्थापक थे और उनके निधन के बाद से ये वहां पर कार्य कर रहे थे । अनेक शिक्षा संस्थाओं से भी इनका संबंध था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, दूसरी दुखद सूचना श्री वसी नकवी जी के संबंध में है। इनका निधन दिनांक 21 नवम्बर, 1988 को हो गया। इनका भी निधन लगभग 79 वर्ष की अवस्था में हुआ। वसी नकवी जी यहां उप मंत्री रहे। ये चार बार विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए। 1952, 1957, 1963 तथा 1967 के सामान्य निर्वाचनों में ये विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। ये एक सेकुलर मिजाज के कट्टर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उस समय जबकि बहुत कम लोगों में इतना साहस था, विभाजन के समय इन्होंने बड़ी निष्ठा से राष्ट्रीय आन्दोलन में साथ दिया। कांग्रेस की राष्ट्रवादी परम्पराओं का हमेशा इन्होंने साथ दिया।

श्रीमन्, वह विश्वविद्यालय अनुदान समिति के सदस्य रहे, राज्य परिवहन समिति के अध्यक्ष रहे, इस सदन की लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष रहे, इसके अतिरिक्त वे उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक के निदेशक रहे। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महा सचिव भी रहे। इन्होंने प्रदेश के विकास के लिये कई प्रश्नों को बड़ा अच्छा हल दिया। इन्होंने नेशनल इण्टर कालेज की स्थापना की थी। फिरोज गांधी पालीटेक्निक और आई0 आई0 टी0 से भी ये सम्बद्ध रहे। इसके अतिरिक्त अन्य कई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

श्रीमन्, तीसरी सूचना श्री गोवर्धन तिवारी जी के निधन के संबंध में है जिसे मैं सदन को देने के लिये बाध्य हूं। लगभग 82 वर्ष की आयु में इस महान स्वतंत्रता सेनानी का 13 अक्तूबर, 1988 को निधन हो गया। इन्होंने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की थी। तत्पश्चात् काशी विद्यापीठ बनारस से इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। अंग्रेजी शासन काल में श्री तिवारी जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कार्यालय में मंत्री थे, इस नाते आजादी की लड़ाई में वे बहुत पहले से ही सम्बद्ध थे। तीसवें दशक में और चालीसवें दशक में वे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश में जाने जाते रहे हैं। वह वर्ष 1960 से 1970 तक जिला परिषद् अल्मोड़ा के अध्यक्ष भी रहे और वह वर्ष 1981 से 1983 तक वन एवं आबकारी राज्यमंत्री रहे साथ ही वह कई शिक्षा संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे साथ ही उन्हें वन के बारे में भी गहन जानकारी थी। श्री गोवर्धन तिवारी जी के निधन से प्रदेश ने एक अगली पंक्ति का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है।

इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी मुझे और भी दुखद सूचना देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। श्री कृष्णाराय, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा का निधन 30 अक्टूबर, 1988 को जिला अस्पताल देवरिया में 76 वर्ष की आयु में हो गया। यह सर्वप्रथम 1962 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् वह वर्ष 1974 एवं वर्ष 1977 के निर्वाचनों में भी विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1930 से ही श्री कृष्णाराय जी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर योगदान देते रहे। फिर कुछ वर्षों बाद आचार्य नरेन्द्र देव जी के साथ पार्टी से अलग होकर समाजवादी दल में सम्मिलित हुये और वर्ष 1982 में ब्रिटिश सरकार में आपको आन्दोलनों में भाग लेने के कारण गोली से मार देने पर इनाम घोषित किया। ऐसे समाजवादी मिजाज के महान कार्यकर्ता के निधन से पूर्वांचल ही नहीं, अपितु पूरे प्रदेश को क्षति पहुंची है जो अपूर्णीय है।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, श्री मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी जी जो फिरोजाबाद जनपद आगरा के निवासी थे, इनके निधन का दुःखद समाचार भी आपको देना पड़ रहा है। इनका निधन 2 जनवरी, 1988 को 52 वर्ष की उम्र में हो गया। श्री सिद्दीकी वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में प्रथम बार सदस्य विधान सभा के रूप में चुने गए थे। श्री सिद्दीकी का नगरपालिका, फिरोजाबाद के विकास कार्यों में बड़ा योगदान रहा और उनके अनथक योगदान से फिरोजाबाद व जनपद आगरा के निवासियों को बड़ा ही लाभ पहुंचा है ऐसे कर्मठ और कुशल कार्यकर्ता को हमने आज खो दिया है।

इनके अतिरिक्त श्री नजूराम, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा का 27 नवम्बर, 1988 को सर सुन्दर लाल अस्पताल, वाराणसी में निधन हो गया। वे उस समय लगभग 67 वर्ष के थे। श्री नजूराम जी प्रथम बार 1974 में सदस्य विधान सभा के रूप में निर्वाचित हुए। श्री नजूराम जी लगभग 17 वर्षों तक पंचायत सेक्रेट्री पद पर कार्यरत रहे और वर्ष 1971 में इस पद से त्याग पत्र देकर राजनीति में प्रवेश किया। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। वे वर्ष 1941 में जेल भी गये। कृषि में उनकी विशेष रुचि थी श्री नजूराम जी के निधन से जनपद जौनपुर ने एक स्वतंत्रता सेनानी खो दिया है।

श्री काशीनाथ बहादुर पाल जो बस्ती जनपद से वर्ष 1962 में स्वतंत्र पार्टी से निर्वाचित होकर सदस्य विधान सभा के रूप में आए थे, इनका भी 30 दिसम्बर, 1988 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री काशीनाथ बहादुर पाल वर्ष 1959 में स्वतंत्र पार्टी के सदस्य बने। उन्होंने शिक्षा प्रसार हेतु महसो विजय प्रताप इण्टर कालेज तथा विजय प्रताप संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वह राज घराने के सदस्य थे और इन्हें जनसेवा में विशेष रुचि थी। श्री काशीनाथ बहादुर पाल जी के निधन से जनपद बस्ती ने एक कुशल समाजसेवी खो दिया है।

मान्यवर, इन तमाम शोक संतप्त परिवार तक शोकोद्गार सदन की ओर से और हमारी ओर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, सर्वश्री कैलाश प्रकाश, वसी नकवी, गोवर्धन तिवारी, कृष्णाराय, मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी, नजूराम तथा श्री काशीनाथ बहादुर पाल के बारे में जो भावनायें मा0 नेता सदन ने व्यक्त की हैं, उससे मैं अपने आप को एवं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, जहां तक स्वर्गीय कैलाश प्रकाश जी का प्रश्न है, वह शुरू-शुरू में स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल हुए और पहली बार कांग्रेस पार्टी से इस विधान सभा के सदस्य चुने गये। दो बार विधान सभा के सदस्य चुने गये, तीन बार विधान परिषद् के सदस्य चुने गये और एक बार लोक सभा के लिये 77 में चुने गये थे। श्रीमन्, इन सब बातों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह जहां रहे, उनको संसदीय प्रणाली में निष्ठा थी, जिस पर उनका एकाधिकार था। जिस राजनैतिक दल में वह रहे, उसके महत्व को उन्होंने स्वीकार किया और इसीलिये इस सदन, विधान परिषद् और लोक सभा में जगह पाते रहा और इस प्रदेश की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता की सेवा करते रहे। श्रीमन्, कैलाश प्रकाश जी अपने सिद्धान्तों के प्रति समर्पित थे। वह कांग्रेस पार्टी में रहे, उसके बाद जब उनका विघटन हुआ, वह जानते थे कि हवा का रुख दूसरी ओर था, आया राम और गया राम की स्थिति थी, वह दूसरे रास्ते को चुन सकते थे, लेकिन सिद्धान्तों के प्रति वह समर्पित थे और यह जानते हुए कि हवा दूसरी ओर की है, संगठन कांग्रेस में रहना स्वीकार किया और संगठन कांग्रेस का विलय जब जनता पार्टी में हुआ तो वह जनता पार्टी में रहे। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिनमें सुविधा का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, उनमें कैलाश प्रकाश जी का जीवन हम सब के लिये प्रेरणा का स्रोत है। श्रीमन्, कैलाश प्रकाश जी का जीवन हर क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रभाव रखता है। वह बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े थे और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वह उप मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे और कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे। इस हैसियत से जो उन्होंने प्रदेश की सेवा की है, वह अविस्मरणीय रहेगी। वह अपने आप में संस्था थे और मेरा आपसे अनुरोध है कि कैलाश प्रकाश जी के शोक संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की सम्वेदनायें पहुंचाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ, मैं स्वर्गीय कैलाश प्रकाश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्रीमन्, वसी नकवी साहेब, चार बार इस सदन के सदस्य चुने गये थे। श्रीमन्, उन्होंने यहां पर उप मंत्री की हैसियत से काम किया था। इसी तरह से श्रीमन्, गोवर्धन तिवारी जी दो बार इस सदन के सदस्य चुने गये थे। वह काशी विद्यापीठ की उपज थे, जो आजादी की लड़ाई के जमाने में एक केन्द्र था, जहां से सारा प्रदेश आन्दोलन के लिये प्रेरणा लिया करता था। वह वर्ष 1930 से लगातार सक्रिय राजनीति में रहे। 1960 से 1970 तक वह अल्मोड़ा जिला परिषद् के अध्यक्ष पद पर रहे, आबकारी राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। स्वर्गीय कृष्णा राय जी पूर्वान्चल में समाजवादी आन्दोलन के प्रमुख स्तम्भ थे। श्रीमन्, जिस समय स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव जी ने सिद्धान्तों के आधार पर लोकतंत्र को पुष्ट और मजबूत बनाने के इरादे से कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला किया, उस समय कृष्णा राय ने आचार्य नरेन्द्र देव जी का अनुगमन करके कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी को ग्रहण किया था। यह लोग सिद्धान्तों के प्रति समर्पित थे और जो 1942 की क्रान्ति आन्दोलन में अगली पंक्ति के सिपाही थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में यह लोग अग्रिम श्रेणी में रहेंगे वह तीन बार इस सदन के सदस्य चुने गये। श्रीमन्, मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी साहब फिरोजाबाद से इस माननीय सदन के सदस्य चुने गये थे और मुस्लिम लीग पार्टी से उन्होंने इस सदन में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। माननीय नजुराम जी विधान सभा के लिए एक बार चुने गये थे भारतीय क्रान्ति दल से। वे बड़े ही दृढ़-निश्चयी व्यक्ति थे। उनका आत्म विश्वास बहुत ही गहरा था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि 17 वर्ष तक जो व्यक्ति पंचायत सेक्रेटरी के रूप में काम करता हो, जो उनके मन में समाज सेवा की इतनी गहन अनुभूति और भावना थी कि 17 वर्ष की सेवा त्यागने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया और उस क्षेत्र की जनता ने उनकी सेवाओं को सकारते हुए उन्हें माननीय सदन का सदस्य निर्वाचित किया।

श्री काशीनाथ बहादुर पाल जी एक बार 1962 के सामान्य निर्वाचन में स्वतंत्र पार्टी के कैंडीडेट के रूप में इस माननीय सदन के सदस्य चुने गये थे ।

इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवारों तक हमारी और हमारे दल की संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम शरण दास–

श्रीमन्, श्री कैलाश प्रकाश, श्री बसी नकवी, श्री गोवर्धन तिवारी, श्री कृष्णा राय, श्री मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी, श्री नजुराम तथा श्री काशीनाथ बहादुर पाल, ये सभी लोग इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं और आज हम लोगों के बीच नहीं हैं । मान्यवर, मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से इन सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे कहूंगा कि श्री कैलाश प्रकाश जी जो हमारे ही मंडल और मेरठ नगर के रहने वाले थे, उनसे मेरा बहुत ही व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा मैंने भी कभी उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा । वे बहुत ही भले आदमी थे, बड़े विद्वान थे । वे गुप्ता जी के बहुत ही विश्वासपात्र थे । वे मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे । जितनी अच्छी खूबियां एक अच्छे इन्सान में हुआ करती हैं, वे सभी कैलाश प्रकाश जी में थी । इसके साथ ही साथ मान्यवर, माननीय कृष्णा राय जी से तो मेरा बहुत ही पुराना सम्बन्ध रहा है । सन् 48 में जब हम कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे उस समय वे हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी में आये थे और जब हम सन् 54 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग हुए तब भी वे डाक्टर लोहिया के साथ सोशलिस्ट पार्टी में आ गये । वे सन् 62 में, 64 में और सन् 77 में इस सदन के सदस्य रहे । श्रीमन्, भोजपुरी भाषा में वे अपना भाषण दिया करते थे । देवरिया में उनके यहां हम कई दफे गये, वहां पर ठहरे थे । जैसा कि तिवारी जी ने कहा है वे पूर्वी जिलों के एक बहुत ही अच्छे नेता थे । इन सब महानुभावों को श्रीमन्, आप हमारी तरफ से उनके परिवारजनों तक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री कैलाश प्रकाश जी, श्री बसी नकवी, श्री गोवर्धन तिवारी, श्री कृष्णा राय, श्री मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी, श्री नजुराम तथा श्री काशीनाथ बहादुर पाल जी के प्रति जो शोक संवेदना नेता सदन, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम शरण दास जी ने व्यक्त की है, उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इन महान विभूतियों के निधन के बाद ऐसा आभासित होता है कि एक-एक करके हमारे बीच से पुराने समाजसेवी विचार-धारा में विश्वास रखने वाले गांधीवादी विचारधारा से बंधे हुए, राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए, राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक-एक कड़ी हम लोगों से दूर होती जा रही है । मान्यवर, जहां तक श्री कैलाश प्रकाश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी का प्रश्न है, दो बार उन्होंने इस सम्मानित सदन को गौरवान्वित किया और तीन बार विधान परिषद् के वह सदस्य रहे । यही नहीं विधान परिषद् में नेता विरोधी दल के रूप में बड़े अच्छे ढंग से अपनी भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया । जैसा अभी कहा गया है कि वह मोतीलाल ट्रस्ट से भी जुड़े हुए थे और उसके माध्यम से हमारी राजधानी को उन्होंने सजाया और संवारा था । प्रदेश के मंत्री के रूप में भी उनकी प्रतिभा चारों ओर बिखरी हुई थी । वे बहुत ही सात्विक और सादगी पसंद व्यक्ति थे । 1977 में वह जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सांसद चुने गये थे और मुझे उनके निकट आने का अवसर प्राप्त हुआ था । वह बहुत सरल, सरस और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे और हम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में सामने आते हैं ।

इसी प्रकार श्री गोवर्धन तिवारी जी इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं और वह राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े हुए थे । वह अल्मोड़ा जिला परिषद् के अध्यक्ष भी रहे ।

श्री बसी नकवी जी ने इस सदन में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया।

श्री कृष्णाराय जी पूर्वांचल के एक बहुत ही प्रखर समाजसेवी थे और इस सम्मानित सदन के सदस्य थे ।

श्री मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी जी फिरोजाबाद आगरा से इस सम्मानित सदन के सदस्य थे । इसी तरह नजुराम जी जौनपुर से इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं तथा श्री काशीनाथ बहादुर पाल भी इस सम्मानित सदन की सेवा कर चुके हैं । इन सभी सम्मानित विभूतियों के निधन से प्रदेश के राजनीतिक जीवन में एक रिक्तता आ गई है । मैं अपने और अपने दल की ओर से इन विभूतियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे शोकोद्गार इन सभी के शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, स्व0 श्री कैलाश प्रकाश, स्व0 श्री बसी नकवी, स्व0 श्री गोवर्धन तिवारी, स्व0 श्री कृष्णाराय, स्व0 श्री मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी, स्व0 श्री नजुराम एवं स्व0 श्री काशीनाथ बहादुर पाल इन सभी विभूतियों के बारे में जो शोकोद्गार सम्मानित नेता सदन, माननीय उपनेता जनता दल, माननीय राम शरण दास तथा ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । हम सबको इनके निधन से हार्दिक कष्ट है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शोक संतप्त परिवारों तक हमारे संवेदना संदेश भिजवाने की कृपा करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, श्री कौशल प्रसाद, श्री बसी नकवी, श्री गोवर्धन तिवारी, श्री कृष्णा राय, श्री मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री नजुराम और श्री काशी नाथ बहादुर पाल के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार मा0 नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मान्यवर, श्री कैलाश प्रकाश जी में जितनी खूबियां थीं वह कभी-कभी

किन्हीं-किन्हीं ही व्यक्तियों में हुआ करती है । इतनी खूबियां एक व्यक्ति में होना बहुत मुश्किल काम है । वह विद्वान थे, शिक्षाविद् थे और कुशल प्रशासक भी थे । कुशल प्रशासक के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में वह लोगों की सेवा में भलाई के कार्यों में तत्पर रहते थे । इतनी सारी खूबियां एक साथ एक व्यक्ति में होना सुखद आश्चर्य है । उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

मान्यवर, श्री कृष्णा राय जी के साथ हम लोगों को कार्य करने का सौभाग्य मिला है । वह हमारे नेता थे । वह बहुत दिनों तक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे और सोसलिस्ट पार्टी के नेता थे । दलितों और गरीबों को ऊपर उठाने में एवं उनकी सेवा में वह आगे रहते थे । वह न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़े वरन् अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दलितों और गरीबों के लिए बराबर लड़ाई लड़ते रहे और इसके लिए कई वर्षों तक कई बार जेलों में रहना पड़ा । उनके एवं सभी इन दिवंगतों के प्रति जो हमारे समाज की विभूतियां थीं जिन्होंने हमारे राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन को बढ़ाया उन सभी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, श्री कैलाश प्रकाश, श्री बसी नकवी, श्री गोवर्धन तिवारी, श्री कृष्णा राय, श्री मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री नजराम और श्री काशी नाथ बहादुर पाल जी के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इन विभूतियों के जीवन परिचय के बारे में और उनकी विशेषता के बारे में माननीय नेता सदन ने विशेष रूप से उल्लेख किया । इन लोगों के निधन से हमारे प्रदेश की राजनीति में एक शून्यता आयी है जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है । यह लोग अपने-अपने क्षेत्रों में अपने सामाजिक कार्यों के कारण बहुत ही लोकप्रिय रहे । यही कारण था कि जनता ने इन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर यहां भेजा था । मान्यवर, इन महानुभावों के प्रति अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें भेजने की आप कृपा करें ।

मान्यवर, श्री नजराम हमारे बनारस जनपद के जौनपुर के रहने वाले थे और मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूं । वह गरीब किसान परिवार से आये थे और उनका जीवन प्रारम्भ से राजनीतिक चेतना में लिप्त था और यही कारण था कि देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने आगे बढ़कर हिस्सा लिया और जेल गये । वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और प्रारम्भ में वह पंचायत सचिव भी रहे थे लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर उस पद को त्याग दिया और और राजनीति में आये थे । उनको मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा –

मान्यवर, स्वर्गीय श्री कैलाश प्रकाश, श्री बसी नकवी, श्री गोवर्धन तिवारी, श्री कृष्णा राय, श्री मो0 अय्यूब सिद्दीकी, श्री नजुराम और श्री काशी नाथ बहादुर पाल के बारे में जो शोकोद्गार मा0 नेता सदन एवं अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उससे अपने निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, जिन विभूतियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, वह हमारे प्रदेश और देश के उन लोगों में से थे, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद इस देश और प्रदेश के निर्माण के लिए अनगिनत बलिदान किये हैं, मैं अपनी नवगठित कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी श्रद्धांजलि भेजने का कष्ट करें ।

*श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, श्री कैलाश प्रकाश जी एक महान शिक्षाविद्, उच्चकोटि के छात्र और आदर्श राजनीतिज्ञ थे । उनका सरल जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है । उनके निधन से न केवल मेरठ जनपद को बल्कि पूरे प्रदेश को भारी क्षति हुई है । मैं अपनी ओर से और मेरठ जनपद के अपने साथियों की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

हमारे बीच से हमारे कई पुराने साथी उठ गये हैं, जैसे माननीय कैलाश प्रकाश जी (मेरठ), माननीय बसी नकवी जी (रायबरेली), गोवर्धन तिवारी जी (अल्मोड़ा), कृष्णा राय जी (देवरिया), मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी (आगरा), माननीय नजुराम जी (जौनपुर), काशीनाथ बहादुर पाल जी (बस्ती) ।

माननीय कैलाश प्रकाश जी वर्षों एम0एल0ए0, एम0एल0सी0 व एम0पी0 रहे और साथ ही मंत्री भी रहे । उनके लिए यह कहा जाता था कि यह सही मायनों में गुप्ता जी के जानशीन हैं । जो संस्थायें गुप्त जी छोड़ गए मोती लाल मेमोरियल सोसाइटी, भारत संस्थान आदि, उन्हें वह बड़े अच्छे ढंग से चला रहे थे । मेरठ के विकास में, हर विकास में उनकी छाप है और आज उनके उठ जाने से हमें बड़ी कमी महसूस हो रही है । इसी तरीके से माननीय बसी नकवी जी का 79 साल की उम्र में निधन हुआ । सन् 52 में रायबरेली से कांग्रेस के सदस्य चुने गये थे । 1957, 63 व 67 के सामान्य निर्वाचनों में भी वह विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। वह 29-1-61 से 14-3-62 तक उप मंत्री रहे थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(समय 12 बजकर 05 मिनट पर)

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में उनका योगदान रहा । माननीय गोवर्द्धन तिवारी जी का 82 साल की उम्र में 13 अक्टूबर, 1988 को निधन हुआ । यह अल्मोड़ा से चुने गये थे । वर्ष 1981 से 1983 तक यह वन एवं आबकारी राज्य मंत्री रहे। यह कई शिक्षा संस्थाओं से जुड़े रहे । श्री कृष्णाराय जी का 76 साल की उम्र में, 30 अक्टूबर, 1988 को निधन हो गया । यह सबसे पहले 1962 में सोशलिस्ट पार्टी से, देवरिया से चुने गये इसके बाद 1974 से 1977 में भी यह विधान सभा के सदस्य चुने गये । यह हमेशा कमजोर वर्ग तथा हरिजनों के हितों में लगे रहे। इनके निधन से जनपद देवरिया ने एक उच्चकोटि का समाज सेवी खो दिया है । श्री मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी का इन्तकाल 52 साल की उम्र में 2 जनवरी, 1988 को हुआ । श्री सिद्दीकी जी सबसे पहले 1974 में मुस्लिम लीग के टिकट पर चुने गये । इनके निधन से जनपद आगरा ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। श्री नजुराम जी 67 वर्ष के थे । इनका निधन 27 नवम्बर, 1988 को हो गया । श्री नजुराम जी बी0 के0 डी0 से जिला जौनपुर से चुने गये । श्री काशीनाथ बहादुर पाल जी का निधन 71 साल की उम्र में 30 दिसम्बर, 1988 को हो गया । यह सन् 1962 में स्वतंत्र पार्टी से महुली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र बस्ती से चुने गये । इन सभी हस्तियों के बारे में जो आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ । अब हम दो मिनट का मौन रखेंगे ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए।)

**वीर रस के कवि पण्डित श्री श्याम नारायण पाण्डेय तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शंकर दयाल तिवारी के निधन पर शोकोद्गार**

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, इस परम सम्मानित सदन की दीर्घकालीन परम्परा रही है कि सामान्य सहमति से हम देश के ऐसे महान समाजसेवियों, साहित्यकार और राजनीतिज्ञों के निधन पर शोक और सम्वेदना का प्रस्ताव करते हैं जिन्होंने देश के इतिहास में अपने-अपने काल में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो । इस संदर्भ में श्रीमन्, मुझे अत्यन्त दुःख के साथ वीर रस के महान कवि श्री श्याम नारायण पाण्डेय के निधन की सूचना सदन को देनी है। इनका निधन 26 जनवरी, 1989 को उनके ग्राम डुमरांव में हो गया । श्री श्याम नारायण जी हमारे साहित्य में वीर रस के सबसे जाने-माने ख्याति प्राप्त कवि थे । हिन्दी साहित्य के जगत में उनकी प्रसिद्ध रचनायें हल्दी घाटी, परशुराम, जय हनुमान जौहर आदि थीं । जिस ढंग से उन्होंने लिखा, उनमें ऐतिहासिकता का वर्णन जिस प्रकार हुआ वह अपने में महत्वपूर्ण है । उन्हें देव पुरस्कार और द्विवेदी पुरस्कार भी प्राप्त हुए । उन्हें अनेक साहित्यिक और राजकीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए । कठिन संदर्भों के प्रस्तुतीकरण में उनको राष्ट्र ने सम्मानित किया । इस महान कवि के निधन से हिन्दी साहित्य को अपूर्णीय क्षति हुई है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे अत्यन्त दु:ख के साथ पुराने मित्र, जाने-माने श्रमिक वर्ग के नेता और हमारे देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता श्री शंकर दयाल तिवारी जी के निधन की सूचना इस सदन को देनी है उनका निधन 18 जनवरी, 1989 को हो गया । वह मार्क्सवादी पार्टी के प्रमुख सदस्य थे । हमें कई बार श्रमिक सम्मेलनों में, सर्व-दलीय आयोजनों में उनके साथ काम करने का मौका मिला है । श्री तिवारी जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के अत्यन्त महत्वपूर्ण सदस्य थे । सर्वदलीय गोआ मुक्ति समिति के संयोजक थे । गोआ मुक्ति आन्दोलन में उन्होंने स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया । जब कभी राज्य सभा में पश्चिम बंगाल के नेताओं समर मुकर्जी और ज्योति बसु से भेंट हुई वह शंकर दयाल जी के बारे में जरूर पूछते थे । श्रीमन्, उनका अपने दल के अन्दर बड़ा प्रभाव था और वह श्रमिक आन्दोलन में बहुत सक्रिय रहे । ऐसे एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी, श्रमिक वर्ग व मेहनतकश वर्ग के नेता के निधन पर कृपया हमारी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें और इस सदन की जो भावनायें हैं उनसे उनके परिवार को अवगत कराने का कष्ट भी करें ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, माननीय नेता सदन ने श्री श्याम नारायण पाण्डेय और स्वर्गीय शंकर दयाल तिवारी जी के बारे में जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

श्री श्याम नारायण पाण्डेय हिन्दी साहित्य के वीर रस के एक जानेमाने कवि थे और उनका कवियों की अग्रिम पंक्ति में स्थान था । श्रीमन्, उन्हें अपनी रचनाओं, हल्दी घाटी और जौहर के लिए "देव पुरस्कार" तथा "द्विवेदी पुरस्कार" मिला था । इसके अलावा श्रीमन्, उन्हें दूसरी रचनाओं के लिए भी राजकीय पुरस्कार मिले थे। "जौहर" और "हल्दी घाटी" आदि ऐसी रचनायें हैं, जब तक हिन्दी साहित्य रहेगा और हिन्दी साहित्य का इतिहास रहेगा, श्री श्याम नारायण पाण्डेय जी का नाम अजर-अमर रहेगा । श्रीमन्, श्री पाण्डेय जी के निधन से हिन्दी साहित्य की अपूर्णीय क्षति हुई है।

श्री शंकर दयाल तिवारी सिद्धान्तों और मूल्यों के प्रति समर्पित व्यक्ति थे । अपनी विचारधारा और आस्थाओं के लिए वह चट्टान की तरह अडिग रहते थे । उन्होंने राजनीति में साम्यवादी विचारधारा के साथ प्रवेश किया और अन्तिम सांस तक वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में जनता की सेवा करते रहे । वह शोषितों, पीड़ितों के सही मानों में मसीहा थे। श्रीमन्, इन दोनों महान आत्माओं के दिवंगत होने पर मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, दो विशिष्ट व्यक्तियों के निधन की सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी है । श्री श्याम नारायण पाण्डेय और श्री शंकर दयाल तिवारी हमारे प्रदेश के महान व्यक्ति थे । श्री श्याम नारायण पाण्डेय एक जानेमाने कवि थे । श्री शंकर दयाल तिवारी जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे । उनके साथ हमें अनेकों बार काम करने का मौका मिला : वह गरीबों के रहनुमा थे । वह एक बड़े लेबर लीडर थे । श्रीमन्, वह एक अच्छे सलाहकार थे । हम लोग जब समितियों में बैठते थे और विचार करते थे कि किस तरह इस आन्दोलन को, मूवमेंट को चलायें तो शंकर दयाल तिवारी जी एक सलाहकार जैसा हमारा मार्गदर्शन किया करते थे । श्रीमन्, उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की कल्पना नहीं की जा सकती । मैं चाहूंगा कि इन दोनों महान आत्माओं के प्रति हमारी संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, प्रदेश की दो महान विभूतियां श्री श्याम नारायण पाण्डेय और श्री शंकर दयाल तिवारी जी हमारे बीच में नहीं रहे । मान्यवर, जो शोकोद्गार नेता सदन, नेता जनता पार्टी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, नेता श्री राम शरण दास जी ने व्यक्त किया है, मैं भी अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं । साथ ही यह भी अनुभव करता हूं कि श्री श्याम नारायण पाण्डेय के निधन से ऐसा आभास होता है कि राष्ट्रीय चेतना जगाने वाला एक स्वर सदा-सदा के लिए स्वयं सो गया। जहां तक श्री पाण्डेय जी का प्रश्न है, उनके बारे में निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि वह आज के अपरिमेय गायक, राष्ट्रीयता के उद्भट उन्नायक और वीर रस के अद्भुत गायक थे । राष्ट्रीय चेतना जगाने में और देश की तरुणाई में नवचेतना जगाने तथा नये रक्त का संचार करने में श्री श्याम नारायण पाण्डेय जी की लेखनी एवं उनके स्वर ने एक अद्भुत कार्य किया है । मान्यवर, इस कवि की जहां कविताएं पढ़ने का बचपन से सुयोग मिला था, वहीं पर उसे मंच से सुनने का और उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने का मुझे सौभाग्य मिला । आज ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाला और हमारे देश के यौवन को झकझोरने वाला यह ओजस्वी स्वर हमारे बीच से चला गया । ऐसे कवि को कविता की दो पंक्तियां भी श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करना चाहता हूं :–

"रो रहे हैं शब्द आज छन्द रो रहे,
क्या अंगारे जौहरी के मंद हो रहे,
आज "हल्दी घाटी" भी उदास हो रही,
यों अश्रुधार से सदन भिगो-भिगो रही ।
रो रहा है आज शोक छा गया महान,
कालजयी कवि तुम्हारा सुन महा प्रयाण ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं उस राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले राष्ट्रीय कवि पं0 श्याम नारायण पाण्डेय को अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं । आपसे निवेदन है कि आप पंडित श्याम नारायण पाण्डेय और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और प्रसिद्ध लेखक श्री शंकर दयाल तिवारी की दिवंगत आत्माओं के प्रति मेरी व मेरे दल की संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

इनके साथ ही, मैं अत्यन्त विनीत शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब हम इस सम्मानित सदन में सदन के भूतपूर्व सदस्यों के प्रति शोक-संवेदना प्रकट कर रहे हैं, तो मुझे अपने पूर्व साथी एवं विधान सभा के 1977 में निर्वाचित सदस्य श्री रणवीर सिंह यादव का भी स्मरण आता है । स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह यादव इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं, उनका निधन अभी जनवरी 1989 में हो गया है । सम्भवत: उनके निधन की सूचना सदन को अभी नहीं प्राप्त हुई है । इसी प्रकार के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्र जी के निधन की भी सूचना सम्भवत: सदन में नहीं प्राप्त हुई है । मेरा माननीय नेता सदन से निवेदन है कि उन दिवंगत आत्माओं के प्रति भी शोक प्रस्ताव लाने की कृपा करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, जैसे ही आपके यहां से उनके बारे में सूचना आ जायेगी, उसके दूसरे दिन ही उसको ले लेंगे । श्री जगदीश पाण्डेय जी के बारे में भी सूचना आनी बाकी है। श्रीमन् जैसे ही इन सबके बारे में आपके यहां से सूचना आ जायेगी, उसके दूसरे दिन ही उसको ले लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, दूसरे दिन ले लिया जायगा ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, श्याम नारायण पाण्डेय जी के निधन से हिन्दी साहित्य और शंकर दयाल तिवारी जी के निधन से देश के कम्युनिस्ट आन्दोलन को बहुत बड़ी क्षति हुई है । शंकर दयाल तिवारी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई के बाद भी जनता के आन्दोलन में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा । माननीय शंकर दयाल तिवारी जी को मैं पिछले 25 वर्षों से बहुत निकट से जानता था हालांकि वह दूसरे दल में थे, वह बहुत अच्छे लेखक और खास तौर से मार्क्सवादी लेखक और बहुत अच्छे अनुवादक भी थे । मान्यवर, इतना परिश्रमी व्यक्ति, इस उम्र में, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है । साधारण दर्जे के टिकट से पूरे देश भर की यात्रायें करना, जनता के बीच में जाना, बहुत बड़ी बात है। जीवन के अंतिम क्षण तक उनका सम्पूर्ण जीवन इस देश की मेहनतकश जनता को समर्पित जीवन था । इन महापुरूषों के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोकसंतप्त परिवारों तक मेरे और मेरे दल की संवेदना संदेश पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, पंडित श्याम नारायण पाण्डेय तथा श्री शंकर दयाल तिवारी जी के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मान्यवर, श्याम नारायण पाण्डेय जी की रचनाएं ऐसे समय पर आईं जब हमारे देश की आजादी की लड़ाई में ऐसी रचनाओं की सख्त आवश्यकता थी । मान्यवर, हल्दी घाटी सिर्फ महाराणा प्रताप की युद्ध शक्ति या उस लड़ाई का ही वर्णन नहीं या रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गाथा ही सिर्फ जौहर में संकलित नहीं है, वरन् उस समय जो हमारे हिन्दी के साहित्यकार थे चाहे मुन्शी प्रेम चन्द रहे हों या नवीन जी रहे हों या अन्य कोई भी रहे हों, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन लोगों ने अपने-अपने ढंग से योगदान दिया है । मान्यवर, श्याम नारायण पाण्डेय जी का जो योगदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी में एक योद्धा के रूप में रहा है, वह स्मरणीय है और यह देश हमेशा उनके प्रति आभारी रहेगा । ऐसे समय में उनकी रचनाओं से हमारे नौजवानों को एक उत्साह और राष्ट्रीय चेतना की अत्यन्त आवश्यकता थी । मान्यवर, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मान्यवर, शंकर दयाल तिवारी जी मार्क्सवादी नेता थे वह अच्छे लेखक थे । 1967 से उनके निकट आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । जब 1967 में संयुक्त विधायक दल का कार्यक्रम बन रहा था तब उनके साथ बैठकर काम करने का मौका मिला । वह पूरी तरह से समता, प्रेम और सद्भाव रखते हुए उन सब सिद्धान्तों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे जिनको वह मानते थे । उनके चले जाने से हमारे देश के सम्पूर्ण राजनीति को, समता की राजनीति करने वालों को मार्क्सवादियों को एक जबरदस्त हानि का सामना करना पड़ा है । मान्यवर, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोकसंतप्त परिवारों तक हमारी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, पंडित श्याम नारायण पाण्डेय जी वीर रस के मूर्धन्य कवि थे । वह अब नहीं रहे, उनके निधन से साहित्य जगत को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और उससे जो जगह खाली हुई है उसको पूरा करना सम्भव नहीं है । मान्यवर, पाण्डेय जी ने वाराणसी में शिक्षा अर्जन किया और वहां बहुत दिनों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया था । पाण्डेय जी की जो रचनाएं हैं आज भी बहुत ही इज्जत से और बहुत ही सद्भाव से पढ़ी जा रही हैं । 'हल्दीघाटी' और उनकी इसके अलावा जो रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यही कारण है कि उनको कई मर्तबा पुरस्कार भी मिला है । मान्यवर, उनके निधन से हमारी पार्टी को बहुत बड़ा क्लेश हुआ है । मैं चाहता हूं कि आप हमारे दल की सहानुभूति उनके परिवार तक भेजने का कष्ट करें और हमारी श्रद्धांजलि अंकित करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, दूसरे जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे पंडित शंकर दयाल तिवारी जी, वह हमारे बीच में नहीं रहे । लगता है कि वह अभी भी हमारे बीच में हैं क्योंकि अभी हमारी पार्टी का तेरहवां पार्टी कांग्रेस अधिवेशन

त्रिवेन्द्रम में हुआ वहां शंकर दयाल तिवारी जी भी थे । वहां से आने के बाद अचानक जो उनके हृदय की तकलीफ शुरू हुई और इतना बड़ा झटका लगा कि वह हम लोगों से छीन लिए गए। 18 नवम्बर, 1989 को लखनऊ में उनका निधन हो गया । मान्यवर, शंकर दयाल तिवारी उन्नाव जिले में पडरीकलां में 1 फरवरी, 1921 को एक बहुत ही मामूली किसान परिवार में पैदा हुए थे और वह विद्यार्थी जीवन में ही राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़े थे । वे कई बार राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल गये । इस प्रकार वे 5 वर्ष से अधिक जेलों में रहे और 2 वर्ष से अधिक भूमिगत जीवन उन्होंने व्यतीत किया था । शंकर दयाल तिवारी एक समर्पित कम्युनिस्ट थे और वह न केवल एक नेता थे बल्कि लेखक भी थे । उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं । मुख्य तौर से साम्प्रदायिकता और प्रथकतावाद के खिलाफ कई पुस्तकें लिखी हैं । वह बड़े विचारक थे और वह प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति में दखल देते थे और जैसा कि हमारे मा0 सदस्य कौशिक जी ने कहा सचमुच यहां की राजनीति में उनकी बहुत अहम् भूमिका रही है । मान्यवर, वह हमारे देश की एकता और अखण्डता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने इस में बहुत बड़ा योगदान किया है । मान्यवर, उनके निधन से उत्तर प्रदेश में जो कम्युनिस्ट आन्दोलन, जनवादी आन्दोलन को जो नुकसान पहुंचा है उसका पूरा होना मुश्किल है । इन शब्दों के साथ, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, स्व0 पंडित श्याम नारायण पाण्डेय तथा कामरेड शंकर दयाल तिवारी के असामयिक निधन से संबंधित जो शोकोद्यार मा0 नेता सदन और नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, कामरेड शंकर दयाल तिवारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मार्क्सवादी. लेनिनवादी थे । वे समाज के शोषित, उत्पीड़ित वर्ग के लिए समर्पित थे । मान्यवर, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने उनसे प्रेरणा ली थी, पत्रकारिता की शिक्षा ली थी और उनका राजनीति के क्षेत्र में जो योगदान रहा, वह इतिहास के पन्नों में लिखा जायगा । मान्यवर, ऐसी विभूति के बारे में जो शोकोद्गार व्यक्त किए गए हैं उनसे मैं अपने को और अपने निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करता हुआ आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से ये शोकोद्गार उनके शोक संतप्त परिवार और शुभचिंतकों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, स्व0 श्री श्याम नारायण पाण्डेय जी और कामरेड शंकर दयाल तिवारी जी के संबंध में जो उद्गार मा0 नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं. मान्यवर, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, पाण्डेय जी एक ऐसे अमर कवि हैं जो हिन्दी साहित्य में सदैव स्मरण रखे जायेंगे । मान्यवर, उनके निधन से जितनी क्षति हिन्दी साहित्य में हुई है, वह पूरी नहीं की जा सकती है । जिस समय मान्यवर, हल्दीघाटी का प्रकरण वे किसी मंच से पढ़ते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात वीर रस मूर्तिमान होकर अपनी वाणी से जनता के मंच को सम्बोधित कर रहा है । इसी प्रकार मान्यवर, कामरेड शकर दयाल तिवारी से हमारे निकट संबंध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे और उन्होंने अपना सारा जीवन इस प्रदेश और देश की जनता का समाजवादी समाज बनाने के संघर्ष की कल्पनाओं में गुजारा । वे न केवल एक राजनेता थे, न केवल मार्क्सवाद और लेनिनवाद के पक्षधर थे, बल्कि एक बहुत अच्छे विचारक और लेखक थे । मान्यवर, उनके निधन से इस देश के समाजवादी आन्दोलन को, इस देश की उन शक्तियों को जो इस मुल्क की अखण्डता, आजादी और एकता के लिए संघर्ष कर रही थी, बहुत बड़ा आघात लगा है । ऐसे मनिषी की मृत्यु के पश्चात्, क्षति का पूरा होना आसान नहीं होता है । एक बार पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि इनके परिवारों तक हम लोगों की संवेदनायें भेजने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

हमारे बीच से दो विशिष्ट व्यक्ति उठ गए हैं । पंडित श्याम नारायण पाण्डेय, जो वीर रस के महान कवि थे, का निधन 81 वर्ष की आयु में हो गया । उनकी "हल्दी घाटी" और "जौहर" नामक रचनायें हिन्दी साहित्य में हमेशा याद रखी जायेंगी ।

कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता एवं लेखक श्री शंकर दयाल तिवारी का निधन 67 वर्ष की आयु में 18 जनवरी, 1989 को हो गया । 1921 में वे जनपद उन्नाव में पैदा हुए थे । कम्युनिस्ट पार्टी के बटवारे के वक्त, वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे और वे उसकी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख रहे । इन दो व्यक्तियों के बारे में जो विचार आपने प्रकट किए हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । आइए दो मिनट मौन खड़े होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए)

**सोवियत संघ के दक्षिणी गणराज्य आर्मेनियां में आये विनाशकारी भूकम्प पर शोक प्रस्ताव**

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, कभी-कभी मानव इतिहास में ऐसी आपदायें घटित हो जाती हैं, जो जनमानस को, चाहे वह किसी देश के, किसी प्रदेश के, किसी क्षेत्र में रहते हों, उद्वेलित करती हैं । जनमानस की भावनायें, संवेदनायें उस घटना पर जो रखी जाती हैं, चाहे वह किसी भी देश के नागरिकों की हों, उन कोटि-कोटि नागरिकों के साथ, उनकी संवेदनाएं सम्बद्ध हो जाती हैं । श्रीमन्, एक ऐसी ही बड़ी हृदय विदारक घटना हमारे अत्यन्त मित्र देश सोवियत संघ के दक्षिणी गणराज्य आर्मेनिया में 7 दिसम्बर, 1988 को घटित हुई । इस सम्बन्ध में आपकी अनुज्ञा से एक शोक प्रस्ताव यहां रखना चाहता हूं ।

"यह सदन सोवियत संघ के दक्षिणी गणराज्य आर्मेनिया में दिनांक 7 दिसम्बर, 1988 को आये विनाशकारी भूकम्प पर शोक व्यक्त करता है और दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से सोवियत लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट करता है ।

ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उक्त भूकम्प से धन एवं जन की जो हानि हुई है उसे सहन करने की शक्ति एवं साहस प्रदान करें ।" ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह एक ऐसी घटना है, आपदात्मक घटना है, जिसका वृत्तांत सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि किस प्रकार सोवियत यूनियन के हमारे महान मित्र लोगों ने इस दुर्घटना का, इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला किया है, वह भी अपने में अत्यन्त प्रेरणादायक है। श्रीमन्, किस प्रकार वहां पर पचास हजार की आबादी वाला स्पिताक शहर पूरा का पूरा नष्ट हो गया है जबकि तीन लाख की आबादी वाला लेनिनाकान लगभग दो तिहाई नष्टप्राय हो गया। यह बात भलीभांति ज्ञात है। आज सारे संसार में इस बात का प्रयास हुआ है कि वहां पर यथासंभव सहायता दी जाये। उत्तर प्रदेश में भी इस संबंध में एक समिति का गठन हुआ है और केन्द्र में समिति है, उसी के साथ इसको जोड़ दिया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग और इस सम्मानित सदन के सदस्यगण यथाशक्ति अपना पूर्ण सहयोग इसमें देंगे ताकि आर्मीनिया में, हमारे मित्र देश में इतना बड़ा संकट आया है, उसमें मदद की जा सके। इसके बाद भी वहां पर भूकम्प के झटके आये हैं। वहां पर जो क्षति हुई है, उसकी यत्किंचित पूर्ति भी हम लोग कर सकें, यह हम सबका प्रयास होना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे इस प्रस्ताव को सदन की एकमतता के रूप में, एकमत भावना के रूप में पारित करने के लिये प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में यदि सदन सहमत हो तो यह प्रस्ताव पारित माना जाय?

(सदन ने उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, 13 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 36 मिनट पर सोमवार, 13 फरवरी, 1989 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
9 फरवरी, 1989।

लाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13-4-1988 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये कुछ संक्षिप्त सुझाव एवं उस पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश तथा कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है:—

| माननीय सदस्य का सुझाव तथा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश | विभाग द्वारा कृत कार्यवाही |
|---|---|
| 1—आयुर्वेद निदशालय में लम्बे घपले के सम्बन्ध में स्वतन्त्र भारत के मुख्य पृष्ठ पर छपे समाचार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया कि आयुर्वेद निदेशालय ने डेढ़ करोड़ की दवायें खरीदीं। एक फर्म ने कुछ प्रिंसिपलों से मिलकर बजट न होने पर भी उनको समान क्रय कराया और कोषाधिकारी से मिलकर भुगतान प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके विरुद्ध कुछ लोगों ने केस कर दिया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले की विजिलेन्स से जांच कराने का निर्देश दिये। | मामले में आवश्यक जांच हेतु कार्यवाही शासन स्तर से की जा रही है। |
| 2—यदि डाक्टर फर्जी सर्टीफिकेट देते हैं तो इसकी जांच एक कमेटी द्वारा करायी जाय ताकि इससे एक भय उत्पन्न होगा कि अगर ऐसा करेंगे तो यह हो सकता है। इस प्रकार की कुछ कार्यवाही की जाय ताकि अंकुश लगाया जा सके।<br>इस पर तत्कालीन मंत्री जी ने बताया की जब स्थायी समिति उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों का दौरा करेगी तो जितनी शिकायतें हैं वे सब आ जायेंगी। | इस सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न अंचलों का दौरा करने हेतु उप समिति गठित किए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है। |
| 3—माननीय सदस्य ने बताया कि टी0 बी0 अस्पताल फैजाबाद में कई जिलों के लोग आते हैं। जिसके लिए उन्होंने उक्त अस्पताल में कुछ शैय्याओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2/4 बेड्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। | यद्यपि फैजाबाद से लगभग 3 कि0 मी0 दूर अयोध्या मार्ग पर 22 शैय्यायुक्त संक्रामक रोग चिकित्सालय स्थापित है फिर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशानुसार क्षय रोग से ग्रसित रोगियों के लिये जिला अस्पताल फैजाबाद में 2 बेड्स आरक्षित कर दिये गये हैं। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4—श्री राम अस्पताल अयोध्या में चिकित्सा सुविधायें ठीक नहीं हैं। अतएव इसमें चिकित्सा सुविधायें बढ़ायी जायें। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने सहमति व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि आयुर्वेद चिकित्सा की व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं है। वहां पर तमाम तीर्थयात्री आते हैं। सम्बन्धित अधिकारीगण इस ओर ध्यान दें।

श्री राम अस्पताल अयोध्या में चिकित्सा सुविधाओं में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक फैजाबाद मण्डल फैजाबाद को आवश्यक निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। उक्त अस्पताल में (1) एक्सरे मशीन आ गई है, (2) पैथोलाजी व्यवस्था हो गई है, (3) एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है।

आयुर्वेद चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाये जाने के निमित्त भी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

5—माननीय सदस्य महोदय ने बताय कि श्री मिश्रा जी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के खाने में कुछ मिला दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें चक्कर आने लगा। श्री राम अस्पताल में उन्हें सुई लगायी गयी तो वे बेहोश हो गये। इनके साथ इनकी पतोहू भी थी। श्री मिश्रा को उक्त अस्पताल के डाक्टर ने फैजाबाद अस्पताल भिजवा दिया। श्री मिश्रा का 1500 रुपया गायब हुआ तथा इनकी पतोहू के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने डा0 बच्ची लाल विशेष सचिव से इसकी जांच करने का आदेश दिया कि वे इसकी जांच करें रामनवमी को जो कुछ श्री राम अस्पताल में हुआ उसकी छानबीन करें।

इस मामले में विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की गयी। दोषी पाये गये चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया तथा सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को भर्त्सनात्मक प्रविष्टियां अंकित करते हुए अन्य जनपदों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 16 का उत्तर पीछे 14 पृष्ठ पर)

अनुलग्नक–एक

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड में "जनवरी 1983 से दिसम्बर 1988 तक प्रबन्धकीय पदों पर की गयी सीधी भर्ती तथा पदोन्नतियों का विवरण

| | पदनाम (वेतनमान) | सीधी भर्तियों की संख्या | पदोन्नतियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| | 1––महाप्रबंधक (2400–2800) .. | 11 | .. |
| | 2––प्रबंधक ग्रेड–एक (1840–2400) | 08 | 06 |
| "श्रेणी एक" | 3––प्रबंधक ग्रेड–दो (1540–2200) | 22 | 07 |
| | 4––प्रबंधक ग्रेड–तीन (1250–2050) तथा अधिशासी एवं प्रबन्ध प्रशिक्षार्थी | 629 | 99 |
| | योग .. | 670 | 112 |
| "श्रेणी दो" | प्रबंधक ग्रेड–चार (850–1720) | 26 | 93 |
| | योग .. | 26 | 93 |

क्रमशः पृष्ठ दो पर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुलग्नक "क"

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड में जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1988 तक" श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के पदों पर की गयी सीधी भर्ती तथा पदोन्नतियों का विवरण

श्रेणी—3

| क्रमांक | वेतनमान | सीधी भर्तियों की की संख्या | पदोन्नतियों की की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 625–1240<br>570–1100 | 189 | 148 |
| 2 | 515–860 .. .. | 49 | 54 |
| 3 | 430–685 .. .. .. | 1670 | 06 |
| | योग .. | 1908 | 208 |

श्रेणी—4

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 354–550 .. .. .. | 112 | 06 |
| 2 | 330–495 .. .. .. | .. | 58 |
| 3 | 305–390 .. .. .. | 147 | .. |
| | योग .. | 259 | 64 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

"तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद में नियुक्त चिकित्सकों की सूची"

श्रेणी—1

| नाम तथा पद | टी0 बी0 सप्रू चिकित्सालय में नियुक्ति की तिथि |
|---|---|
| 1—डा0 ए0 क्यू0 सिद्दीकी, एस0एम0एस0 | 5-8-85 |
| 2—डा0 बी0 बी0 सिंह, कन्सल्टेण्ट | 3-4-79 |
| 3—डा0 डी0 सी0 शर्मा, सीनियर सर्जन | 19-10-85 |
| 4—डा0 के0 एन0 सिंह, सीनियर डेण्टल सर्जन | 1-4-85 |
| 5—डा0 एन0 के0 सक्सेना, सीनियर एनेस्थेटिस्ट | 22-10-83 |
| 6—डा0 ए0एल0 सक्सेना, सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ | 26-6-84 |
| 7—डा0 पी0 एल0 निगम, एस0एम0 ओ0 | 6-9-80 |
| 8—डा0 एस0 एम0 सिन्हा, सीनियर पैथोलाजिस्ट | 26-6-85 |
| 9—डा0 एम0 एस0 उपाध्याय, सीनियर आर्थो0 सर्ज | 17-7-85 |
| 10—डा0 इकबाल हुसेन, सीनियर रेडियोलाजिस्ट | 2-1-88 |
| 11—डा0 गंगेश बहादुर, एस0 एम0 ओ0 | 26-12-87 |
| 12—डा0 (श्रीमती) सरला सक्सेना, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ | 12-4-83 |
| 13—डा0 ए0 सी0 श्रीवास्तव, एस0 एम0 ओ0 | 26-7-86 |

श्रेणी—2

| | |
|---|---|
| 1—डा0 निसार अहमद, एनेस्थेटिस्ट | 17-9-79 |
| 2—डा0 बी0 के0 गुप्ता, पैथोलाजिस्ट | 24-9-86 |
| 3—डा0 एस0 के0 मिश्रा, बाल रोग विशेषज्ञ | 16-9-86 |
| 4—डा0 एस0 पी0 सिंह, ई0एम0ओ0 | 23-11-85 |
| 5—डा0 के0 एन0 सिंह, आर0डी0एम0ओ0 | 21-9-85 |
| 6—डा0 एस0 डी0 मिश्रा, हड्डी विशेषज्ञ | 20-11-82 |
| 7—डा0 शरद कुमार चिकित्साधिकारी | 9-10-85 |
| 8—डा0 पी0 सी0 अग्रवाल, सर्जन | 31-7-81 |
| 9—डा0 शैलेश द्विवेदी, जी0डी0एम0ओ0 | 23-8-80 |
| 10—डा0 स्वतन्त्र सिंह, ई0 एम0 ओ0 | 13-8-85 |
| 11—डा0 के0 एम0 जोशी, आर0डी0एम0ओ0 | 6-7-88 |
| 12—डा0 (श्रीमती) चन्द्रकांति, आर0डी0एम0ओ0 | 13-4-84 |
| 13—डा0 (श्रीमती) राधा सिन्हा, चिकित्साधिकारी | 4-10-86 |
| 14—डा0 कु0 नीति श्रीवास्तव, आर0डी0एम0ओ0 | 27-4-88 |
| 15—डा0 (श्रीमती) सुबोध बैद, आर0डी0एम0ओ0 | 27-8-88 |
| 16—डा0 अशोक कुमार, आर0डी0एम0ओ0 | 10-9-88 |
| 17—डा0 वेद प्रकाश, आर0डी0एम0ओ0 | 15-9-88 |
| 18—डा0 आर0 पी0 शुक्ला, आई सर्जन | 23-7-88 |
| 19—डा0 रमा सिंह, चि0अ0प0क0 | 18-8-76 |
| 20—डा0 मीना खुराना, चि0अ0 | (स्थानान्तरणाधीन) |

होम्योपैथिक-चिकित्साधिकारी

| | |
|---|---|
| 1—डा0 दीपा खरे, एम0 ओ0' होम्योपैथ | 12-7-86 |

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 91 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 42 पर)

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 1 तथा उससे उच्च पदों पर विभाग में कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्ध में विवरण

| क्रमांक | अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पद | गृह जनपद | गृह मण्डल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | सर्वश्री— | | |
| 1 | बी0 के0 सिंघल<br>अपर कृषि निदेशक (प्रपरेशन सेल)<br>सचिवालय, लखनऊ। | लखनऊ | लखनऊ |
| 2 | के0 पी0 अवस्थी,<br>संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी),<br>कृषि भवन, लखनऊ। | लखनऊ | लखनऊ |
| 3 | आर0 एल0 लखनपाल,<br>संयुक्त कृषि निदेशक, (मु0 एवं अनु0),<br>सचिवालय, लखनऊ। | लखनऊ | लखनऊ |
| 4 | पी0 एन0 चौबे,<br>उप कृषि निदेशक, झांसी मण्डल, झांसी | झांसी | झांसी |
| 5 | डा0 बी0 के0 त्यागी,<br>जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना<br>अधिकारी, सहारनपुर। | मेरठ | मेरठ |
| 6 | धनपत सिंह,<br>उप कृषि निदेशक, (मू0 सं0), झांसी। | हमीरपुर | झांसी |
| 7 | जुड़ावन सिंह,<br>उप कृषि निदेशक (मू0सं0), इलाहाबाद। | इटावा | इलाहाबाद |
| 8 | डी0एस0एल0 श्रीवास्तव,<br>उप कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर। | देवरिया | गोरखपुर |
| 9 | एन0 एल0 शर्मा,<br>उप कृषि निदेशक (मू0सं0) मेरठ। | बुलन्दशहर | मेरठ |
| 10 | एस0के0 सिंह,<br>उप कृषि निदेशक (प्रसार), लखीमपुर। | लखनऊ | लखनऊ |
| 11 | मदन पाण्डे,<br>उप कृषि निदेशक, (प्रसार), गाजीपुर। | बलिया | वाराणसी |
| 12 | आर0सी0 सारस्वत,<br>उप कृषि निदेशक, (मू0सं0) अभि0, आगरा। | अलीगढ़ | आगरा |
| 13 | वी0 पी0 राय,<br>उप कृषि निदेशक, (प्रसार), वाराणसी। | गाजीपुर | वाराणसी |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14 | ज्ञानेन्द्र शर्मा, सह-प्राध्यापक, राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर। | मेरठ | मेरठ |
| 15 | एस0 पी0 दीक्षित, उप कृषि निदेशक, (कपास) .. .. कृषि भवन, लखनऊ। | सीतापुर | लखनऊ |
| 16 | सी0 एस0 शर्मा, केन्द्राध्यक्ष, भूमि सुधार प्रशिक्षण केन्द्र मुजफ्फराबाद (सहारनपुर)। | मेरठ | मेरठ |
| 17 | पी0एल0 यादव, उप कृषि निदेशक, (भू0सं0), ललितपुर ऐट झांसी। | बांदा | झांसी |
| 18 | अभय राज सिंह, उप कृषि निदेशक (भू0सं0), मिर्जापुर। .. | गाजीपुर | वाराणसी |
| 19 | दुबरी यादव, उप कृषि निदेशक-कम-प्रभारी अधिकारी, .. सं0कृ0प0एवं प्र0के0, वाराणसी। | जौनपुर | वाराणसी |
| 20 | महेन्द्र सिंह सिवाज, उप कृषि निदेशक-कम-प्रभारी अधिकारी, .. सं0कृ0प0 एवं प्र0के0, मेरठ। | बुलन्दशहर | मेरठ |
| 21 | पी0डी0 दुबे, उप कृषि निदेशक-कम-प्रभारी अधिकारी, .. सं0कृ0प0 एवं 0प्र0के0, झांसी। | जालौन | झांसी |
| 22 | डा0 मो0 शकील, उप निदेशक, (कृषि रक्षा), मेरठ। .. | गाजियाबाद | मेरठ |
| 23 | नन्द किशोर गुप्ता, विषय वस्तु विशेषज्ञ (टी0एण्ड बी0) .. वाराणसी। | मिर्जापुर | वाराणसी |
| 24 | एस0 के0 एच0 रिजवी, उप निदेशक, (सांख्यिकी), कृषि भवन, लखनऊ। | लखनऊ | लखनऊ |
| 25 | अनिल कुमार राय, उप निदेशक (सांख्यिकी), कृषि भवन, लखनऊ। .. | लखनऊ | लखनऊ |
| 26 | डा0 बिपिन बिहारी, वरिष्ठ शोध अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ। .. | लखनऊ | लखनऊ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

मई, जून 1988 में स्थानान्तरित ऐसे साधारण ग्रेड के चिकित्साधिकारियों तथा अधीक्षकों की सूची जिनके स्थानान्तरण आदेश निरस्त/संशोधित किए गए।

1—डा0 (श्रीमती) रंजना पाण्डे, अधीक्षक महिला अस्पताल शाहजहांपुर।

2—डा0 आर0 के0 पाण्डे, अधीक्षक पुलिस अस्पताल, लखनऊ।

---

1—डा0 (श्रीमती) सन्ध्या मिश्र, (लटूरिया) महिला अस्पताल, झांसी।

2—डा0 (श्रीमती) न्यारा शकील, एम0ओ0आर0डी0 महिला अस्पताल, लखनऊ।

3—डा0 (श्रीमती) निम्मी सूरी, महिला अस्पताल, उन्नाव।

4—डा0 आर0 के0 सूरी, आर0 डी0 एम0 ओ0, जिला अस्पताल, उन्नाव।

5—डा0 जी0 बी0 सक्सेना, चिकित्साधिकारी, एल0 एल0आर0 हास्पिटल, कानपुर।

6—डा0 (श्रीमती) मंजू सक्सेना, चिकित्साधिकारी, एल0एल0आर0 हास्पिटल, कानपुर।

7—डा0 डी0 ए0 0 का—, एम0ओ0आर0डी0 कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता० प्र० सं० 154 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 )

वेतन आहरण एवं भुगतान का विवरण

| क्रमांक | नाम | | माह | आहरित | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | अगस्त | 1-9-87 | 14-9-87 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद | . | " | " | 14-9-87 |
| 3 | श्री बांके लाल | .. | " | " | 1-9-87 |
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | सितम्बर एवं अक्टूबर | 21-11-87 | 31-12-87 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद | | | " | 31-12-87 |
| 3 | श्री बांके लाल | .. | | " | 31-12-87 |
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | नवम्बर | 6-1-88 | 14-1-88 |
| 2 | श्री काशी दुबे | .. | " | " | 8-1-88 |
| 3 | श्री बांके लाल | .. | " | " | 8-1-88 |
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | दिसम्बर | 6-1-88 | 14-1-88 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद | .. | " | " | 8-1-88 |
| 3 | श्री बांके लाल | .. | " | " | 8-1-88 |
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | जनवरी | 19-2-88 | 23-2-88 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद | .. | " | " | 23-2-89 |
| 3 | श्री बांके लाल | .. | " | " | 23-2-89 |
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | फरवरी | 2-3-88 | 2-3-88 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद | .. | " | " | 2-3-88 |
| 3 | श्री बांके लाल | .. | " | " | 2-3-88 |
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | मार्च | 6-7-88 | 19-7-88 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद | .. | " | " | 28-8-88 |
| 3 | श्री बांके लाल | .. | " | " | 7-7-88 |
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | अप्रैल | 6-7-88 | 19-7-88 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद | .. | " | — | अवकाश |
| 3 | श्री बांके लाल | .. | " | 6-7-88 | 7-7-88 |
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | मई | 6-7-88 | 19-7-88 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद | .. | " | " | 28-7-88 |
| 3 | श्री बांके लाल | .. | " | " | 7-7-88 |
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | जून | 1-8-88 | 2-8-88 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद | .. | " | " | 2-8-88 |
| 3 | श्री बांके लाल | .. | " | " | 2-8-88 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नकदीकरण आहरण एवं भुगतान का विवरण

नकदीकरण

| क्रमांक | नाम | | माह | आहरण | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री बांके लाल | .. | अगस्त 87 | 2-3-88 | 2-3-88 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद दुबे | .. | सितम्बर 87 | 2-3-88 | 2-3-88 |
| 3 | श्री शकूर अहमद | .. | जनवरी 88 | 23-3-88 | 16-4-88 |
| 4 | श्री काशी प्रसाद | .. | जनवरी 88 | 23-3-88 | 29-4-88 |
| 5 | श्री बांके लाल | .. | जनवरी 88 | 23-3-88 | 6-4-88 |
| 6 | श्री तेजू प्रसाद | .. | जनवरी 88 | 13-6-88 | 14-6-88 |

बोनस आहरण एवं भुगतान

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री शकूर अहमद | .. | मार्च 87 | 28-1-88 | 17-2-88 |
| 2 | श्री काशी प्रसाद | .. | मार्च 87 | 28-1-88 | 8-2-88 |
| 3 | श्री बांके लाल | | दिनांक 3-6-87 को कार्यभार ग्रहण किया है। विकास खण्ड उरुवा से देय था। | | भुगतान |
| 4 | श्री तेजू प्रसाद | .. | दिनांक 2-6-87 को कार्यभार ग्रहण किया है। जनपद से देय है। | | भुगतान |

वेतन आहरण एवं भुगतान श्री तेजू प्रसाद तकावी लेखा लिपिक

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री तेजू प्रसाद | .. | अगस्त 87 | 17-10-87 | 17-10-87 |
| 2 | श्री तेजू प्रसाद | .. | सितम्बर 87 | 21-10-87 | 21-10-87 |
| 3 | श्री तेजू प्रसाद | .. | अक्टूबर 87 | 3-11-87 | 3-11-87 |
| 4 | श्री तेजू प्रसाद | .. | नवम्बर 87 | 3-12-87 | 3-12-87 |
| 5 | श्री तेजू प्रसाद | .. | दिसम्बर 87 | 5-2-88 | 5-2-88 |
| 6 | श्री तेजू प्रसाद | .. | जनवरी 88 | 16-3-88 | 16-3-88 |
| 7 | श्री तेजू प्रसाद | .. | फरवरी 88 | 6-7-88 | 6-7-88 |
| 8 | श्री तेजू प्रसाद | .. | मार्च 88 | 9-4-88 | फरवरी 88 के 9-4-88 अवकाश की स्वीकृति |
| 9 | श्री तेजू प्रसाद | .. | अप्रैल 88 | 3-5-88 | 3-5-88 दि0 27-5-88 को प्राप्त हुआ |
| 10 | श्री तेजू प्रसाद | .. | मई 88 | 4-6-88 | 4-6-88 |
| 11 | श्री तेजू प्रसाद | .. | जून 88 | 19-7-88 | 21-7-88 |

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 402 वि0 सभा (655) 1989-813 ।